



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 2118]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2011/कार्तिक 20, 1933

No. 2118]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2011/KARTIKA 20, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

का.आ. 2532(अ).—केन्द्रीय सरकार को पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों तथा समाचार एजेंसी कर्मचारियों के संघ में वेतन दरें निर्धारित अथवा संशोधित करने के लिए समर्थता प्रदान करने के प्रयोगन से, अमज्जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्ती) एवं प्रबोर्ज उपबंध अधिनियम, 1965(1955 का 45) की घारा 9 और 13वे के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय में 24 मई, 2007 को, अधिसूचना संख्या का.आ. 809(अ.) तथा 810(अ.) दिनांक 24 मई, 2007 द्वारा दो वेतन बोर्ड गठित किए गए थे;

और, इन बोर्डों को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना - का.आ.सं. 1068(अ.) तथा 1067(अ.) दिनांक 3 जुलाई, 2007 द्वारा तीन वर्ष का समय दिया गया। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वेतन बोर्डों का कार्यकाल, अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 1304(अ.) तथा या.आ.सं. 1305(अ.) दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा 31 दिसम्बर, 2010 तक बढ़ा दिया गया;

और, उक्त वेतन बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश 31 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत कर दी;

और, एवीपी प्रा.लि, और अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्यों के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट पायिल (सियिल) संख्या 246/2011 लंदित है जिसमें वेतन बोर्डों के गठन और इसकी सिफारिशों को चुनौती दी गई है;

और, केन्द्रीय सरकार ने विधिक रूप से लिया है और उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन, उक्त अधिनियम की घारा 12 के अंतर्गत आदेश जारी करने की जलाह दी गई है;

और, केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट के भाग-V के अध्याय-XIX, जो अनुबंध 1(क) के रूप में संलग्न है और रिपोर्ट के उक्त भाग-V के अध्याय XX, जो अनुबंध 1 (छ) के रूप में संलग्न है, ने उल्लिखित उक्त येतन बोडी की सिफारिशों को एकदुपरात किए जा रहे थे विनिर्विष्ट कतिष्य संशोधनों, जो केन्द्रीय सरकार की राय में सिफारिशों के स्वल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते, के अध्याक्षीन स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया है।

अतः, अब अमजीदी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तों) एवं प्रकौण उपरांत अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शिक्षियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 15 दिसंबर, 2000 के का.आ. 1125 (अ.) द्वारा यथा तज्ज्ञित विनाक 05 दिसंबर, 2000 की अधिसूचना का.आ. 1086 के अधिकासण में ऐसे अधिकासण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से रह मई बातों के सियाक, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा माननीय उच्चतम व्यापारात्मक निर्णय के अधीन यह आदेश करती है, कि-

1. समाचार पत्र प्रतिष्ठानों (समाचार एजेंसियों से भिन्न अन्य) के अमजीदी पत्रकारी तथा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए येतन बोडी की सिफारिशों से संबंधित भाग V में, अध्याय XIX में-

(क) दिवाराफ 6 में "समाचार एजेंसी के गर्भाकरण" शीर्षक के लिए "समाचार पत्र प्रतिष्ठान का गर्भाकरण" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) यरा 11 में व्याख्या में-

(i) छंड (क) में, "सकल राजस्व का 3%" अभिव्यञ्जना के लिए "सकल राजस्व का 2%" अभिव्यञ्जना प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) छंड (ख) में, उपर्युक्त ॥ के हिस्से निम्नलिखित उपर्युक्त प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

"१. सन्हृ ।। स VII के अन्तर्गत जान वाल समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संघ में, परिवर्ती बेतन के परिवानस्वलप जहाँ 20% की बढ़ोतरी सत्तुत की गई है, प्रबलित मूल बेतन लगभग 2.58 से 2.84 गुण बढ़ जाएगा।"

(ग) यरा 20 में, व्याख्या में, छंड (1) में "25 अगस्त, 2008" शब्दों और अक्षरों के लिए, "24 अक्टूबर, 2008", राब्द और अक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) अनुसूची ।.क और ।.ख के लिए, निम्नलिखित अनुसूचियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

'अनुसूची- ।.क
(समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में अमजीदी पत्रकारों का समूहन)

समूह-१क: सम्पादक

समूह-१ : कार्यकारी सम्पादक, स्थानीय सम्पादक, एसोसिएट सम्पादक, संयुक्त सम्पादक, उप सम्पादक तथा मुख्य समाचार समन्वयक अथवा मुख्य समाचार सम्पादक।

समूह-२ : समाचार ब्यूरो प्रमुख, सहायक सम्पादक, लीडर, राईटर, समाचार सम्पादक, समाचार समन्वयक, विशेष संयोगदाता।

समूह-3 : मुख्य रिपोर्टर अथवा मुख्य संवाददाता, मुख्य उप-सम्पादक अथवा केंटेर प्रमुख, डिप्युटी अथवा सहायक समाचार राज्यादक, फोटो सम्पादक, खेल सम्पादक, वाणिज्य समाचारक, विज्ञान सम्पादक, आर्थिक सम्पादक, फिल्म सम्पादक, फीचर सम्पादक, मैगजीन सम्पादक, कार्टूनिस्ट, साहित्यकारी अथवा अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख, मुख्य समाचार छायाकार, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्य सूचकांक सहायक, मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार, पेज डिजाईनर, राला की राजदानी में रह रहा राज्य सशकार से मान्यताप्राप्त प्रधान संवाददाता, विशेष संवाददाता से इतर केंद्र सरकार से मान्यताप्राप्त संवाददाता, अन्य अनुभागों तथा बैठ के प्रमुख जो उच्चतर श्रेणी में न रखे गए हों।

समूह-4 : डिप्युटी मुख्य उप-सम्पादक अथवा वरिष्ठ उप-सम्पादक, डिप्युटी मुख्य रिपोर्टर अथवा वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाता, डिप्युटी पेज डिजाईनर, वरिष्ठ सुलेखकार, वरिष्ठ अथवा डिप्युटी प्रमुख कलाकार, वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ सूचकांक सहायक, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, वरिष्ठ छायाकार।

समूह-5 : उप-सम्पादक, रिपोर्टर, संवाददाता, समाचार छायाकार, कलाकार, सुलेखकार (कातिव सहित), पुस्तकालय सूचकांक रहायक, मुख्य प्रूफशीषक तथा वरिष्ठ योजनाकार/वरिष्ठ रक्केनर ऑपरेटर।

समूह-6 : प्रूफशीषक (विज्ञापन प्रूफशीषक योजनाकार, स्पैनर/स्कैनर ऑपरेटर तथा फिल्मी अन्य समूह के तहत उल्लिखित ऐसे समस्त अधिकारी पत्रकार जिन्हें रक्केनर द्वारा उच्चतर श्रेणी में न रखा गया हो।

टिप्पणी: (1) अनुसूचियों में परिलिखित से मिन्न रूप में पदनामित कोई भी ऐसे समाचारपत्र कर्मचारी को, जो अनुसूची ये फिल्मी समूह के समान अथवा समान प्रकृति का कार्य कर रहा हो, उसी समूह का अधिकारी पत्रकार माना जाएगा।

(2) अनुसूची में उल्लिखित समस्त कर्मचारी श्रेणियां प्रत्येक समाचारपत्र पत्रिकान श्रेणी में हो भी सकती हैं और नहीं भी।

अनुसूची-1.ख (कार्यात्मक परिभाषा- अमजीबी पत्रकार)

समूह-1 का:

1. "सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के सम्पादकीय विभाग के लाये का निर्देशन तथा पर्योक्षण करता है।

समूह-1

2. "कार्यकारी सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के सम्पादकीय और प्रोडक्शन कार्यों में सहायता करता है, याहे वह स्थानीय सम्पादक, सहायक सम्पादक आदि के कार्य का पर्योक्षण करता हो अथवा न करता हो।

3. "रथानीव सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के मूल प्रकाशन स्थान से इतर अद्वा समाचारपत्र स्थापना के मुख्यालय से इतर केंद्र से समाचारपत्र के सम्पादक का कार्य निधान करता है।
4. "एसोसिएट सम्पादक" अथवा "संयुक्त सम्पादक" अथवा "उप सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः सम्पादक को कार्य निधान में सहायता देता है।
5. "मुख्य समाचार समन्वयक" अथवा "नुच्छ्य समाचार सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाली समस्त समाचार सामग्रियों को समग्र प्रमुख के रूप में समन्वित करता है तथा समाचार समन्वयकों अथवा समाचार सम्पादकों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

समूह-2:

6. "समाचार व्यूरो प्रमुख" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचार व्यूरो के कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा व्यूरो सदस्यों को कार्य आवंटित करता है।
7. "सहायक सम्पादक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः समीक्षाओं, विचारों, टिप्पणियों अथवा आलोचनाओं आदि के संदर्भ में सम्पादक यों उसके कर्तव्य निर्वहन में नियमित रूप से सहयोग करता है।
8. "लीडर राईटर" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से लीडर्स लिखता है तथा समीक्षा, टिप्पणी अथवा आलोचना आदि यीं अन्य काँपी भी लिख सकता है।
9. "समाचार सम्पादक" अथवा "समाचार समन्वयक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचार दिमाग के कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा समाचारपत्र के समस्त संस्करणों की समाचार सामग्री के लिए उत्तरदायी है।
10. "विशेष संवाददाता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके दावित्यों में नियमित रूप से सत्तादीप, राजनीतिक तथा लानान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण एक प्रत्यायित संवाददाता के रूप में शामिल है अथवा केन्द्र सरकार के मुख्यालय पर अथवा किसी विदेशी केन्द्र पर अथवा नियमित रूप से ऐसे ही कार्यों का निधान एक से अधिक राज्य में अथवा उसको सौंप गए किसी अन्य स्थान पर करता है।

समूह-3

11. "मुख्य रिपोर्टर" अथवा मुख्य संवाददाता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशन केन्द्र पर सभी रिपोर्टरों/संसाचारदाताओं का प्रभारी है, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा नियमित रूप से विधायी, राजनीतिक अथवा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण भी करता है।
- 11क. "उप अथवा सहायक समाचार संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः समाचार संपादक के दावित्य निर्वहन में सहायता करता है और/अथवा सिटी संस्करण निकालने का प्रभारी है।

12. "युथ उप संपादक उथवा विषय सूझी मुखिया" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समग्र डैस्ट्रक्शन पर एक रिपोर्ट का थार्न रखता है, एक अथवा एक से अधिक उप संपादकों को लाएँ आवेदित तथा पर्यावरण करता है, तथा सामान्यतः चूप स्पेस के निर्धारण तथा समाचार अथवा इसके किसी विवेषण संरक्षण अथवा इसके ओर मैं समाचारों के लाभान्व डिस्ट्रिब्यूटर उत्तरदायी होता है।
13. "खेल संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी समाचार पत्र के खेल अनुभाग का प्रभारी होता है, और उसे संबंधित समाचारों और संबंधित कियाकलापों को देखता है, एक गमवा एक से लिपिक रिपोर्टरों तथा उप संपादकों को लाएँ आवेदित करता है तथा पार्किंग करता है तथा सामान्यतः न्यूज न्यूज के निर्धारण तथा खेल समाचारों के समान्य डिस्ट्रिब्यूटर निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है।

14. "फोटो संपादक" से अभिप्राय न्यून ऐसी कोटी सेवा के संचालन तथा सेवा के समन्वयन प्रभारी से है।
15. "लाइंगिक संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वार्गिक, वित्त, व्यापार, उद्योग से संबंधित समाचारों एवं विचारों तथा उन पर विष्यागियों को देखता है तथा एक अथवा उससे अधिक रिपोर्टरों को कार्य आवेदित करता है तथा उनके कार्य का पर्येक्षण करता है।
16. "आर्थिक संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार पत्र के लाभान्व आर्थिक महत्व के मनलों को प्रभारी होता है एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
17. "विज्ञान संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो विज्ञान तथा ग्रोटोमिकी से संबंधित विषेष समाचारों को देखता है और समाचार पत्र की विज्ञान सेवाओं के निष्पादन का प्रभारी है।
18. "फिल्म संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो पिल्लों तथा मंच से संबंधित समाचारों को देखता है तथा मंच एवं स्क्रीन से संबंधित विशिष्ट लोकम अथवा पेज का प्रभारी है और एक अथवा एक अर्थिक कार्यरत पत्रकारों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
19. "कीचर संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कीचरों को देखता है तथा न्यूज एजेंसी की पीछर सेवा के निष्पादन का प्रभारी है तथा इन कियाकलापों में लगे एक अर्थव्यापक अधिक श्रमजीवी पत्रकारों, रिपोर्टर अथवा संचाददाता के कार्य का पर्येक्षण करता है।
20. "पर्यावरण संपादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो साहित्यिक अद्यवा मनोरोजन भांडी के प्रारंभिक समाचारों एवं विषारों तथा अन्य संबंधित ताहित्य के विषयों से गुरुदे समाचारों एवं विवादों को देखता है तथा विनिर्दिष्ट कौलमों अथवा पेजों का प्रभारी है तथा दो अथवा अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
21. "कार्टूनिस्ट" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कार्टून, कैरिक्यूर अथवा हास्य लिट्रिया के माध्यम से समाचारों तथा पटनालों पर विष्यागियों करता है।
22. "सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग मुखिया" से अभिप्राय सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान छाना प्रभारी से है जो वित्तीय अध्यकार में वार्गिक्य, वित्तीय, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित शारीरों को देखता है तथा एक अथवा एकाधिक श्रमजीवी पत्रकारों का पर्येक्षण करता है।

23. "मुख्य समाचार फोटोग्राफर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक समाचार फोटोग्राफरों को कार्य आवंटित करता है तथा पर्येक्षण करता है।
24. "मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा मुख्य सूचकांक सहायक" अथवा "मुख्य सुलेखक" अथवा "मुख्य आर्टिस्ट" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो क्रमशः एक अथवा एकाधिक पुस्तकालयाध्यक्षों, सूचकांक सहायकों, सुलेखकों तथा कलाकारों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
25. "ऐज डिजाइनर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विशेष पृष्ठ अथवा समाचार पत्र के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार नदों की विषय वस्तु का डिजाइन करता है।
26. "प्रधान संचाददाता" वह संचाददाता है जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है तथा संचाददाता विशेष संचाददाता एवं अन्य विभागीय अथवा बैच मुखिया के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है।

समूह-4

27. "उप मुख्य उप-संचादक" अथवा "वरिष्ठ उप-संचादक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से मुख्य उप-संचादक को उसके कार्य के निर्देशन में सहायता करता है तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य करता है।
28. "उप मुख्य संचादक/रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से मुख्य उप-संचादक अथवा उप मुख्य उप-संचादक अथवा वरिष्ठ उप-संचादक को उसके कार्यों के निर्देशन में सहायता करता है।
29. "उप मुख्य रिपोर्टर" अथवा "वरिष्ठ रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य रिपोर्टर की सहायता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।
30. "उप पृष्ठ डिजाइनर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विशेष पृष्ठ अथवा अखबार के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार नदों की विषय वस्तु को मुख्य डिजाइनर अथवा पृष्ठ डिजाइनर के सम्पूर्ण पर्येक्षण के अंतर्गत डिजाइन करता है।
31. "वरिष्ठ संचाददाता" से अभिप्राय विशेष एवं प्रधान संचाददाता के अतिरिक्त उस व्यक्ति से है जिसके कार्य तथा दायित्वों में प्रकाशन केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र पर महत्वपूर्ण समाचारों की रिपोर्टिंग शामिल होगी तथा संचाददाता अथवा रिपोर्टर के रूप में कम से कम पाँच साल की सेवा की हो।
32. "वरिष्ठ फोटोग्राफर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने फोटोग्राफी व्यवसाय में कम से कम पाँच साल की सेवा की हो तथा इस क्षेत्र में फोटो संचादक को अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता भी करता है।
33. "वरिष्ठ सुलेखक", "वरिष्ठ अथवा उप मुख्य आर्टिस्ट" अथवा "वरिष्ठ अथवा उप मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष", "वरिष्ठ सूचकांक सहायक" तथा "वरिष्ठ अनुसंधान सहायक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य सुलेखक, मुख्य कलाकार, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्य सूचकांक सहायक तथा मुख्य सार्थियों की अथवा अनुसंधान प्रभाग, जैसा भी नामला हो, की सहायता करता है तथा कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो।

समूह-5

34. "उप संचादक अथवा वरिष्ठ रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सभी प्रकार की हैंड लाइंस समाचार मदों को प्राप्त, चयनित, रेसोप, रार, विस्तृत बर्णन, अनुवाद और शुद्ध करता है तथा इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कार्य करता है।
35. "रिपोर्टर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक विशिष्ट केन्द्र पर समाचारों को एकत्रित एवं प्रस्तुत करता है।
36. "संचादकाता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशन केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी केन्द्र से समाचार ई-मेल, वेबसाइट, यायर, लाक अथवा अन्य किसी साधन से प्राप्त करता तथा भेजता है।
37. "समाचार फोटोग्राफर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटोग्राफस के माध्यम से सार्वजनिक छित की घटनाओं को कवर करता है।
38. "आर्टिस्ट" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशनार्थ ड्रॉइंग, लेआउट्स, मैप्स, चापस अथवा अन्य इसी प्रकार की सजावट, सृजनात्मक आर्ट के किसी प्रकार के उद्धरण तैयार करता है। वह इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कर सकता है।
39. "सुलेखक" से अभिप्राय उस आर्टिस्ट से है जो एत्रकारिता कार्य तथा सुलेख मामलों के कार्य भी करता है।
40. "पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा सूचकांक सहायक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वर्तमान कहानियों को पूरा करने अथवा पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले समाचारों एवं विचारों से संबंधित अभिलेख तैयार करता है तथा उन्हें बनाये रखता है। इन कार्यों में से किसी को न करने वाले व्यक्ति कवर नहीं किए जायेंगे।
41. "मुख्य पूफ रीडर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक पूफ रीडरों को कार्य आवधित करता है एवं पर्येक्षण करता है और एक शिफ्ट का प्रभारी है।
42. "वरिष्ठ प्लानर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्लानर हारा विए गए फोटो एडीटिंग, कलर एडीटिंग तथा शैलो एडीटिंग के कार्य का पर्येक्षण करता है।
43. "वरिष्ठ स्कैनर ऑपरेटर" इत्यादि से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर द्वारा किए गए फोटोग्राफस/इंगीन विडोपनों/उद्धरण इत्यादि की स्कैनिंग के कार्य का पर्येक्षण करता है।

समूह-6

44. "पूफ रीडर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो पूफ की मुद्रित सामग्री को संचादक की प्रति के साथ पहली का बाद वाली से स्टीक सुमेलन सुनिश्चित करने हेतु बैक करता है। उसके द्वारा तथ्यात्मक अंतरों, व्याकरण तथा वाक्य रचना की वर्तनी संबंधी गलतियों का पता लगाया जाता है तथा या तो वह उन्हें ठीक कर देता है अथवा उन्हें ठीक करवा लेता है।
45. "प्लानर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संचादक हारा दी गई समाचार सामग्री को दर्शाने हेतु फोटो एडीटिंग, कलर एडीटिंग तथा शैलो एडीटिंग के कार्य में सहायता करता है।

45. "स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटोग्राफ/रेपीन विज्ञापन / उद्धरण तथा फोटोग्राफ एवं ट्रांसपेरेंसीज के कलर करेक्शन यो रखता है;"

- (इ) शहरी के दर्गीकरण से संबंधित सारणी -V में, छोत्र- "Y" श्रीमि के अंतर्गत-
- (क) क्रम संख्या 53 और 68 के सामने की प्रविष्टियों को लोप कर दिया जायेगा;
- (ख) उसके नीचे की सभी प्रविष्टियों की क्रम संख्याएं पुनः क्रमवार क्रम संख्या 1 से 67 के रूप में दी जाएंगी।

2. श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार एजेंसियों में गैर-पत्रकार समाचार पत्र का अरियों के लिए वेतन बोल्ड की सिकारिशों से संबंधित अध्याय XX में -

- (क) "समाचार पत्र प्रतिष्ठान" शब्द, जहां कही भी इस अध्याय में हो, "समाचार एजेंसी" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) पैराग्राफ 15, 16 और 17 में उल्लिखित भालों से संबंधित सिकारिशों के संबंध में, श्रेणी I और II की समाचार एजेंसियों को समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी I और II के समतुल्य माना जाएगा और श्रेणी III और IV की समाचार एजेंसियों को समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी V और VI के समतुल्य माना जाएगा।
- (ग) पैराग्राफ 14 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 14. रात्रि पाली भता - समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में दराएँ गई दरों के अनुसार रात्रि पाली भूते का भुगतान किया जाएगा:-

समाचार एजेंसी की श्रेणी	प्रति रात्रि पाली दर
I और II (समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के श्रेणी-I और II के समकक्ष)	100/-लपये
III और IV (समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के श्रेणी-V और VI के समकक्ष)	50/-लपये

- (घ) सारणी I में, समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान की श्रेणी के अंतर्गत III और IV से संबंधित कर्मचारियों के समूह के लिए वेतनमान से संबंधित कालम 1 से 5 तक के अंतर्गत

प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

समाचार एजेंसी प्रतिकान की शैर्णी	कमचारी समूह के लिए वेतनमान					परिवर्ती वेतन (मूल वेतन)	
	1क	1	2	3	4		
III	कोई वेतनमान नहीं	16000- रु. - एआरआई (2.5%)- 26300 -23000	14000- रु. - एआर आई (2.5%)- 21400	13000- रु. - एआरआई (2.5%)- 19700	12000- रु. -एआरआई (2.5%)- 19700	11000- रु. - एआरआई (2.5%)- 18100	20%
	IV	14000- रु. - एआरआई (2.5%)- 23000 -21400	13000- रु. - एआर आई (2.5%)- 19700	12000- रु. - एआरआई (2.5%)- 18100	11000- रु. -एआरआई (2.5%)- 18100	10000- रु. - एआरआई (2.5%)- 16400	

(इ) सारणी II में, समाचार एजेंसी प्रतिकान की शैर्णी III और IV के संबंध में तदनुस्पष्ट परिवर्ती वेतन (मूल वेतन का %) के अंतर्गत, संबंधी प्रविष्टि "30%" के लिए, "20%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(घ) सारणी IV में, शहरों के बर्गीकरण के संबंध में "Y" को त्रैशीर्षक के अंतर्गत,-

- (क) क्रम संख्या 53 और 68 के सामने की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;
- (ख) उसके नीचे की सभी प्रविष्टियों की क्रम संख्याएँ पुनः क्रमवार क्रम संख्या 1 से 67 के लोप में दी जाएंगी।

भाग-V: सिफारिशें

अध्याय-XIX

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों (समाचार एजेंसियों को छोड़कर) के अमरीकी पत्रकारों सहा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए सजीदिया बेतन बोर्ड की सिफारिशें

खंड-।

प्राथमिक

तात्पुरीय तथा प्रारम्भ [1]इन अनुशासनों को मर्जीवाले वेतन बोर्ड का पंचाट कहा जाएगा।

2. पंचाट को जूलाई, 2010 की पहली तारीख से प्रभावी हुआ माना जाएगा।

2. परिभाषा- इस पंचाट में, जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) "अधिनियम" का अर्थ है-अमरीकी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्त) तथा प्रकारण उपचार अधिनियम, 1955 (1955 का XLVI)।

(2) समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में, वर्ष विशेष के साथ प्रयुक्त "लेखा वर्ष" का अर्थ वित्त वर्ष अर्थात् अंड्रेस की पहली तारीख को प्रारंभ हो जाएगा। तथापि यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष वित्त वर्ष से भिन्न हो, तो इसका अर्थ प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष त होगा जिसका आधे त अधिक हिस्सा वित्त वर्ष विशेष में पड़ता हो। यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होता हो तो लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें पहला छठ माह पड़ता हो।

उदाहरण-यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 जनवरी, 2009 से प्रारम्भ होता हो, तो इस पंचाट में लेखा वर्ष 2009 का संदर्भ लेखा वर्ष 2009-10 के संदर्भ के रूप में लिया जाएगा। पुनः यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होता हो, तो इस पंचाट में लेखा वर्ष 2009 के संदर्भ को उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 2009-10 के संदर्भ में देखा जाएगा।

(3) "मूल मजदूरी" का अर्थ है-निर्धारित वेतनमान में, वर्षानु वेतन-वृद्धि राहित, यदि हो, लिया गया वेतन किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार की मजदूरी अथवा वेतन शामिल नहीं है, जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि।

(4) "अपेक्षा" का अर्थ इस पंचाट ने निर्धारित समूहों के तहत उरिलखिल समाचारपत्र कर्मचारियों से है।

(5) समाचारपत्र प्रतिष्ठान (समाचार एजेंसी के अतिरिक्त) के "सकल राजस्व" का अर्थ है- प्रतिष्ठान को उसके समाचारपत्र कारोबार के सभी खेलों, समाचारपत्र अथवा समाचारपत्रों के परिवालन तथा विज्ञापन राहित, सं प्राप्त राजस्व जिसमें समाचारपत्र कारोबार से अंजित निविधियों से ग्राप्त होनेवाले की गई परिस्थितियां और किए गए नियेश भी शामिल हैं।

व्याख्या- इस छंड के प्रयोजनार्थ

- (i) परिचालन और विज्ञापन के साथ मैं राजरब को ऐसी रुचि मान जाएगा जो अनुकूल है उनके कर्मीशन की सीमा तक उपरित अनुसन्धान करनीशन को घटाने के बाट पाया हो।
- (ii) उचित कर्मीशन बढ़ है जो किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के समझे में आद्यकर प्रार्थकरियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार गई हो। जिन मामलों में आद्यकर प्रार्थकरियों का ऐसा अंतिम निर्णय उपरब्द्ध न हो, वह परिचालन कर्मीशन संवित राजस्वी का 28 प्रतिक्रिया और विज्ञापन कर्मीशन 15 प्रतिक्रिया होगा।
- (iii) “समाचारपत्र कर्मचारी” का अर्थ अपनीवी पञ्चायार लंबाया और प्रतिक्रिया समाचारपत्र कर्मचारी 3(0) से है।
- (iv) “अग्रसूपी” का अर्थ इस पंचायत से अनुबद्ध अनुसूपी से है।
- (v) “वातिका” का अर्थ इस पंचायत के साथ संलग्न तालिका से है।
- (vi) “समाचारपत्र प्रतिष्ठान”, “अपनीवी पञ्चायार” तथा “गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी” शब्दों का अर्थ इस अधिनियम में उनके द्विर निर्धारित अनुसार हैं।

चंड 11

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण तथा समाचारपत्र कर्मचारियों का समृद्धन

3. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण- अमरीकी पत्रकारों द्वारा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियोंसमाचारपत्र एजेंसियों के अलावा) के संबंध में देतन के नियरण उनका पुनरीक्षण के प्रयोजन से, समाचारपत्र गैर-पत्रकार समृद्धन एवं वर्गीकरण एवं उत्पत्ति किया जाएगा, बताते-

- (i) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण तीन लेख वर्षों 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के सफल राजस्व कोसत पर अधिकारित हों। समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक समूहों के संबंधों को उत्तरक अग मान जाएगा।
- (ii) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के विभिन्न विभागों, शाखाओं तथा केंद्रों को उसके सकल शाखाये के आधार पर एक साथ जोड़े जाने के बावजूद, इस अध्याय के प्रतिष्ठान 6 में श्रेणीकृत सभी वर्गों के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की इकाई को, उन्हें साथ जोड़े जाने के प्रतिष्ठान 6, समाचारपत्र गैर-पत्रकार राजस्व के अनुसार संखें वर्गों में दो वर्गों से ऊपर नहीं बढ़ाया जाएगा।

व्याख्या- इस छंड के प्रयोजनार्थ,

- (क) यदि किसी शहर उथवा इसके पास के इलाकों में किसी वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान की विभिन्न इकाइयाँ/शाखाएँ/कार्यालयों हों, तो उन्हें समाचारपत्र प्रतिष्ठान की एकल इकाई ही सामाजिकर्यालय हो उनके नाम डेलग-ड्लग ही कही न हो।
- (ख) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान ऊपर उल्लिखित तीनों⁽³⁾ लेखा वर्षों में से दो को पूरा भर न हों, तो इसका वर्गीकरण उन दो वर्षों के सकल राजस्व और समाचारपत्र गैर-पत्रकार समृद्धन जाएगा।

- (ग) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान ने उक्त लेखा वर्ष में से केवल एक वर्ष पूरा किया हो, तो इसके वर्गीकरण का निर्धारण उस वर्ष के सकल राजस्व के आधार पर किया जाएगा।
- (घ) जिस नए समाचारपत्र प्रतिष्ठान पर उक्त खंड (क), (ख) और (ग) के उपर्युक्त लागू नहीं होते, तबसे प्रथम लेखा वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् उस वर्ष के लिए उसके सकल राजस्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

विवर-

उक्त खंड (क), (ख) और (ग) में किसी उल्लेख के होते हुए भी, जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान को दो (2) पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया गया हो, उसे जिस वर्ष में रखा जाना चाहिए, उससे एक कम वर्ष में रखा जाएगा तथा जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान को एक लेखा वर्ष के आधार पर वर्गीकृत किया गया हो, उसे जिस वर्ष में रखा जाना चाहिए उससे दो कम बाते वर्षों में रखा जाएगा। दोनों में से किसी भी मानसे में, यह वर्ग VIII से कम नहीं होगा।

4. वर्गीकरण की नियन्त्रता- इस अध्याय के उपर्युक्त के अनुरूप नियमित वर्गीकरण इस अध्याय के पैराग्राफ 7 के उपर्युक्त के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किए जाने तक जारी रहेंगा।

5. रखानित्य में परिवर्तन- यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का रखानित्य एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जाता है, तो इस अध्याय के पैरा 3 और 4 के उपर्युक्त उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान पर इस प्रकार लागू होने मानो पूर्ववर्ती रखानी के अंतर्गत संगत लेखा वर्षों के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठान का सकल राजस्व ही नए रखानी के अंतर्गत उन वर्षों के लिए इसका रजत्व हो।

6. समाचारपत्र एजेंसी का वर्गीकरण- समाचारपत्र प्रतिष्ठान या नियांकित वर्गों के अंतर्गत इस अध्याय के पैराग्राफ 3 के अनुसार उनके सकल राजस्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा।

वर्ग	सकल राजस्व	वर्ग	सकल राजस्व
I	एक हजार करोड़ रुपए और उससे अधिक	V	दस करोड़ रुपए और उससे अधिक लिंगु पचास करोड़ रुपए से कम
II	पाँच सौ करोड़ रुपए और उससे अधिक लिंगु एक हजार करोड़ रुपए से कम	VI	पाँच करोड़ रुपए और उससे अधिक लिंगु दस करोड़ रुपए से कम
III	एक हजार करोड़ रुपए और उससे अधिक लिंगु पाँच हजार करोड़ रुपए से कम	VII	एक करोड़ रुपए और उससे अधिक लिंगु पाँच करोड़ रुपए से कम
IV	पचास करोड़ रुपए और उससे अधिक लिंगु एक सौ करोड़ रुपए से कम	VIII	एक करोड़ रुपए से कम

नोट:- भारत में कार्यस्थल विदेशी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जिनका प्रधान कार्यालय भारत के बाहर हो, वर्ग I का समाचारपत्र प्रतिष्ठान माना जाएगा।

व्याख्या- इस खंड के प्रयोजनार्थ,

- (क) किसी भी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को वर्ग VIII से नीचे नहीं माना जाएगा।
- (ख) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान (वर्ग VIII से इतर) द्वारा प्रियालन और विज्ञापन को जोड़ने से प्राप्त सकल राजस्व में विज्ञापन राजस्व उवत राजस्व के 50 प्रतिशत से कम हों तो उसे

उस वर्ग से ठीक नीचे के दर्गे में रखा जाना चाहिए जिसमें यह कुल सकल राजस्व औसत के आधार पर रखा जाता।

- (ग) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान(वर्ग VII और VIII से इतर) हारा परिचालन वीर विज्ञापन को जोड़ने से ग्राम सकल राजस्व में विज्ञापन राजस्व उक्त राजस्व के 40 प्रतिशत से कम हो तो उसे उस वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग में रखा जाना चाहिए जिसमें यह कुल सकल राजस्व औसत के आधार पर रखा जाता। वर्ग VII के जिस प्रतिष्ठान का विज्ञापन सकल राजस्व के 40 प्रतिशत से कम है, उसे वर्ग VIII में रखा जाएगा।
- (घ) यदि किसी ज़िला शहर समाचारपत्र प्रतिष्ठान(वर्ग VIII से इतर) हारा भारतीय भाषा में समाचारपत्र का प्रकाशन किया जाता है जिसके पकाशनी की संख्या दो से ज्यादा नहीं है तथा जिसका विज्ञापन राजस्व कुल सकल राजस्व के पचास प्रतिशत से कम है, तो उसे उस दर्गे से एक नीचे के दर्गे में रखा जाना जाएगा जिसमें उसे कुल सकल राजस्व औसत के आधार पर रखा जाता।

7. यर्गोंकरण तथा पुनर्वर्गीकरण की निरन्तरता- (1) इस अध्याय के तहत दिया गया स्पष्टीकरण इस अध्याय के पैराग्राफ 6 के उपर्युक्तों के अनुसार समाचारपत्र प्रतिष्ठान लो पुनर्वर्गीकृत करने तक जारी रहेगा।

(2) तीन पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के सकल राजस्व औसत के आधार पर पंचाट के व्रद्धते वी तारीख से एक वर्ष के पश्चात, किसी भी समय नियोजित अवधा कर्मचारी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के पुनर्वर्गीकरण की मांग के लिए स्वतंत्र होने:

इन्हाँते ऐसे पुनर्वर्गीकरण जो भाग तीन तगातार लेखा वर्षों की किसी अवधि में एक से ज्यादा बार न की गई हों।

बशर्ते पैराग्राफ 7(2) के अनुसार ऐसे पुनर्वर्गीकरण को, मजीडिया येतन बोर्ड पंचाटों के कार्यान्वयन से ठीक पहले के बित्त वर्ष से थोक मूल्य सूक्षकाक के आधार पर, निर्धारित मूल्य वृद्धि में जनायोजित करना अपेक्षित हो।

8. समाचारपत्र कर्मचारियों का समूहन:

(1) वर्ग I से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के अन्यजीवी पत्रकारों को अनुसूची I के अंतर्गत समूहबद्ध किया जाएगा तथा समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में अन्यजीवी पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों की कार्यालयक परिमाणाएं अनुसूची I ख में दी गई हैं।

(2) वर्ग I से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों(प्रशासनिक कर्मचारी) को अनुसूची II में समूहबद्ध किया जाएगा।

(3) वर्ग I से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों (कारखाना कर्मचारी) को अनुसूची III के अंतर्गत समूहबद्ध किया जाएगा।

9. परिवर्ती येतन:

परिवर्ती येतन की अवधारणा निम्नांकित अनुसार दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है-

का। छठे वेतन आयोग ने ग्रैड-पे की क्षमताएँ की अनुशंसा की थी और सरकार ने उस पर बहुदान्वयन की सहमति दी थी। इसी प्रकार, समाचारपत्र प्रतिष्ठानों व तथा समाचार एजेंसियों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन की अवधारणा को प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है। परिवर्ती भल्ता समाचारपत्र उद्योग के कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन का विनिर्दिष्ट प्रतिशत होगा। आवास किराया भल्ता, छुट्टी यात्रा भल्ता आदि जैसे समस्त भल्तों की गणना कर्मचारी पर अनुप्रयोज्य संशोधित मूल वेतन तथा परिवर्ती भल्ते के कुल बोग के बराबर होगा।

ख। वेतन बोर्ड द्वारा अनुशंसित परिवर्ती वेतन ठेला आधार पर कार्यरत समेत समस्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन के बराबर होगा तथा प्रथम अनुशंसित परिवर्ती वेतन से अधिक के भुगतान के लिए स्वतंत्र होगा बरता यह अनियोन्य के निष्पादन, समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के साम तथा व्यवहार्यता के अनुकूल रहा हो।

खंड III

पुनरीक्षित वेतनमान तथा भल्ते

10. अमजीवी पत्रकारों का पुनरीक्षित वेतनमान- (1) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के विभिन्न दर्गों में कार्यरत पत्रकारों के प्रत्येक समूह के लिए 20 वर्षों की अवधि हेतु वेतन बोर्ड द्वारा यथासंस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान तथा परिवर्ती वेतन तालिका- I में निर्धारित है।

(2) प्रत्येक अंशकालिक संवाददाता तथा अंशकालिक छायाकार यदि जिला मुख्यालयों अथवा इससे ऊपर तैनात हो तो उसे मूल वेतन के न्यूनतम 40 प्रतिशत और यदि जिला मुख्यालय से नीचे के स्तर पर तैनात हो तो उसे न्यूनतम 30 प्रतिशत का तथा उन स्तरों पर पूर्णकालिक संवाददाता/छायाकार के लिए अनुप्रयोज्य महंगाई भल्तों का भुगतान किया जाएगा, बरता कोई अंशकालिक संवाददाता/छायाकार दो ते अधिक समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में कार्य न कर रहा है। इसके अलापा, उसे कॉलम आधार पर भुगतान किया जाएगा जिसकी दर का निर्धारण अंशकालिक संवाददाता तथा अंशकालिक छायाकार को मिल रहे मूल वेतन तथा महंगाई भल्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

11. गैर-पत्रकारों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान- (1) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ही विभिन्न लेणियों में गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों, अर्थात् प्रशासनिक कर्मचारी तथा कारखाना कर्मचारी के प्रत्येक समूह के लिए 20 वर्षों की अवधि हेतु वेतन बोर्ड द्वारा यथासंस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान तथा परिवर्ती वेतन क्रमशः तालिका- II तथा तालिका- III में निर्धारित है।

(2) समय दर आधारित कर्मचारी, अर्थात् ऐसे व्यक्ति को जो निर्धारित से लगता अथवा अधिक के लिए समय दर वाले कर्मचारी(समय-कार्य) के रूप में नियोजित है तथा नियन्त्रित कर्मचारी का कर्तव्य निर्वाह करता है, उन घटों की संख्या के लिए नियन्त्रित कर्मचारी के वेतन के समतुल्य यथानुपात आधार पर भुगतान किया जाएगा जिसके लिए उसे नियोजित किया गया है।

(I) व्याख्या- उच्चते प्रशासन 10 और 11 के लिए

(क) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में वेतन वृद्धि के संभावित परिणाम की व्याख्या निम्नानुसार होगी

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में प्रस्तुत दिश्लेखणात्मक ऑफर्ड्स से पता चलता है कि समाचारपत्र उद्योग ने कर्मचारियों की नज़दीकी और वेतन में सामान्यता, प्रतिष्ठान के सकल राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर वृद्धि हुई है और वेतन बोर्ड को समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा वेतन तथा सकल राजस्व के बारे में प्रस्तुत सुचनाओं से भी कुछ हद तक इसकी पुष्टि होती है। वेतन बोर्ड का प्रस्ताव क्रमशः चर्ग । से IV तक के समाचारपत्र उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में क्रमशः 35 और 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का है जिसमें

कर्मचारियों का अंतरिम वाहत भी शामिल है। लगभग, इसका अर्थ यह होगा कि इस वृद्धि से वर्ग क्रमशः । से IV और वर्ग V से VIII के दायरे में आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में वेतन सकल राजस्व का लगभग 13.5 प्रतिशत होगा। अतः इससे राकल राजस्व पर नहज 3.5 प्रतिशत का बोझ बढ़ेगा। इसी तरह, वर्ग V से VIII तक के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने बांडा सकल राजस्व का महज 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इतना ही नहीं, समाचारपत्र प्रतिष्ठान का यह अनियन्त्रित योजना कालांतर में नगण्य हो जाएगा जैसा कि पहले भी डोना रहा है। समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा प्रत्युत्त पितीय आंकड़ों के अनुसार, बोर्ड महसूस करता है कि इस मामूली वृद्धि को बहन करना उनके लिए बिल्कुल संभव है।

ख) समाचारपत्र कर्मचारियों के लाभ के संबंध में

- i) वर्ग I से IV के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के मामले में, जहाँ परिवर्ती वेतन के परिणामस्वरूप 35 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की गई है, समाचारपत्र कर्मचारियों का बोन्डा मूल वेतन लगभग 2.90 से 3.20 गुने वड़ा जाएगा, तथा
- ii) वर्ग V से VIII के दायरे में आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के मामले में, जहाँ परिवर्ती वेतन के परिणामस्वरूप 30 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की गई है, वर्तमान मूल वेतन में लगभग 2.80 से 3.08 गुने की वृद्धि होगी।

12. संशोधित वेतनमानों में भजदूरी का आहरण- (1) इस पंचाट में अन्यथा उल्लिखित को छाड़कर, समाचारपत्र कर्मचारी संशोधित वेतनमान में उस समूह के लिए अनुप्रयोज्य वेतन आहसित करेगा जिससे वह संदर्भित है।

13. महंगाई भत्ता- (1) महंगाई भत्ते की रक्काधित दरों का भुगतान अम व्यूसो द्वारा संकलित अंगिल मार्तीय औद्योगिक अमिल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(2001=100) के औसत के अनुसार किया जाएगा तथा 01.07.2010 से प्रभावी होगा तथा 01.07.2010 से प्रभावी होगा।

(2) महंगाई भत्ते का भुगतान उमाही आधार पर प्रतिवर्ष 1 जुलाई तथा 1 जनवरी से देय होगा तथा पूर्ववर्ती 12 नहींनोंजिसके लिए अंगिल भारतीय औसत औद्योगिक अमिल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार 201-100)का उपयोग महंगाई भत्ते की दर के निर्धारण हेतु किया जाता है) के आंकड़े प्राप्त होते ही संस्रीकृत किया जाएगा। महंगाई भत्ता 12 माह की उस अवधि के तुरंत वाट के माह के प्रारम्भ से देय होगा जिसके लिए महंगाई भत्ते की दर के निर्धारण हेतु प्रयुक्त अंगिल मार्तीय औसत सूचकांक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

(3) औद्योगिक अमिल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अदंधवार्पिक रूप से देय महंगाई भत्ते के निर्धारण हेतु शून्यीकरण की दर समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी समूहों के मूल वेतन का 100 प्रतिशत होगा तथा इसकी गणना तालिका-IV के फार्मूले के अनुसार की जाएगी।

(4) महंगाई भत्ते की गणना हेतु शून्यीकरण दर तालिका- IV के द्वारा 100 प्रतिशत होगी।

व्याख्या- इस प्रयोगाक के प्रयोजनार्थ-

पंचाट के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए महंगाई भत्ता वर्तमान दरों पर दिया जाएगा।

14. आवास किराया भत्ता- समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को "एक्स", "वाई" तथा "जेड" इलादों के रूप में परिभाषित इलाकों(जो केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम भजदूरी के निर्धारण

हेतु पालित पद्धति पर तथा मेट्रो, नगरों तथा शहरों में समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा संख्या पर आधारित है) के लिए क्रमशः 30,20 तथा 10 प्रतिशत की दर से आवास किराया भत्ता दिया जाएगा। "एक्स", "वार्ड" तथा "जेड" इलाकों का नगरी के रूप में वर्गीकरण तालिका-V में दिया गया है।

अशर्ते-

- (1) यदि कर्मचारी को समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हो, वहाँ कोई आवास किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- (2) यदि कर्मचारी को आवास किराया भत्ता का मुग्जतान किया जा रहा हो, तो उसे इस प्रावधान के तहत देय आवास किराया भत्ता की राशि को समायोजित किया जाएगा।
- (3) यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान कर्मचारी को अपना आवास लेने के लिए कर्मचारी की ओर से किसी निधि में कोई राशि देता हो, तो उस राशि को इस प्रावधान के अंतर्गत देय आवास किराया भत्ता में समायोजित किया जाएगा।

15. परियहन भत्ता- "एक्स", "वार्ड" तथा "जेड" इलाकों के रूप में परिमाणित इलायाँ के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को क्रमशः 20,10 तथा 5 प्रतिशत परियहन किराया भत्ता दिया जाएगा। "एक्स", "वार्ड" तथा "जेड" इलाकों का निर्बारण तालिका-V में किया गया है।

यह देखते हुए कि वेतन बोलों ने परियहन भत्ता की संस्तुति की है जो समाचार पत्र कर्मचारियों सहित निवासियों द्वारा किया गया बड़ा व्यय होता है, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता समाप्त किया जाता है।

16. राशि पाली भत्ता- तमाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा राशि पाली के अनन्त कर्मचारियों को निम्नानुसार भत्ता दिया जाएगा:

समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्ग	प्रति राशि पाली दर	समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्ग	प्रति राशि पाली दर
I तथा II	100 रु.	V तथा VI	50 रु.
III तथा IV	75 रु.	VII तथा VIII	50 रु.

17. विपक्ष भत्ता- (1) वर्ग I से IV तक के ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को, जो समुद्रतल से 5000 फीट(1524 मीटर) से ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र पर अथवा अशात् क्षेत्र में स्थित हो, 1000/- रुपए प्रतिमाह की एकनुस्त राशि दी जाएगी।

(2) वर्ग V से VI तक के ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को, जो समुद्रतल से 5000 फीट(1524 मीटर) से ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र पर अथवा अशात् क्षेत्र में स्थित हो, 500/- रुपए प्रतिमाह की एकनुस्त राशि दी जाएगी।

(3) वर्ग VI और VII के समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों पर लठिनाई भत्ता अनुप्रयोज्य नहीं होगा।

व्याख्या- इस प्रोग्राम के प्रयोजनार्थ-

अशात् क्षेत्र का अर्थ सरकार, जैसे-राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार(जैसा भी मामला हो) द्वारा संगत अधिनियम के अंतर्गत घोषित अशात् क्षेत्र से है।

18. छुट्टी यात्रा भत्ता(एलटीए)- वर्ग VI और VIII के समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर, सभी कर्मचारियों को एक माह के मूल यैतन के बाबादर यात्रा छुट्टी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। एलटीए दो वर्ष के ब्लॉक वर्ष में एक बार निलेगा। इसी छुट्टी ली गई हो तथा पास्त्रिक यात्रा हो जहाँ आवश्यक कागजात प्रस्तुत किए गए हों।

19. चिकित्सा भत्ता- (1) वर्ग I वौर II तथा वर्ग III और IV के समाचारपत्र प्रतिष्ठान में जारी होने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह प्रति कर्मचारी लम्बा 1000 रु. तथा 500 रु. की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। समाचारपत्र प्रतिष्ठान के साथ परानर्स कर, कर्मचारी स्वास्थ बीमा का विकल्प द्वारा सक्रिय है तभी श्रीमियम प्रतिवर्ष स्वीकार्य चिकित्सा भत्ता से अधिक न हो।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दायरे में आ रहे कर्मचारियों को कोई चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(3) वर्ग V से VIII के दायरे में आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान अपने समस्त कर्मचारी को चिकित्सा बीमा देंगे तथा बीमा कम्पनी को प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 2000 रु. की दर से श्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

20. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण- पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा।

- क) नए कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
- ख) यदि कर्मचारी पहले ही से समाचारपत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत हो, तो पुनरीक्षित वेतनमान में उनका वेतन भौजुदा परिवर्धियों से अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
- ग) यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम कर्मचारी हाता वर्तमान में आहरित परिवर्धियों ली राशि से अधिक हो, तो वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर किया जाएगा।
- घ) यदि कर्मचारी की भौजुदा परिवर्धिया पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है तो वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के अगले चरण में किया जाएगा।
- इ.) प्रत्येक कर्मचारी को इस घंटाट के लागू होने की तारीख से ठीक पहले के पद पर प्रत्येक पौर्ण रोपा वर्ष के लिए, संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी।
- ज) जहाँ तक सुनिश्चित करिअर विकास का प्रश्न है, प्रत्येक कर्मचारी को उसके संबंधाल में कम से कम 30 रुपये से कम तीन पदोन्नति दी जाएगी, अर्थात् पहली पदोन्नति दस वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में, दूसरी पदोन्नति दी तथा वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में तथा तीसरी पदोन्नति तीस वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में।
- क) कर्मचारी हाता उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान में वेतनमान (जिसका न्यूनतम कर्मचारी के काम वाले वेतनमान के न्यूनतम के अधिकतम 30 प्रतिशत से कम न हो) वाले किसी भव्य घट पर दी गई सेवा को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- ज) वेतन वृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।
- झ) किसी भी कर्मचारी को पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं मिलेगा।

(ii) पुनरीक्षित चेतनामान । जूलाई 2010 से सभी कर्मचारियों पर अनुमतिलेना होगा। तथापि, यहाँ कर्मचारी इन अनुमतियों के प्रवर्तन के लिए अधिनियम की मात्र 12 वें बाल्कन सारकारी अधिकारियों के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताहों के भीतर, अपने पैकेज में समानान सबसे "कर्तव्यान परिवर्तनीयों" को ही बनाए रखने का विकल्प चुनता है, तो वह अपनी वीवूचा वेतनप्रदान तथा ऐसी परिवर्तियों को बनाए रखने का पात्र होगा।

उपर्युक्त-

(1) कर्मचारी की "कर्तव्यान परिवर्तनीयों" का अर्थ है- उसका मूल वैतन, जुलाई 2009 से जून 2010 तक अपनी के दौरान 167 पर औद्योगिक अंगिक उआधोवता मूल्य सूचकांक के अधिक गास्टीय गौसत पर मैरिटी महंगाई अवार 2001=100), परिवर्तन कारक 4.63 द्वारा परिवर्तनीय औद्योगिक अंगिक उआधोवता मूल्य सूचकांक अवार 1982=100), समजीवी पदकारी तथा गैर-पत्रकार लभाचारपत्र कर्मचारियों की लिए गया अनुपयुक्त दिनांक 25 अगस्त, 2008 की अधिसूचना मेंख्या क्रमांक 2524(3) तथा 2525(3) द्वारा गोवीकृत मूल वैतन के 30 घण्टियत के बराबर अंतरिम राखत।

(2) कर्मचारी की "अतिरिक्त परिवर्तियों" का अर्थ है उमावारपत्र प्रतिलिपि द्वारा सामूहिक सीदेकालिता, समजीवी अवार पांचाट, मूल वैतन में वृद्धि के रूप में, महंगाई भल्ता अवार राहत के अपने गोवा।) के तहत उपर्युक्त "कर्तव्यान परिवर्तियों" से इतर परिवर्तियां।

(3) अधिकारी के 'अतिरिक्त भल्तों' का अर्थ है भासिक भुगतान, वाहे लक्ष युक्त भी नाम दिया गया है, जो न लो लागी तथान दिशें से रखद्द है और न ही जिसे वैतन पुनरीक्षण अवार महंगाई भल्तों से जोड़ा गया है।

21. वास्तव में व्यवसाय प्रारंभिक भूतलाली प्रभाव से कार्यान्वयित किए जाने के कालण, इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से देव बकाएयदि हो तो का भुगतान इस पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से पहले क उठ नह जाए जीन समान नियमों में दिया जाएगा तथा पहली किश्त का भुगतान तीन महीने के पीतर होगा।

उपर्युक्त-

उस पंचाट के कर्तव्यान्वयन की तारीख से पूर्व के तीन लेखा वर्षों में लंगातार भारी नकद नुकसान डेल रहे यागाचारपत्र प्रतिलिपि को किसी भी बकाए के भुगतान से छुट दी जाएगी। तथापि, इन समावारपत्र प्रतिष्ठानों कोडेड्स पंचाट के कार्यान्वयन की तारीख अर्धात् 1 जूलाई, 2010 से, अपने कर्मचारियों का वैतन पुनरीक्षित चेतनामान गोवान्वयन वालात पर निर्धारित रूपना होगा।

22. भल्तों के प्रधालन की तारीख पंचाट में निर्धारित आवास किराया भल्ता, परियहन भल्ता, कठिनाई भल्ता अवार किसी भी अन्य प्रकार का भल्ता इस पंचाट की अधिसूचना की तारीख से प्राप्ती होगा, बशर्ते पंचाट में अन्यथा याचना न तो गई हो।

अनुसूची-1.क

(यागाचारपत्र प्रतिष्ठानों गोवीकृत अपनीवी पत्रकारों का समूहन)

समूह-1 क: सम्पादक, प्रधान सम्पादक, मुख्य सम्पादक, उप मुख्य सम्पादक

समूह-1 : कार्यकारी सम्पादक, स्थानीय सम्पादक, शब्दधक (सम्पादक), वरिष्ठ एसोसिएट सम्पादक अवार एसोसिएट सम्पादक, संयुक्त सम्पादक, वरिष्ठ उप सम्पादक अवार डिप्युटी

सम्पादक, समाचार खुशी प्रमुख और मुख्य समाचार समन्वयक अधिकारी भूत्यक राज्यपाल सम्पादक।

समूह-2 : वरिष्ठ सहायक सम्पादक अधिकारी सहायक सम्पादक, लीडर राईटर, समाचार सम्पादक, समाचार समन्वयक, विशेष संवाददाता।

समूह-3 : मुख्य रिपोर्टर अधिकारी मुख्य संवाददाता, मुख्य उप-सम्पादक अधिकारी केटेट प्रमुख, डिप्युटी अधिकारी सहायक समाचार सम्पादक, फोटो सम्पादक, खेल सम्पादक, विभिन्न सम्पादक, विज्ञप्ति सम्पादक, आर्थिक सम्पादक, चर्टोफ एक्सचेंज चेयर सम्पादक, फिल्म सम्पादक, विवर सम्पादक, मैगजीन सम्पादक, और सभी विषय-विशेष से जुड़े अन्य मुख्य तथा सम्बद्ध अधिकारी सम्पादक; मुख्य कार्टूनिस्ट अधिकारी कार्टूनिस्ट, सम्पादकीय प्रौद्योगिकी प्रमुख, लाइब्रेरी अधिकारी अनुसंधान प्रमाण के प्रमुख, मुख्य अधिकारी प्रवान अनुसंधान विशेषक; मुख्य अधिकारी समाचार लियाकार, मुख्य पुस्तकालयाधीक्षा; मुख्य सुलेखकार सहायक; मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार, वेज डिजाइनर अधिकारी सुख्य किनार्नर, समाचार अन्दर के सभी प्रमुख, विदेश सम्बन्धदाता, विशेष सम्बन्धमाता, राज्य की राजधानी में रह रहे नाम सरकार से मान्यताप्राप्त मुख्य अधिकारी प्रवान संवाददाता, विशेष संवाददाता से इतर रहे सरकार से मान्यताप्राप्त संवाददाता और, अन्य अनुगामी तथा वैज्ञानिक के प्रमुख जो उच्चतम् शैक्षणी में न रखे गए हैं।

समूह-4 : डिप्युटी मुख्य उप-सम्पादक वरिष्ठ उप-सम्पादक अधिकारी पाली प्रभारी उप सम्पादक, सहायक मुख्य उप सम्पादक/रिपोर्टर, डिप्युटी मुख्य रिपोर्टर अधिकारी वरिष्ठ रिपोर्टर, और राजी विषय-विशेष से जुड़े उन्हें डिप्युटी अधिकारी अधिकारी उप सम्पादक, योग्य सुलेखकार, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी उप सम्पादक अधिकारी लेखालट कलाकार, वरिष्ठ पुस्तकालयाधीक्षा अधिकारी-उप सम्पादक कलाकार, वरिष्ठ सूक्षकांक सहायक, वेजन अनुसंधान विशेषक चाहाड़ा लाइब्रेरी के अनुसंधान द्वारा उप सम्पादक, सम्प्रस्कृत ग्रन्थालय उप प्रमुख और प्राप्तवाक्य अन्य सम्पादक, वरिष्ठ छायाकार लक्षण योग्य एकान्त छायाकार अधिकारी विशेष सम्बन्ध प्राप्तवाक्य अधिकारी उप प्रमुख समाचार छायाकार अधिकारी उप प्रमुख छायाकार, युवा भाषा सहायक अन्य सुलेखकार/सुलेख रक्कीनर विवरण।

समूह-5 : उप-सम्पादक, रिपोर्टर, पत्रकार अधिकारी संवाददाता, समाचारभाषणकार, कलाकार, नामित सहित सुलेखकार, पुस्तकालयाधीक्षा अधिकारी सहायक पुस्तकालयाधीक्षा अधिकारी वृत्तकांक सहायक, माचा सहायक, डिजाइनर, अनुसंधानकर्ता, मुख्य पूक्षोषक तथा वरिष्ठ योजनाकार/वरिष्ठ रक्कीनर विवरण।

समूह-6 : विभाग पूक्षोषक सहित पूक्षोषक अधिकारी वरिष्ठ पूक्षोषक अधिकारी उप मुख्य पूक्षोषक अधिकारी सहायक पूक्षोषक, योजनाकार, एकान्त/रक्कीनर और रिपोर्टर, सहायक छायाकार तथा किसी अन्य समूह के तहत उल्लिखित ऐसे समर्त वयजीवी पत्रकार जिन्हें रखापना द्वारा उच्चतर शैक्षणी में न रखा गया हो।

नोट (1): अनुसूचियों ने वरिष्ठता से भिन्न उप में पदनामित कोई भी ऐसे समाचारपत्र वर्तनार्थी को, जो अनुसूची के किसी समूह के समान अधिकारी समान प्रकृति का कार्य कर रहा हो, उसी समूह का अनुसूची पत्रकार बना जाएगा।

(2): अनुसूची में उल्लिखित समर्त कर्मचारी शैक्षणी एवं विवरण समाचारपत्र वर्तनार्थी वैक्षणीकी सकती है और नहीं जी।

प्रश्न संख्या १५
काव्यीतिहास परिचय-शास्त्रीयोग-प्रबन्ध

प्रश्नोऽपि १५

१. ग्रन्थमध्येष्ट कलेक्टर 'दुर्दृश सम्भव' का अर्थ है कि जो सम्भवतये का सन्
प्राप्ती है।

२. 'उप दुर्दृश सम्भवक' का अर्थ उस कलेक्टर के है जो दुर्दृश सम्भवता का कलेक्टर के लिए है जो सहजता करता है और उसकी कलेक्टिवी वे इसके लिए जारी आये जाते हैं।

३. 'सम्भवक' का अर्थ उस अविज्ञ द्वारा है जो सम्भवार्थक वे दुर्दृशतये कार्य का निर्दृशन केरा उपरा-
देख ऐसे करता है।

प्रश्नोऽपि १६

१. 'आदेशकी सम्भवतये कलेक्टर [सम्भवक]' का अर्थ है कि जो सम्भावना-
सम्भवकीय और ग्राहकतान काव्य में लिखता है और वे रामानीय सम्भावक, सम्भवक सम्भावना-
विधि के कार्य का वर्णनकारी तो आव्यय न करता है।

२. 'रामानीय सम्भावक' का अर्थ उस व्यक्ति है जो विवरणकारी विवर प्राप्ति करने के सम्भावक, सम्भवक, सम्भव-
सम्भावक सम्भावकपत्र सम्भावना के विवर की विवरणकारी के सम्भावक, सम्भवक या ज्ञान-
नियादन करता है।

३. 'विशेष एकोनिष्ठ सम्भवक' का अर्थ उस व्यक्ति है जो विवरणकारी सम्भवक, सम्भव-
उप सम्भावक अथवा 'उप सम्भवदत' वा अर्थ दूष लिखते हैं जो विवरणकारी, सम्भवक या ज्ञान-
नियादन से सहजता देता है।

४. 'समाधार द्वारो प्रगुण' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाधार द्वारे के कार्य से सीधे जुड़ता है
और व्यापो-सदस्यों द्वारा जोपना है।

५. 'नुख्य समाधार सम्भवदत' अथवा 'नुख्य समाधार उपभोगत' वा 'नुख्य अविज्ञन से है वा
समाधारपत्र में लिखित होने वाली समरत समाधार यामपिता को उपर्योग के कार्य के सम्भावना-
करण है देखा समाधार सम्भवकों अथवा समाधार सम्भवकों के कार्य का प्रयोग करता है।

प्रश्नोऽपि १७

१. 'विवर लाहायण सम्भावक' अथवा 'लाहायण सम्भावक' का अर्थ एक व्याकरण है जो सम्भावना-
समीक्षाई-विधासी उपभोगियों अथवा आवीशकाओं लोटी के जागी में सम्भावक के उपरांत उपरांत
नियोगित रूप से नियोगित रूप से सहजोग करता है।

२. 'सेंडर राईटर' का अर्थ उस व्यक्ति है जो विवेषक व्यक्ति है जोकि ज्ञाना के नियोग विधासी अथवा आवीशक अथवा आवीशक व्यक्ति जीवन के लिये जरूरी है।

प्रश्नोऽपि १८

11. 'समाचार समादक' अथवा 'समाचार समन्वयक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समाचार विभाग के कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है तथा समाचारपत्र के समस्त संस्करणों की समाचार सामग्री के लिए उत्तरदायी है।
12. 'विशेष संचाददाता' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके दायित्वे में नियमित रूप से समाचार, राजनीतिक तथा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण एक प्रत्यायित संचाददाता के रूप में शामिल है अथवा केन्द्र सरकार के मुख्यालय पर अथवा किसी विदेशी केन्द्र पर अथवा नियमित रूप से ऐसे ही कार्यों का निपादन एक से अधिक राज्य में अथवा उसके सीधे गए किसी अन्य स्थान पर करता है।

समूह-3

13. 'मुख्य रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रकाशन केन्द्र पर सभी रिपोर्टों का प्रभारी है उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा नियमित रूप से विधायी, राजनीतिक अथवा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण भी करता है।
14. 'उप अथवा लहान्यक समाचार संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः समाचार संपादक के दायित्व निर्वहन में सहायता करता है और/अथवा सिटी संस्करण निकालने का प्रभारी है।
15. 'मुख्य उप संपादक अथवा विधय सूची मुखिया' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार डेरल पर एक शिफ्ट का बार्ज रखता है, एक अथवा एक से अधिक रूप संपादकों को कार्य आवंटित तथा पर्यवेक्षण करता है तथा सामान्यतः न्यूज स्पैस के नियोरण तथा समाचार अथवा इसके किसी विशेष संरक्षण अथवा इसके अंश में समाचारों के सामान्य डिस्प्ले हेतु उत्तरदायी होता है।
16. 'फोटो संपादक' से अभिप्राय न्यूज एजेंसी फोटो सेवा के संचालन तथा सेवा के समन्वयन प्रभारी से है।
17. 'वाणिज्यिक ज्ञापादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वाणिज्य, वित्त, व्यापार, उद्योग से संबंधित समाचारों एवं विधायाँ तथा उन पर टिप्पणियों को देखता है तथा एक अथवा उससे अधिक रिपोर्टरों को कार्य आवंटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
18. 'आर्थिक संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार पत्र के सामान्य आर्थिक न्यूज जनमतों को प्रकाश में लाने का प्रभारी है तथा एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों के द्वारा उपर्योग करता है।
19. 'स्टोक एक्सचेंज सेवा सम्पादक' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के स्टोक एक्सचेंज सेवा विभाग का प्रभारी होता है, स्टोक एक्सचेंज सेवा और रुपद्वारा कार्गिकलाएं के समाचारों और विधायाँ को ढील करता है, एक अथवा एक से अधिक रिपोर्टरों और एक अथवा एक से अधिक उप

- समाचारों को कार्य ग्राहित करता है और उसका पर्येक्षण करता है तथा सामान्यतः इनके एक्सचेंज सेवा समाचार सेप्स के नियांरण और सामान्य डिस्प्ले डेतु संसरदायी होता है।
20. 'विज्ञान संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेष समाचारों को देखता है और समाचार पत्र की विज्ञान सेवाओं के निष्पादन का प्रभारी है।
 21. 'फिल्म संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फिल्मों तथा मंथ से संबंधित समाचारों को देखता है तथा मध्य एवं स्टील से संबंधित विशेष लॉलम अथवा पेज का प्रभारी है और एक अथवा एकाधिक कार्यरत पत्रकारों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
 22. 'फीचर संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फीचर्स को देखता है तथा न्यूज एजेंसी की फीचर सेवा के निष्पादन का प्रभारी है तथा इन किंवाकलाओं में लगे एक अथवा एकाधिक अमजीदी पत्रकारों, रिपोर्टर अथवा संचारदाता के कार्य का पर्येक्षण करता है।
 23. 'पत्रिका संपादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो साहित्यिक ग्रन्थों मनोरंजन मर्दों के ग्राससंग्रह समाचारों एवं विचारों तथा अन्य संबंधित साहित्य के विषयों से जुड़े समाचारों एवं विचारों को देखता है तथा विनिरिट्ट कॉलमों अथवा पेजों का प्रभारी है तथा वो अथवा अधिक अमजीदी पत्रकारों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
 24. 'एस्ट्रॉनिस्ट अथवा मुख्य कार्टनिस्ट' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कार्टून, कैरीकोपर्स अथवा हास्य चिट्ठास के माध्यम से समाचारों तथा घटनाओं पर टिप्पणिया करता है।
 25. 'सम्पादकीय प्रौद्योगिकी प्रमुख' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो दैनिक समाचारादारों अथवा पत्रिकान के प्रकाशन के संबंध में अचुनातन प्रौद्योगिकी लाने के लिए प्रौद्योगिक प्रभाग का प्रभारी होता है तथा उस क्षेत्र में एक अथवा उससे अधिक विशेषज्ञों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
 26. 'सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग मुखिया' से अभिप्राय सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग प्रभारी से है जो वित्तीय अखबार में वाणिज्य, वित्तीय, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित मामलों को देखता है तथा एक अथवा एकाधिक अमजीदी पत्रकारों का पर्येक्षण करता है।
 27. 'मुख्य अथवा प्रधान अनुसंधान विश्लेषक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अनुसंधान प्रभाग का प्रभारी होता है जो विश्लेषणात्मक अध्ययन की अपेक्षा रखने वाले सभी विषयों में डील करता है तथा उस क्षेत्र से जुड़े एक अथवा उससे अधिक अमजीदी पत्रकारों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
 28. 'मुख्य समाचार फोटोग्राफर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक समाचार फोटोग्राफरों को कार्य प्रावेदित करता है तथा एर्येक्षण करता है।
 29. 'मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष' अथवा 'मुख्य सूचकांक सहायक' अथवा 'मुख्य सुलेखक' अथवा 'मुख्य आर्टिस्ट' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कलात्मक एवं अधिकारिक पुस्तकालयाध्यक्षों, सूचकांक साहायकों, सुलेखकों तथा कलायारों के कार्य का पर्येक्षण करता है।
 30. 'मुख्य डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा उससे अधिक पेज डिजाइनरों द्वारा कार्य आवेदित करता है और उनके काम का पर्येक्षण करता है तथा जो समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले किसी शहर अथवा विशेष संबंधी पृष्ठ अथवा पृष्ठों की न्यूज आइटम के कैटटेस डिजाइन करता है।

31. 'ऐज डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विशेष पृष्ठ अथवा समाचार पत्र के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार मटों की विषय वस्तु का डिजाइन करता है।
32. 'समाचार व्यूरे उप प्रमुख' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो व्यूरो अथवा कार्यालय के कार्य पर नियंत्रण रखता है और उसका पर्यवेक्षण करता है तथा समाचार व्यूरो प्रमुख के समग्र मार्गदर्शन तथा देखरेख में व्यूरो-सदस्यों को संचापता है।
33. 'विदेश सम्पाददाता' से अभिप्राय विदेश में तैनात ऐसे व्यक्ति से है जो उस देश अथवा देश के हिस्से से समाचार कराएज करता है जहाँ उसे तैनात किया गया होता है।
34. 'विशेष सम्बाददाता' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो बैल्ड सरकार द्वारा प्रत्यायित है और जिसके कर्तव्य संसदीय, राजनीतिक अथवा सामान्य महत्व के समाचारों की रिपोर्ट करना है अथवा ऐसे व्यक्ति से है जो किसी महानगरीय केन्द्र में गार्हिक महत्व वालगा राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के समाचार कवर करने में विशेषज्ञता रखता हो।
35. 'मुख्य अथवा प्रधान संचाददाता' वह संचाददाता है जो राज्य सरकार से भान्यता प्राप्त है तथा संचाददाता विशेष संचाददाता एवं अन्य विभागीय अधिकारी द्वारा गुरुत्वात् के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से भान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है।

समूह-4

36. 'डिप्यूटी मुख्य उप-संचादक' अथवा 'वरिष्ठ उप-संचादक' अथवा 'किफ्ट प्रमोरी उप सम्पादक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से मुख्य उप-संचादक को उनके कार्य के निर्वहन में सहायता करता है तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य करता है।
37. 'सहायक उप मुख्य संचादक/रिपोर्टर अथवा डिप्यूटी मुख्य उप-संचादक/रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य उप संचादक अथवा डिप्यूटी मुख्य उप संचादक अथवा वरिष्ठ उप संचादक को नियमित रूप से उसके कार्यों के निर्वहन में भान्यता करता है।
38. 'उप मुख्य रिपोर्टर' अथवा 'वरिष्ठ रिपोर्टर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुख्य रिपोर्टर की सहायता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।
39. 'उप मुख्य अथवा वरिष्ठ डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सिटी अथवा विशेष पृष्ठ अथवा 'अखबार' के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार मटों की विषय वस्तु को मुख्य डिजाइनर अथवा पृष्ठ डिजाइनर के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत डिजाइन करता है।
40. 'वरिष्ठ संचाददाता' से अभिप्राय विशेष एवं प्रधान संचाददाता से मिल उस व्यक्ति से है जिसके कार्य तथा दायित्वों में प्रकाशन केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र पर गहत्वपूर्ण समाचारों की रिपोर्टिंग शामिल होगी तथा संचाददाता अथवा रिपोर्टर के रूप में कम से कम पाँच साल तकी हो।
41. 'सहायक फोटो संचादक', 'वरिष्ठ फोटोग्राफर अथवा वरिष्ठ स्टाफ फोटोग्राफर', 'विशेष समाचार फोटोग्राफर अथवा उप मुख्य समाचार फोटोग्राफर', 'उप मुख्य फोटोग्राफर' अथवा ये कर्मचारी किसी भी नाम से पदनामित हो, से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने फोटोग्राफी व्यवसाय में कम से कम पाँच साल की सेवा की हो तथा जो इस क्षेत्र में फोटो संचादक को अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता भी करता है।

42. "मुख्य भाषा सहायक" में 'अभिधारा' होने वाली है हूँ को समाचारक जिस भाषा में प्रयोगित किया जाता है उस भाषा में विभिन्न भाषाओं से अर्थ निकालने और अनुवाद करने में अंग साझी मासा इहागलों के लिए काफी उपयोग करता है।

43. "मुख्य व्याजनावार" में अभिधारा ऐसे व्यक्ति है है जो कोई समाज में समाजन और व्याजन समाजन के कार्य की देखरेख करता है, इस तरह व्याजनावार अपना गोनावार दरवा [AV] गर समाजर विषयों को सुखरित करता है।

44. "मुख्य स्कॉपर औपरेटर" से अभिधारा उस व्यक्ति से है जो चरित्र सेवन औपरेटर अभ्यास औपरेटर द्वारा तेवार फोटोग्राफरिंगिन विज्ञान/उद्देश्य तथा कोटेजग्राम [L] द्वारा स्कॉपर को स्कॉप करता है।

45. 'चरित्र सुलेखक', 'परिच अध्या या मुख्य आर्टिस्ट' अध्या 'कलिल नवाचा तथा शुद्ध पुस्तकालयालय', 'यरिच चुम्पकोक सहायक' तथा 'वरिल लुम्पालन कल्याणी' से अभिधारा व्यक्ति से है जो मुख्य सुलेखक, मुख्य कलाकार, पुस्तकालयालय, शुद्ध सुपारिन, बजारा तथा मुख्य सांख्यिकी अध्यक्ष अनुसंधान प्रयाग, केला भी मानसा है, वो स्वाचारा बाला है तथा ताम से कम वेच वर्णी रेचा की हो।

चूहाह-5

46. 'उप समाजक अध्यक्ष चरित्र विषाटर' से अभिधारा उस व्यक्ति से है जो उसी प्राणा की हैड चार्ट्स समाप्त नहीं हो गए, व्यापित, संकेप, सार, वित्त आदि, इन्वेस्ट और शुद्ध करता है तथा इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कार्य करता है।

47. 'सिपोटर' से अभिधारा उस व्यक्ति से है जो एक लिपितक केन्द्र द्वारा समाजार्थी को एकाउंट एवं प्रबन्ध करता है।

48. 'प्रयाळकर अध्या संचादवाला' से अभिधारा उस व्यक्ति से है जो प्रतालन केन्द्र के धरेतिराम [AL] दिनी केन्द्र से समाचार है-वेच, श्यामालट, वायर, चक्र भविष्य इच्छा तालने से प्राप्त करता तथा बेकरा है।

49. 'समाचार फोटोग्राफर' से अभिधारा उस व्यक्ति से है जो कोलाडापस के साथन है गांदंजनिल बिल की घटालार्थी को बदर करता है।

50. "आर्टिस्ट" से अभिधारा उस व्यक्ति से है जो प्रशारालय डौडग, सेखारालस, नैस, भाना अथवा अन्य इसी प्रकार की सजावट, सुवासितक आदि के लिये इवार के उद्देश्य हैरार करता है। यह इन कार्यों में से कुछ अथवा सभी कर सकता है।

51. "सुलेखक" से अभिधारा उस आर्टिस्ट से है जो चक्रारेता लार्य तथा युतिल शमलों के कार्य करता है।

52. 'पुस्तकालयालयक अध्यक्ष पुस्तकालयालयक अर्या पुस्तकालयालक भजारक' से अभिधारा उस व्यक्ति से है जो अतमान कलानियों को पूरा करने अथवा पुलनूमि के लिए जाने ताले समाचारों एवं विचारों से संबंधित अधिकेय तेजान करता है तथा उन्हें धनये रखता है। इन कार्यों में से किसी को न यारने पाते व्यक्ति करते रहते हैं। [L] अवधि!

53. 'भाषा सहायक' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो जिस भाषा में समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है उस भाषा में मुख्य भाषा सहायक के समान पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न भाषाओं से अनुग्रह और सेवाएँ प्रदान करता है।
54. 'डिजाइनर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी रिट्री अथवा विषय-विशिष्ट अथवा अखदान के पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले समाचार गद्दों की विषय वस्तु को मुख्य डिजाइनर अथवा पृष्ठ डिजाइनर अथवा हिप्प्युटी प्रमुख अथवा वरिष्ठ डिजाइनर के समग्र पर्यवेक्षण में विज़इन करता है।
55. 'अनुसंधानपत्री' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो साहित्यिकी अथवा अनुसंधान प्रभाग या नुस्खे और सम्बादकीय ग्रोपोरिकी प्रत्युत्थ को इन प्रभागों के मुखिया अथवा उप मुखिया अथवा वरिष्ठ के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनुसंधान विश्लेषण करने में सहायता करता है।
56. 'मुख्य पूफ रीडर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक अथवा एकाधिक पूफ रीडरों को कार्य आवेदित करता है एवं पर्यवेक्षण करता है और एक शिष्ट का प्रभारी है।

समूह-6

57. 'वरिष्ठ पूफ रीडर अथवा उप मुख्य पूफ रीडर अथवा सहायक पूफ रीडर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो पूफ यीं मुद्रित सामग्री को रापावक यीं प्रलिफे के साथ पहली का बाद चाली से स्टीक सुमिलन सुनिश्चित करने हेतु ऐक करता है। उसके हारा लस्यालनक जंतरों, आकरण तथा आव्य रचना की चर्तनी संबंधी गलतियों का पता लगाया जाता है तथा या तौ वह उन्हें ठीक कर देता है अथवा उन्हें ठीक करया लेता है।
58. 'फ्लानर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटो एडीटिंग, कलर एडीटिंग तथा सीडो एडीटिंग के कार्य में सहायता करता है, इस तरह संशोदक छारा दिए गए तमाचार विषय वस्तु यीं मुखरित करता है।
59. 'स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फोटोग्राफर/ईग्रीन विज़ापनै/चक्ररण तथा कोटोग्राफ एवं ट्रांसफोर्मीज ऐक कलर करेजरान को स्फैन करता है।

अनुसूची-1।

(गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी-प्रशासनिक स्टाफ का वर्गीकरण)

समूह 1क:

उपाध्यक्ष (वित्त एवं लेखा, विज्ञापन अथवा वितरण), वरिष्ठ महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अथवा उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक अथवा उप क्षेत्रीय महाप्रबंधक, महाप्रबंधक अथवा मुख्य प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक (इलैक्ट्रॉनिकल अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स), मुख्य विकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य विकित्सायीरपि स्ट तथा सविद

समूह-1:

वरिष्ठ सहायक महाप्रबंधक अथवा सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय महाप्रबंधक अथवा सहायक क्षेत्रीय महाप्रबंधक, उप क्षेत्रीय प्रबंधक अथवा क्षेत्रीय प्रबंधक अथवा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, शाखा अथवा विभागीय प्रबंधक (वे जो वितरण, विज्ञापन विभाग, कार्मिक इत्यादि के प्रभारी हैं), प्रबंधक, वेब प्रशासक, इलैक्ट्रॉनिक अथवा सॉफ्टवेयर अधिकारी, मुख्य लेखाकार, मुख्य इंटरनेट ऑडीटर, मुख्य लोक संपर्क अधिकारी, विकित्सा अधिकारी तथा मुख्या (उपचार अथवा परामर्शी)।

समूह-2:

अपर प्रबंधक, उप प्रबंधक, वरिष्ठ सहायक प्रबंधक अथवा सहायक प्रबंधक, मुख्य अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कार्यकारी, लाइजन अधिकारी, लोक संपर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, इंटरनेट ऑडीटर, सहायक विज्ञापन प्रबंधक, सहायक वितरण प्रबंधक, मार्केटिंग ऑफीसर, कल्याण अधिकारी तथा कार्मिक अधिकारी, सहायक अधिकारी (इलैक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल अथवा इलैक्ट्रॉनिकल) तथा वरिष्ठ प्रोग्रामर, वरिष्ठ कैरीबीटेटर अथवा फैरीबीटेटर (स्वारथ्य परामर्शी)।

समूह-3:

अधिकारी अथवा विभागीय मुख्या (लगभग 5 वरिष्ठ सहायकों अथवा सहायकों अथवा लेखकों के कार्य का पर्याप्तता करने वाले), मुख्य कैशियर, विजनेस कनवेंशन्स, मार्केटिंग अथवा सेल्स प्रतिनिधि अथवा विज्ञापन प्रतिनिधि, हेड कलर्क, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, हाईपी इंचार्ज, इंडीपी इंचार्ज, वैयक्तिक सहायक (स्टेनो सविद), वरिष्ठ लेखा सहायक अथवा सहायक लेखाकार, वरिष्ठ विलनिकल सहायक अथवा फार्मासिस्ट तथा दूतावाहन।

टिप्पणी: इस भाग की सिफारिशें उपर्युक्त चार समूह में शामिल यथा अधिनियम परिभासित गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी।

समूह-4:

वरिष्ठ रेटनो राचिव, वरिष्ठ रेटनोप्राफर अथवा रेटनोग्राफर, वरिष्ठ रहायक उच्चा सहायक, वरिष्ठ रहायक (स्टोर), अनुसूचन सहायक, सभी कार्यकारी, वरिष्ठ कैवरटेकर सहायक, कैशियर, लेखा कलर्क, परिचालन निरीक्षक/प्रतिनिधि, वरिष्ठ विज्ञापन अनुवादक अथवा विज्ञापन अनुवादक, वरिष्ठ लेखक (अर्थात् वे जिनके कार्य में विशेष दक्षताएँ शामिल हैं), वरिष्ठ कलेक्शन प्रतिनिधि, इंडीपी ऑपरेटर, इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर, लेखा मशीन/गणना मशीन तथा टेलीप्रिंटर्स ऑपरेटर, सुरक्षा पर्येक्षक, वरिष्ठ सुरक्षा निरीक्षक, निगरानी निरीक्षक, वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड, वरिष्ठ दफेदार अथवा दफेदार, वरिष्ठ मुख्य हबलदार अथवा मुख्य

हबलदार, चलीनर, पील्ड ऑर्डनाइज़ेट तथा परिचालन व्यूनी बोर्ड करने वाले, विकासन पूफोर्डर, सहायक प्रौद्योगिकीयरप्रॉस्ट अथवा लिलिनिकल सहायक अथवा नर्स (पुस्लष्ट/महिला), आर्टिस्ट (वाणिज्य एवं प्रैणिता), परिष्ठ प्रौद्योगिकाला तकनीशियन अथवा प्रौद्योगिकाला तकनीशियन, स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर।

समूह-5:

उप
छिप
क्रिक्कि

अप
धक
, वेच
लोक

प्रिय
डीटर
नामिक
वरिष्ठ

पर्याव
रक्षा
प्रयोग
(स्टेनो
ट तथा

इक्य ३

कनिष्ठ बलक अथवा कनिष्ठ कार्यपालक (विज्ञापन स्वीकार करने तथा प्रकाशनों की दिक्षी ऊर्ध्वा अच्युतदाता के स्थीरन कार्य सहित सामान्य क्लैरिकल कार्य करने वाले व्यक्ति), कैयरटेकर, टाइपरकीपर्स, वरिष्ठ टाइपिस्ट अथवा टाइपिस्ट, हैलीफोन/फोन मशीन ऑपरेटर, एड्सोप्रापर, रिसेप्शनिष्ट, फ्रॉकिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ मैसेंजर अथवा मैसेंजर, कनिष्ठ आर्टिस्ट (वाणिज्यिक एवं प्रैक्टिका), सहायक अनुपादक, कैटीन मर्मवेशक अथवा वरिष्ठ सर्वर अथवा हैल कुक अथवा कुक, वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड, वरिष्ठ सुरक्षा निरीक्षक अथवा सुरक्षा निरीक्षक अथवा कार्यरमेन सह सुरक्षा मेन तथा हवालदार कलीनर, ड्राइवर, खारपटर, एलभड़ा तथा राजनित्री।

समूह-6:

वित कलेक्टर्स, जीरोक्स ऑपरेटर, बफररी अथवा अर्द्ध लिपिकीय कार्य करने वाले व्यक्ति, डिसीएसी पिल्लैन्स अथवा पिओन तह मैसेंजर अथवा पिओन, सिक्योरिटी गार्ड अथवा बाबरैन, लिफ्टमैन, ऑफिस व्याय अथवा काल व्याय अथवा ऐड व्याय अथवा हेल्पर, स्वीपर अथवा बलीनर अथवा ब्लीकल कलीनर, बीघर अथवा कैटीन व्याय अथवा सर्वर अथवा बाटर व्याय, माली, अर्दली लथवा दरबान।

टिप्पणियाँ

- (i) पद की जौंब प्रोफाइल के अनुसार हिपकीय समझौतों के माध्यम से प्रबंधन के साथ यात्राएँ प्रदानशी से मनिसाना देता है और अपार्क अथवा पूर्ववर्ती अदाओं में वर्णित अनुसार पुराने घटनाओं के साथ समाचार पत्र कर्मचारी मनिसाना देता है और ज्वार्ड के संदर्भ में पहां के संग्रहित डॉने ने वर्गीकृत किए जाने चाहिए।
- (ii) सपर्युक्त अनुसूची में नामांकित से अलग पदनाम दाता सोई समाचार पत्र कर्मचारी उसी अध्ये उसी प्रकृति का कार्य कर रहा है, उसे उस समूह मैर-पत्रकार कर्मचारी माना जायेगा।
- (iii) अनुसूची में वर्णित कर्मचारियों की सभी श्रेणियाँ समाचार पत्र प्रसिद्धान वी प्रत्येक श्रेणी में दो चक्रती हैं अथवा नहीं तो सकती हैं।
- (iv) नियोजन की अवधित श्रेणी का वर्गीकरण, यदि कोई हो, कर्मचारियों तथा प्रबंधन द्वारा हिन्दी अनुसूची के माध्यम से पारस्परिक रूप में निर्णित किया जाना चाहिए।

अनुचूटी-111

(गैर-पञ्चाकार समाचार पत्र कार्मचारियों-फेड्री रसाफ का दर्गाकरण)

समूह-1-क:

उत्पादन श्रक्तिया के सम्बूर्ज प्रबंधन में शामिल उपायका (उत्पादन), सहायक उपायक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक इत्यादि।

समूह-1:

उत्पादन विभाग में स्थापित नशीनों के अभियांत्रिक पहलुओं की दखलमाल के लिए नियुक्त वरिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तथा ए एवं वी ग्रेड पर्यायक इत्यादि।

समूह-2:

वरिष्ठ पर्यायक अथवा पर्यायक, फोरमैन, कलर-सैपरेशन लैनर, पोटो टाइप सीटिंग ऑपरेटर, लैनर/स्कैनर ऑपरेटर, सीनियर कैमरामैन, पर्यायक (फोटो कम्पोजिंग), वरिष्ठ वीडीटी ऑपरेटर/वीडीटी ऑपरेटर, टर्मिनल ऑपरेटर (वीडियो डिजीटल टाइप सेटिंग)।

समूह-3:

वरिष्ठ उत्पादन सहायक अथवा उत्पादन सहायक, उप अथवा सहायक पोरमैन, मुख्य प्रेस विज्ञान सहायक, कनिष्ठ वीडीटी संचालक, कालिब्स, मोटर निस्ट्री, ऑफसेट मशीनमैन, ऑफसेट मैकेनिक, ऑफसेट प्रेस्ट मैकर, पेज मैकाप मैन (फोटो सीटिंग), पेस्ट-अप आर्टिस्ट, प्लेट मैकर (कलर), प्रेस विज्ञापन सहायक, प्रिंटर (पोरमैन कम्पोजिंग पर्यायक), प्रोसेस डेवलेपर, प्रिंटर (ऑफसेट, फोटो कम्पोजिंग ए एवं वी ग्रेड, कम्पोजिंग), पीटीएस मैकेनिक, रेप्रो-फोटोग्राफर, रोटरी मैकेनिक, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ प्रिंटर, पर्यायक (कम्पोजिंग साप्लाहिंग कार्य एवं अन्य अनुभाग)।

समूह-4:

कन्वेयर स्ट्रीकेट मशीन-मैन, करेक्टर अथवा टर्मिनल ऑपरेटर, ऑफसेट लैटमैकर, रीलस्टार मशीन मैन (सामान्य), सीनियर मशीन मैन, सहायक मुकदम, सहायक प्रिंटिंग मशीन मैन (सभी शैरी), धर्ज हैंड (पलटिया), यांती हौल्डर, कटर, छाइवर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, यूनियर मशीन मैन, मशीन मैन (रोटरी मशीन मैन को छोड़कर), मशीन मैन (प्रिंटिंग के अतिरिक्त), विल्ड्री, तमाचार दफ्तरी, आई विभाग में पेस्ट-अप मैन, एस्मर।

समूह-5:

सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक मशीन मैन, सहायक फिटर, सहायक टर्नर्स/सभी पांच वर्ष की ऊंचाई पाल), वितरक, ट्रीडलमैन तथा डोर्एफ, प्रेसमैन।

समूह-6:

बालर मुकदम, शारमैन, बांडर, कैस रूम लैनर, कलर-वर्क परीक्षक, कालंटर, दफ्तरी, फँडर, हैंड पीएन अथवा पीएन अथवा सहायक, पैकर, स्टीचर, बाइंडिंग व्याय, मजदूर, रील लोडर तथा अनलोडर, ट्रोली मैन, प्रेस ऐड अथवा सहायक तथा सभी अन्य अर्थ कुशल अथवा अनुकूल अटेंडर्स, वलीनर्स तथा हेलपर्स चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

टिप्पणियाँ

- i) भव की जॉब प्रोफेशनल जै अनुसार द्विष्टीय समझौतों के माध्यम से प्रबंधन के साथ पारस्परिक परामर्श से मनिसाना बैठन बोर्ड अध्यक्ष पूर्ववर्ती अवार्ड्स में चर्चित अनुसार पुराने पदनामों के साथ समाचार पढ़ कर्मचारी मनिसाना बैठन बोर्ड अवार्ड के संबंध में पदों के समुद्देश वर्ग में वर्णिकृत किए जाने चाहिए।
- ii) उपर्युक्त अनुसूची में नामांकित से अलग पदनाम यात्रा कोई समाचार पत्र कर्मचारी उसी अथवा हसीन प्रकृति का कार्य कर रहा है, उसे उत्त समूह गैर-प्रशिकार कर्मचारी माना जावेगा।
- iii) अनुसूची में चर्चित कर्मचारियों की सभी श्रेणियाँ समाचार पत्र प्रतिष्ठान की प्रत्येक श्रेणी में ही सकती हैं अथवा नहीं हो सकती हैं।
- iv) निवोजन की अवधित श्रेणी का वर्गीकरण, यदि कोई हो, कर्मचारियों तथा प्रबंधन हारा द्विष्टीय समझौतों के माध्यम से पारस्परिक लप्त में निर्णित किया जाना चाहिए।

स्थारणी-।
समाचार पत्र प्रतिष्ठान

क. श्रमजीवी पत्रकार

समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<--- कर्मचारी समूह के लिए वेतनमान --->							प्रत्यक्षीय वेतन (भूल वेतन का %)
	1क	1	2	3	4	5	6	
I (1000 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर)	रु.25000-एआरआई (4%)-54800	रु.22000-एआरआई (4%)-48300	रु.19000-एआरआई (4%)-41700	रु.17000-एआरआई (4%)-37300	रु.15000-एआरआई (4%)-32900	रु.13000-एआरआई (4%)-28500		35%
II (500 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 1000 करोड़ रुपये से कम)	रु.22000-एआरआई (4%)-48300	रु.20000-एआरआई (4%)-43900	रु.18000-एआरआई (4%)-39500	रु.16000-एआरआई (4%)-35100	रु.14000-एआरआई (4%)-30700	रु.13000-एआरआई (4%)-28500		35%
III (100 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 500 करोड़ रुपये से कम)	रु.20000-एआरआई (3%)-36200	रु.18000-एआरआई (3%)-32600	रु.16000-एआरआई (3%)-28900	रु.14000-एआरआई (3%)-25300	रु.13000-एआरआई (3%)-23500	रु.12000-एआरआई (3%)-21700		35%
IV (50 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 100 करोड़ रुपये से कम)	रु.18000-एआरआई (3%)-32600	रु.16000-एआरआई (3%)-28900	रु.14000-एआरआई (3%)-25300	रु.13000-एआरआई (3%)-23500	रु.12000-एआरआई (3%)-21700	रु.11000-एआरआई (3%)-19900		35%
V (10 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 50 करोड़ रुपये से कम)	रु.16000-एआरआई (2.5%)-26300	रु.14000-एआरआई (2.5%)-23000	रु.13000-एआरआई (2.5%)-21400	रु.12000-एआरआई (2.5%)-19700	रु.11000-एआरआई (2.5%)-18100	रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	रु.10000-एआरआई (2.5%)-14800	20%
VI (5 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपये से कम)	रु.14000-एआरआई (2.5%)-23000	रु.13000-एआरआई (2.5%)-21400	रु.12000-एआरआई (2.5%)-19700	रु.11000-एआरआई (2.5%)-18100	रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800		20%

VII (1 करोड रुपये तक इससे कम परंतु ५ करोड रुपये से ज्यादा)	₹.12000-एवारआई (2%)-17900	₹.11000-एवारआई (2%)-16400	₹.10000-एवारआई (2%)-15900	₹.9000-एवारआई (2%)-13400	₹.8000-एवारआई (2%)-11900	20%
VIII (1 करोड रुपये से कम)	₹.90000-एवारआई 13400	₹.80000-एवारआई 11900	₹.70000-एवारआई 10500	₹.70000-एवारआई 10500	₹.70000-एवारआई 10500	20%

टिप्पणी: 'एवारआई' केतनबहुत नहीं वार्षिक दर के लिए आया है।

सारणी- II
रामाचार पत्र प्रतिष्ठान

ख. गैर पत्रकार (प्रशासनिक स्तराफ़)

रामाचार पत्र प्रतिष्ठानों वर्गी क्रमी	<--- कर्मचारी समूह के लिए केतनमान --->							परवर्ती वेतन (नूल वेतन का %)
	1A	1	2	3	4	5	6	
I (1000 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर)	वृद्धि कर्मचारी	₹.17500- एआरआई (4%)-38400	₹.15000- एआरआई (4%)-32900	₹.13000- एआरआई (4%)-28500	₹.12000- एआरआई (4%)- 26300	₹.10000- एआरआई (4%)-22000	₹.9000- एआरआई (4%)-19800	35%
II (500 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 1000 करोड़ रुपये से कम)		₹.16000- एआरआई (4%)-35100	₹.14000- एआरआई (4%)-30700	₹.12000- एआरआई (4%)-26300	₹.11000- एआरआई (4%)- 24100	₹.9000- एआरआई (4%)-19800	₹.8500- एआरआई (4%)-18700	35%
III (100 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 500 करोड़ रुपये से कम)		₹.14000- एआरआई (3%)-25300	₹.12000- एआरआई (3%)-21700	₹.11000- एआरआई (3%)-19900	₹.10000- एआरआई (3%)- 18100	₹.8500- एआरआई (3%)-15400	₹.8000- एआरआई (3%)-14500	35%
IV (50 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 100 करोड़ रुपये से कम)		₹.12000- एआरआई (3%)-21700	₹.11000- एआरआई (3%)-19900	₹.10000- एआरआई (3%)-18100	₹.9000- एआरआई (3%)- 16300	₹.8000- एआरआई (3%)-14500	₹.7500- एआरआई (3%)-13600	35%
V (10 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 50 करोड़ रुपये से कम)		₹.11000- एआरआई (2.5%)- 18100	₹.10000- एआरआई (2.5%)- 16400	₹.9000- एआरआई (2.5%)- 14800	₹.8500- एआरआई (2.5%)-14000	₹.7500- एआरआई (2.5%)- 12300	₹.7000- एआरआई (2.5%)- 11500	20%
VI (5 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपये से कम)		₹.10000- एआरआई (2.5%)- 16400	₹.9000- एआरआई (2.5%)- 14800	₹.8500- एआरआई (2.5%)- 14000	₹.8000- एआरआई (2.5%)-13200	₹.7000-एआरआई (2.5%)- 11500		20%

राजस्व- III
समाचार पत्र प्रतिष्ठान

ग. गैर-घनकार (कारखाना स्तराः)

समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<--- Scales of Pay for Group of Employees --->						परवर्ती वेतन (मूल वेतन का %)
	1	2	3	4	5	6	
I (1000 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर)	रु.13500-एआरआई (4%)-29800	रु.12000-एआरआई (4%)-26300	रु.11000-एआरआई (4%)-24100	रु.10000-एआरआई (4%)-22000	रु.9000-एआरआई (4%)-19800	रु.8000-एआरआई (4%)-17600	35%
II (500 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 1000 करोड़ रुपये से कम)	रु.12500-एआरआई (4%)-27400	रु.11000-एआरआई (4%)-24100	रु.10000-एआरआई (4%)-22000	रु.9000-एआरआई (4%)-19800	रु.8000-एआरआई (4%)-17600	रु.7500-एआरआई (4%)-16500	35%
III (100 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 500 करोड़ रुपये से कम)	रु.12000-एआरआई (3%)-21700	रु.10500-एआरआई (3%)-19000	रु.9500-एआरआई (3%)-17200	रु.8500-एआरआई (3%)-15400	रु.7500-एआरआई (3%)-13600	रु.7000-एआरआई (3%)-12700	35%
IV (50 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 100 करोड़ रुपये से कम)	रु.11000-एआरआई (3%)-19900	रु.10000-एआरआई (3%)-18100	रु.9000-एआरआई (3%)-16300	रु.8000-एआरआई (3%)-14500	रु.7000-एआरआई (3%)-12700	रु.6500-एआरआई (3%)-11800	35%
V (10 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 50 करोड़ रुपये से कम)	रु.10000-एआरआई (2.5%)-16400	रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800	रु.8000-एआरआई (2.5%)-13200	रु.7500-एआरआई (2.5%)-12300	रु.6500-एआरआई (2.5%)-10700	रु.6000-एआरआई (2.5%)-9900	20%
VI (5 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपये से कम)	रु.9000-एआरआई (2.5%)-14800	रु.8000-एआरआई (2.5%)-13200	रु.7500-एआरआई (2.5%)-12300	रु.7000-एआरआई (2.5%)-11500	रु.6000-एआरआई (2.5%)-9900		20%

VII (३. करोड़ रुपये तक इसके रूपमें पर्याप्त ५ करोड़ रुपये से कम)	₹.8000- एआरआई (2%)-11900	₹.7500- एआरआई (2%)-11200	₹.6500-एआरआई (2%)- 9700	₹.5500-एआरआई (2%)- 8200	20%
VIII (३ करोड़ रुपये से कम)	₹.7000-एआरआई (2%)- 10500		₹.6000-एआरआई (2%)- 9000	₹.5000-एआरआई (2%)- 7500	20%

टिप्पणी: 'एआरआई' वेतनवृद्धि की वार्षिक दर के लिए आवश्यक है।

गुरु

पा. रा. मी-24032/1/2011-सबल्यू.वी.

भारत सरकार

शम और रोजगार मंत्रालय

सारणी-IV

महंगाई भत्ते की गणना हेतु सूत्र

महंगाई भत्ते की गणना हेतु सूत्र के लिए पूर्ववर्ती 12 महीनों का औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) तथा औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) 167 पर प्रतिवर्द्ध 1. जुलाई तक 1 जनपरी से दर्श जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक यर्दे में दो बार भूगतंग में अंतर की न्यूट्रालाइजेशन की दर तथा मूल घेतन से गुणा किया जावेगा।

औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक (पूर्ववर्ती 12 महीने)

माइनस

औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक (जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

महंगाई भत्ता = X न्यूट्रालाइजेशन की दर (1.0) X मूल घेतन

औद्योगिक कामगारों हेतु सम्पूर्ण भारतीय वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक (जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

सारणी-V
शहरों का वर्गीकरण
क्षेत्र- 'X'

क्र.सं.	शहर		क्र.सं.	शहर	
1.	बंगलुरू	(यूए)	7.	अहमदाबाद	(यूए)
2.	चेन्नई	(यूए)	8.	कानपुर	(यूए)
3.	दिल्ली और फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगांव, नोएडा	(यूए)	9.	लखनऊ	(यूए)
4.	हैदराबाद/सिक्किमबाद	(यूए)	10.	नागपुर	(यूए)
5.	गोटर मुंबई/नेवी मुंबई	(यूए)			
6.	कोलकाता	(यूए)			

क्षेत्र-'Y'

1.	आगरा	(यूए)	28.	कोट्टि	(यूए)
2.	ज़ाजमेर		29.	कोल्हापुर	(यूए)
3.	अलीगढ़		30.	कोकिलपुर	(यूए)
4.	इलाहाबाद	(यूए)	31.	कोटा	
5.	अमरावती		32.	लूधियाना	
6.	अमृतसर	(यूए)	33.	मदुरै	(यूए)
7.	ओहाइबाद	(यूए)	34.	मेरठ	(यूए)
8.	बरेली		18.	मुरादाबाद	(यूए)
9.	भावनगर		19.	मसूर	(यूए)
10.	बीकानेर		20.	नासिक	(यूए)
11.	भोपाल		21.	पूने	(यूए)
12.	मुमुक्ष्यपूर		22.	पटना	(यूए)
13.	चंडीगढ़	(यूए)	23.	रायपुर	(यूए)
14.	कोयम्बटूर	(यूए)	24.	राजकोट	
15.	कटक	(यूए)	25.	रांची	
16.	दुर्गपुर		26.	होल्लिपुर	
17.	गोरखपुर		27.	शीनगर	(यूए)
18.	गुवाहाटी		28.	कुरत	(यूए)
19.	गुन्दूर		29.	तिल्लदान्तपुरम	(यूए)
20.	ग्वालियर	(यूए)	30.	पड़ोदरा	(यूए)
21.	इन्दौर	(यूए)	31.	चारामसी	(यूए)
22.	हुबली-भारायाक		32.	विजयवाडा	(यूए)
23.	पांडुपुर	(यूए)	33.	विशाखापत्ननम	(यूए)
24.	जयपुर	(यूए)	34.	काशगढ़	
25.	जालघर	(यूए)	35.	मगलीर	(यूए)
26.	जनशोदपुर	(यूए)	63.	नवापुर	(यूए)
27.	जोधपुर		54.	पुदुचेरी	(यूए)
55.	सलैम	(यूए)	63.	दुर्ग-मिलाई	
56.	तिल्लदान्तपुरमी	(यूए)	64.	जम्मू	(यूए)
57.	तिल्लदान्तपुरमी	(यूए)	65.	जालघर	(यूए)

58.	जालन्दील	(पुर)	60.	जालवर जावेनी	(पुर)
59.	बेलगाम	(पुर)	67.	ज्यामनगर	(पुर)
60.	गिरण्डी	(पुर)	68.	कानपूर	(पुर)
61.	धनकुद	(पुर)	69.	दुर्ग-भिलाई नगर	(पुर)
62.	टेहरादुन	(पुर)			

बोक्स 'D' में वे सभी स्थेत्र आएंगे जो इस सूची में उल्लिखित नहीं हैं।

नोट: पु.ए का कार्य शहरी रूपूह है।

अध्याय XX

विषय: समाचार एजेंसियों में भासजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए बजीठिंड वेतन बोडी की फ़िलारिशों

खण्ड 1**प्रारंभिक**

लघु भीर्षक एवं चक्र : (1) इन फ़िलारिशों जो भजीठिंड वेतन बोर्ड का पंचाट कहा जाए।

(2) यह पंचाट जूलाई, 2010 की पहली तारीख प्राप्ति तारीख माना जाएगा।

2. परिभाषा- इस पंचाट में जब तक वो इस संक्षेप में आन्ध्रा अपेक्षित न हो :-

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य भासजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों (वेतन शास्त्री तथा प्रतिष्ठित उपर्युक्त अधिनियम, 1955 (1955 का एवसएलडी) से है;

(2) "गणना वर्ष" किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में प्रयोग किया जाता हो तो ऐसे तत्त्वावार पत्र प्रतिष्ठान के मानदो में विशेष वर्ष माना जाए, जो शप्रेल की प्रथम तारीख से शुरू होती है। यद्यपि, किसी रामाचार एजेंसी प्रतिष्ठान का गणना वर्ष विशेष वर्ष से विभिन्न होता है, इसका अर्थ किसी प्रतिष्ठान का गणना वर्ष होगा जिसमें विशेष विशेष वर्ष ही अधीक्षी से अधिक अवधि आती हो। किसी रामाचार एजेंसी प्रतिष्ठान जिसका गणना वर्ष अक्टूबर की घटली तारीख से शुरू होने की स्थिति में गणना का वर्ष वह नहीं जाएगा जिसके प्रथम छठ भाग इस वर्ष से बाहर ही होती है।

व्याख्या - यदि किसी समाचार प्रतिष्ठान का गणना यादी अनकरी की पहली तारीख से शुरू हो तो वह एवं तारीख से चक्र 2009 के संदर्भ में तर्व 2009-10 के गणना वर्ष जा भवित्व दिया जाएगा। युक्ति किसी रामाचार एजेंसी प्रतिष्ठान का गणना वर्ष अक्टूबर की घटली तारीख से शुरू होने की स्थिति में इस पंचाट ने उल्लिखित गणना वर्ष 2009 के संदर्भ में वह प्रतिष्ठान के लिए वर्ष 2009-10 के गणना एवं का शोधन लिया जाएगा।

(3) "मूल वेतन" से लात्यर्य विकिरा वेतनमान में आहरित किए गए वेतन जिसमें राष्ट्रिय एवं गृही, वर्ष हो, में ही परन्तु इसमें उन्ह्ये किसी प्रकार का देशम शामिल नहीं होता है, वसा विशेष वेतन, वेचिंगाक वेतन आदि।

(4) "शेषी" से तात्पर्य इन समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए उल्लिखित वेतन कार्यालयों से है जो इस पंचाट के उल्लिखित समूहों या शेषीयों में रखे गए हैं।

(5) "समाचार एजेंसी का साकल राजस्व" से तात्पर्य सभी स्थानों से प्राप्त कुल राजस्व तो है उसमें अपनी रीढ़ओं के विकाय रो आप्ति की गरी अंशदान राजस्व भी शामिल हैं।

(6) "समाचार एजेंसी" से सापर्य उस प्रतिष्ठान से है जो लोदू रामाचार एजेंसी अथवा विंडिकेशन का द्रव्यन करता है और फॉर्म समाचार एजेंसी वर्ष 1955 का गणना वर्ष तथा समाचार समाजी एकत्र करता है एवं इनका वितारण समाचार के उपकरणों के तमस लक्ष करता है और अनुसार उस स्थिति में जोगों को समूह एवं ग्रहणात् रहित समाचार सेता सम्बन्ध रखता जिसमें शुभ्रान वी शहौ संगत व्यवस्थाधिक लोडू रामा प्राप्तीयों गीती स्थिति में अनुसार बाहिरित है।

(7) "समाचार-पत्र कर्मचारी" से तात्पर्य अमानोंकी प्रकार अथवा गैर-पत्रकार समाचार गण कर्मचारी गणक दोनों हो है।

(8) "अनुसूची" से तात्पर्य इस पंचाट में १००% अनुसूची हो है।

(9) "सालिका" से तात्पर्य इस पंचाट में सालिका तालिकाओं हो है।

(10) भूद तथा पद्ध "समाचार पत्र प्रतिवान" से लाभर्य "कमन्चारी पत्रकार" और "वैष-पत्रकार समाचार पत्र कमन्चारी" का उत्तर्य इस उल्लेखिया में क्रागा संदर्भ में उल्लेख से होगा।

खण्ड -II

[समाचार एजेंसियों पर वर्गीकरण तथा समाचार पत्रकी कमन्चारियों का समृद्ध लेखार करना]

3. समाचार एजेंसियों पर वर्गीकरण- समाचार एजेंसियों में जारीर कमन्चारियों के बेलन एवं का निपटार अन्यकुं पुनः विवरण के लिए समाचार एजेंसियों को उनके लिए हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के औरत स्थल संचय के अधार पर वर्गीकृत किया गया प्राप्ति।

4. वर्गीकरण की नियोक्ताओं इस अव्याय के अनुरूप किए गए वर्गीकरण को तब तक चाही रखा जाएगा जब तक की समाचार एजेंसी इस क्रागा के प्राप्ति के उपर्योग में पुनः वर्गीकृत हो जाती है।

5. समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण- समाचार एजेंसियों को नियालित घनी के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा जो इन घन्याव के पदा 3 के अनुसार उनके स्थल संचय पर जागाता होगा।

वर्गी	समकालीन सामग्री
I.	60 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक
II.	30 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक परन्तु 60 करोड़ रुपये से कम
III.	10 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक परन्तु 30 करोड़ रुपये से कम
IV.	10 करोड़ रुपये से कम

दियाँ: दिव्यों समाचार एजेंसियों अवास्तु पे समाचार एजेंसियों जो भारत में क्रियाशील हैं वरन्तु उनका प्रधान कार्यालय भारत में स्थान है, अग्री। समाचार एजेंसी के लिए वर्गीकृत की जाएगी।

6. पुनर्वर्गीकरण: यह या तो नियोक्ता पर कमन्चारी पर नियंत्रण करता कि वह किसी समाचार एजेंसी प्रतिकाम के पुनः वर्गीकरण की मांग इस प्रयाट के प्रदर्शन की तिथि से एक वर्ष से भीतर छिन्नी भी सामय पिछले दोष क्रियिक लेखा घनी के क्षमत सकाल राजस्व के आधार पर करता है,

उत्तर्य कि ऐसे उन्नापारकरण की जगत पिछले दोन वर्षों से वह किसी अवस्थे में एक वर्ष से कठोरत में रहते हैं।

प्रयास कि ऐसे विस्तीर्णीकरण की अपेक्षा अन्यत्रिया देश दोन के प्रवासी के क्रियान्वयन के लौक पहल के विवीय वर्ष में प्रगती के कालार पर तोकार की गयी मूल्य रक्कातों को संतुलित करने के लिए यही गई है।

7. समाचार पत्र कमन्चारियों का वर्गीकरण- (1) किसी समाचार एजेंसी के नियमित संघर्ष के अमरीकी प्रशासनी को पहली अनुसूची के कालात एक साथ में रखा जाएगा; और उनकी क्रियालय की व्याख्या किसी समाचार एजेंसी में कार्यस्थान अन्यत्रियी प्रशासनी के विभिन्न संघर्षों के लिए देशक अनुसूची IV-V की वर्ष 19/20 में ली गयी है।

(2) गैर-समाचार पत्र कमन्चारी- किसी समाचार पत्रकी के उचालानिक स्थान अनुसूची-IV के अन्तर्य आने यारे समूह में माने जाएंगे।

8. परिवर्ती देवनाम:

परिवर्ती देवनाम की लेकरपन वार्ष की गयी है जिसका उद्देश्य नियन्त्रितिवालों द्वारा उनकी क्रान्त करना है।

(ख) छठे वर्षां जायेगा ने प्रेष-देवनाम की स्फलता की तिफरिक की दी जिसके प्रियान्वयन के लिए चारकर + जपानी चारनामी हो दी थी। इसी क्रागा पर समाचार पत्र प्रतिकामी तथा समाचार पत्रकीर्ति के अन्तर अप्रीतियों में आर्यर अप्रीतियों के लिए परिवर्ती देवनाम इस

करने की आवश्यकता है। परिवर्ती देशन समाचार चालौर में जलसंग्रह नियोजनों को उत्तर आदरित की जा रही थी इस देशन का नियोजन वार संक्षिप्त परिवर्तन होता। सभी गते जैसे आवास भवति, परिवहन भवत लग्न अवधारणा यथा गता आदि ली राजनगर उनके संरचित पूर्ण वेतन और किसी कर्मचारी के लिए करुणेय परिवर्ती योगन के कुल योग के लाभान्वयन पर की जाती।

(१) येतन बोडी द्वारा लिपारिये की गयी वरियर्टी देशन सभी कर्मचारीयों के लिए नाय व्यवाहान देय योगन होना जिसने ठेका अनुसार समाचार एजेंसी के विभिन्न गण के प्रश्नोक्त असरहान भवत होगा कि वह समाचार प्राप्तिदारों की लाभ प्रदानाता तथा लघुहोनावदता के अनुसार किसी कर्मचारी लोग लिपारिया किए गए परिवर्ती योगन के कुल योग के लाभान्वयन पर की जाती।

छपड ॥

देशन तथा भसी के संशोधित वेतनवान

८. अमर्जीदी पत्रकार के लिए संशोधित वेतनवान - (१) वेतन बोडे द्वारा २० वर्षों की उम्पवि दे लिए जीवी लिपारिया के अनुसार समाचार एजेंसी के विभिन्न गण के प्रश्नोक्त असरहान भवत लाभ पर्याप्त के लिए देशन लाभ भवतों का संशोधित वेतनवान सारिता । मे दिया गया है।

(२) सभी ओरकालिक प्रतिनिधियोंटोपेकर को पूर्णकालिक प्रतिनिधियोंटोपेकर जो समान रस्तर का हो, के शूल देशन योग समानाई भवत ५०% से कम भुगतान नहीं लिपा लग्न भवत इसलिए इसी लिपा मुख्यालयों ने भी गई हो और ३०% से लाभ अनुसार लग्न किया जाएना जब उसके लिपाते जिसना मुख्यालयों से छोटे ल्यानो पर को गई हो, बवर्त कि लोहे अंतरकालीक प्रतिनिधियोंटोपेकर दो या अदिल समाचार एजेंसियों अध्यवा समाचार पश्चिमियों के लिए जास व करता हो। इसके अतिरिक्त, उह भुगतान लोहन आवास प्रद किया जाएना को ओरकालिक प्रतिनिधियोंटोपेकर द्वारा आदरित लिपा जाने याहे शूल देशन लाभ भुगतान भवतों को देखते हुए आवासी लाभनी से लाभ किए गए दर के अधार पर लिपित होगा।

९. गेर पत्रकार के लिए तंत्रोधित वेतनवान तथा परिवर्ती योगन जो दि देशन बेडल होता उगते २० वर्षों के लिए किए गए सिपारिया के अनुसार है और गेर-पत्रकार समाचार एजेंसी के कर्मचारियों-लग्न तालिका-॥ मे चलितित समाचार एजेंसी के विभिन्न लेणी के प्रश्नोक्त रस्तफ के लिए दियित है।

(२) एपेक्स समय अधारित कर्मचारी और देशन कर्मचारी जो समय अधारित कर्मचारीआधारित लारे हेहु ले क्यों मे लिपोकलत है, के लिए विभिन्न लार्न इस्टों से या तो क्या या अधिक और कार्य लिपादन भवतवा लिपामित कर्मचारी के समान लिया गया कार्य को दिवन प्रति दिवन आवास पर लिपामित कर्मचारी के समान लिपोकलत लिए जाने गाने कार्य देहदान के अधार पर देशन का भुगतान किया जाएगा।

साक्षात् उपर्युक्त देशन का भुगतान प्रयोग की लिपामित लाभान्वय की जाती है।

(३) लग्नालय-पत्र प्रतिवान देशन युद्धि के लिपामित लाभान्वय की लिपामित लाभान्वय की जाती है।

उद्योगों के गार्विय लार्वेन्य मे प्रश्नहृषि लिए गए विलेवानक लोकड़ यो लार्वों है जि समाचार-पत्र उल्लोग मे कर्मचारियों की गणदूषी देशन समाचार-पत्र लिपामित के साथ सायन्य का १००% भोला है और इसे कुछ देश योग देशन संबंधी ज्ञानकारी लग्न समाचार-पत्र लिपामित गण योगन जैसी लोकसुख लाभान्वय को लाभिय लाभान्वय सायन्य से भी सहजोग प्राप्त होता है। येतन बोडी का समाचार भेजन में ३५% की युद्धि द्वारा होते है जावेक भजदुर्दीयों वेतन मे अतिरिक्त लाभान्वय से २००% अधिक भी युद्धि की गई है लिपामें लग्नों । से IV तथा लर्न V से VIII के कर्मचारियों को दी गई योगन युद्धि लाभिल है। अभुगततः इस युद्धि का गह अधार है कि समाचार-पत्र प्रतिवानों ने जारी होने IV के कर्मचारियों के लाभें सेवन लग्नामा समान लग्नाम का लाभान्वय १०.५% होगा। अतः इसका विवाह लग्न सकल राजन्य पर कहने याता अतिरिक्त लग्न ३.५% होगा। ठीक इसी प्रवार, जारी V से VII के लिए, समाचार-पत्र लिपामित देशन पर कुल नार सकल राजन्य का भाव २% होगा। किंव भी यह अतिरिक्त भाव समाचार-पत्र प्रतिवान के लिए अधार पर लोक्यों ऐ वह समान लिपामित देशन भारत प्रत्यावान होना प्रत्यावान होना लाभान्वय आवासी के आधार पर

लि ली

लि ली

लि ली

i. चर्ट से IV के अंतराल में आने वाले समायार-पर प्रतिकान के संबंध में परिवर्ती देश के परिपालनस्वरूप 35% के बढ़िये की विवरण की गई है जिससे "समायार-पर अनंतरी का भीजुड़ा मूल देश" लागत 2.90 से 3.20 युन बढ़ गए, और

ii. चर्ट V से VIII के अंतराल में आने वाले समायार-पर प्रतिकान के संबंध में परिवर्ती देश के परिपालनस्वरूप 20% के घटने की विवरण की गई है जिससे "समायार-पर अनंतरी का भीजुड़ा मूल देश" लागत 2.55 से 2.84 युन बढ़ गए।

10. संशोधित देशनामन के आहरण किया जाने वाला देश - इस प्रकार में इदत एवं अन्य संक्षिप्त विवरण उन्नीसी का अन्यथार्थ निःसंघठित देशनामन का आहरण कारण।

11. महाराष्ट्र का - (1) महाराष्ट्र भारत के संशोधित देश का भीजुड़ा क्षम थ्योरो द्वारा संकलित औद्योगिक कानूनार्थी के लिए (2001=100) अधिक भारतीय उपभोक्ता युवत्य सूचकांक के उन्नतार के लिए लागत 0.07 2010 से प्राप्ती हो जाएगा।

(2) ऐसे ही विछें 12 चाह के आकड़े संस्थानिक हो जाएंगे और दिल्ली के लिए औद्योगिक कानूनार्थी के लिए (2001=100) अधिक भारतीय उपभोक्ता युवत्य सूचकांक का उपयोग नहाई जर्वे के विवरण के लिए किया जाने वाला आकड़ा उपलब्ध होगा, ऐसे ही महाराष्ट्र भारतीय उपभोक्ता युवत्य सूचकांक की पहली जनपरी से डिपार्टमेंट क्षम से देख होगा। बहुगाह ज्ञान, जिसका विवरण अधिक भारतीय उपभोक्ता युवत्य सूचकांक का उपयोग महाराष्ट्र भारत के विवरण के लिए किया जाता है, कानूनी 12 चाह की अचूकी की तुलनात्मक से देख होगा।

(3) महाराष्ट्र ज्ञान जोकि दिव्य-वार्षीक ज्ञान से देख होता है के दर के विवरण के लिए औद्योगिक कानूनार्थी के लिए अधिक भारतीय उपभोक्ता युवत्य सूचकांक का उपयोग सामान्यरूप सूचकांकों के सभी समूहों के मूल देशन का 100% होगा और उसकी प्राप्ति लालिका-II में दिए गए सूचक के उपरान्ती होगी।

व्याख्या- इस प्राप्ति के विवरण-

प्राप्ति के विवरण की विविध सूचकांकों अवधि के संबंध में महाराष्ट्र भारत यांत्रिकी द्वारा दिया जाएगा।

12. भारतन क्षिया भारत - समायार प्रतिकानों द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा संकलित परिमाणित होने वाले क्षम-कोड "एक्सन", "आर्ट" तथा "जेट" के लिए केन्द्र में व्यापक विवेकनों के संबंध में विवरित यद्युत्तम मननदूरी के अंतर्गत अनुग्रहन की जानी शाली पद्धति पर आधारित और सामान्यात्, यहसं तथा नगरों में समायार-पर प्रतिकानों की अधिकांशतया को ज्ञान में रखाए हुए अन्तर्गत 30%, 20% एवं 10% के भागान किया जाएगा। इहां प्राप्ति का भीजुड़ा द्वारा दिया जाएगा। इस प्राप्ति के संबंध में वर्गीकरण लालिका-IV में विविध है।

वर्गीकरण-

(1) ज्ञान किसी कर्मचारी को समायार प्रतिकानों द्वारा आवाहीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई हो, वही कोई सकारात्मक विवरण नहीं होगा।

(2) यदि किसी कर्मचारी को भारत किया जा रहा हो तो उसका समायारान इस उपरान्त के अन्तर्गत देख सकारात्मक विवरण भासे ही राखी में दिया जाएगा।

(3) जहां कोई समायार प्रतिकान किसी कर्मचारी की ओर से कोई दायरी का लेयवान किया जाने वाले विवरण में इस्तेत्र लगते हैं कि वह कर्मचारी अन्य तथा कमकान हेतु में स्वत्वम हो तो ऐसी राखी का समायारान इस उपरान्त के अन्तर्गत देख सकारात्मक विवरण में दिया जाएगा।

13. विवरण क्षमा - समायार प्रतिकान द्वारा अपने कर्मचारियों को संकलित परिमाणित होने वाला क्षेत्र "एक्सन", "आर्ट" तथा "जेट" के लिए लक्षण 20%, 10% एवं 5% के प्रतिवर्ष भारत का भुगतान किया जाएगा। वहां प्राप्ति क्षेत्र "एक्सन", "आर्ट" तथा "जेट" के संबंध में वार्कारण लालिका-V में विविध है।

परियहन भत्ता के दुष्कृत, योग्य समाचार-पत्र कर्मचारियों रुहित लानी ज्यानीय लोगों हाथा दिया जाने वाला एक अमृत ध्यय है, बेतन गोई हाथा योग्य गई तिफरिश के आवार पर, नार परिणीति फल हटा दिया गया है।

14. राजि पाली भक्ता -समाचार प्रतिवानों के कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई दरों के अनुचार राजि पाली भत्ते का पुरावान किया जाएगा।

समाचारपत्र प्रतिवान की प्रकृति राजि पाली दर		समाचारपत्र प्रतिवान की प्रकृति राजि पाली दर	
क्षेत्री	अंदर ॥	क्षेत्री	अंदर VI
॥॥ और IV	100/- क्रपये	V डर. VI	50/- क्रपये
	75/- क्रपये	VII डर. VII	50/- क्रपये

15. विवित भत्ता - (1) कोई कर्मचारी जो श्रेणी-। और ॥ में जाने वाले समाचार प्रतिवान में कार्यरत है और जो पहली बैच में समृद्धी तत्त्व से 5000 कोट (1524 मीटर) की कंचार्ड पर अध्ययन कर्मचार भेज में विक्षित है, तो उन्हें 1000/-क्रपये प्रतिवान एक मुख्य राजि का मुआवान किया जाएगा।

(2) कोई कर्मचारी जो श्रेणी-॥। और IV में जाने वाले समाचार प्रतिवान में कार्यरत है और जो पहली बैच में समृद्धी तत्त्व से 5000 कोट (1524 मीटर) की कंचार्ड पर अध्ययन कर्मचार भेज में विक्षित है, तो उन्हें 500/-क्रपये प्रतिवान एक मुख्य राजि का मुआवान किया जाएगा।

(3) कठिनाई भत्ता समाचारपत्र प्रतिवान के क्षेत्री ॥॥ और VIII के कर्मचारियों को लागू नहीं हुएगा।

यात्रा - इस प्रकार के निहितार्थ -

"यात्रित क्षेत्र " से वायाय उप क्षेत्र से है जिसे सार्वजनिक उचितियम में राज्य सरकार उद्योग केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी है, समुदायत सरकार ने बहित्र भेज घोषित किया हो।

16. हुड़ी याचन भत्ता (एलटीए) - समाचार प्रतिवानों में लातेश्वर सनी कर्मचारियों को एक मह के मूल वेतन के समान छुट्ठी याचन भत्ता का मुआवान किया जाएगा। हुड़ी याचन भत्ता वो वयों के एक ब्लाक में एक बार देय होगा इसके बास्तव में छुट्ठी पर जाने एवं याचन किए जाने सबैदी चारकी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।

17. विविक्षा भत्ता- (1) कोई कर्मचारी जो कंफर्नी-। और ॥ में जाने वाले समाचार प्रतिवान में कार्यरत है उन्हें 1000/- क्रपये प्रतिवान एवं लानेप्रति विकिता भत्ता का मुआवान किया जाएगा। समाचार प्रतिवान में कार्यरत कर्मचारी प्रवेषन के प्रवासर्थ से अनुरेय पर्सिक विकिता भत्ता से जारीकरण भ्रीनेयम वाले स्वातन्त्र्य भीता का अपन प्रवासर्थ है।

(2) कर्मचारी राज्य बीच निगम द्वारा कारब लिए गए कर्मचारियों को कोई चिह्निता भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

(3) पौसाकि क्षेत्री-॥। और IV में जाने वाले समाचार प्रतिवान कर्मचारियों लो मौजूदकेपर बीच कारब व्यापक और बीच कंपनी को मुआवान किए जाने वाले प्रतिवान की 200/- क्रपये तक पर्सिक एवं लानेप्रति विकिता होगी।

18. सार्वजनिक वेतनमान में प्राचलिक वेतन का निर्दर्शन - संशोधित वेतनमान में प्राचलिक वेतन का निर्दर्शन निर्दिष्ट विकिते से नियारित किया जाएगा।

को ये द्रवेष्टक के लिए सारोपित वेतनमान में प्राचलिक वेतन का निर्दर्शन वेतनमान का न्यूनतम वेतन से किया जाएगा।

(v) समाजसेवा-पत्र प्रतिक्रिया में पहले से ही लकड़ा कर्मचारियों के गवर्नर में संलग्नित बैठकमान में बैठकमान का नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड से गवर्नर कामर सह की रखी है।

(vi) यदि कर्मचारी देतनमान में चूनातम बैठकमान किसी कर्मचारी द्वारा आडरिट भौजुदा थोन से अधिक है तो उसके बैठकमान का नियोरेश समन्वयित बैठकमान में चूनातम बैठकमान की रखी है।

(vii) यदि किसी कर्मचारी का पारिषदा धैतन चर्चोवित बैठकमान के चूनातम देतन से अधिक हो तो संशोधित बैठकमान में आगे उच्चतर बैठकमान में बैठक नियोरेश की जाएगी।

(viii) यदि कर्मचारी पालाट के लागू होने की विधि ने दौक पहले धारारत पढ़ पर प्रथम 5 वर्ष के लिए होने पर चाहोवित बैठकमान में एक बैठक इष्टि प्रचान की जाएगी।

(ix) सुनिविश्व फैरिक दिकान (एलीटी) के संबंध में लकड़ी कर्मचारी को घाने के लिए लैण्ड्राकाल में यान से बान तीप लानकी दी ग्राएंटी अधिक पहली 10 जाल की सेतु संतोषप्रद ढांग से पूरी लारे पर अगले लैण्ड्राक येक वे, दृश्यमी 20 जाल की सेतु संतोषप्रद ढांग से पूरी काने पर जाले उच्चतर चैव में और दीस्तरी 30 जाल की सेतु संतोषप्रद ढांग हो तो पूरी काने पर अगले उच्चतर चैव में होगी।

(x) लकड़ीवित कर्मचारों द्वारा किसी समाजान-पत्र प्रतिक्रिया में लिया गया पद के बैठकमान में छोड़ दी जाए, जिसके बैठकमान के चूनातम 30% से अधिक में उस कर्मचारी ने रुपय की हो, इसके लिए धान में रुपय जाएगी।

(xi) देतन बूट्टेबंदी को दूल चाल्या होन से अधिक नहीं प्राप्त करेगा।

(xii) कोई भी कर्मचारी संशोधित बैठकमान में अधिकारान बैठक में अधिक नहीं प्राप्त करेगा।

(xiii) कर्मचारियों के लिए संशोधित बैठकमान । युलाई 2010 से अग्रियोन्ये होगा। संधारि, यदि कोई कर्मचारी इन दिकानरियों के एच्चतन हेतु अधिनियम की जाता 12 के लैण्ड्राक सलकारी राजनाय के प्राकारन की तारीख से तीन लकड़ा के बैठकमान अपना विकाल्य नहीं देते तो कमना नीचुदा बैठकमान और "भौजुदा परिलक्षिता" कागम रहेंगे, तो उनके यह बैठकारान द्वारा यह अपना गैजुदा बैठकमान और ऐसे परिवर्तियों को कामन रख रहेंगे।

ब्याख्या:

- (1) किसी कर्मचारी के "भौजुदा परिलक्षिता" का अर्थ दसका मूलकेन, परिवर्ती नहार्ड भता यो कि आंतरिक कामणान के लिए (2001=100) अधिक भागीदार उत्पादन युन्य एवजान के ऊनार पूलाई, 2009 जो अनुभि से यून, 2010 के लैण्ड्राक 107 अंक था यो ऊनाई, 2009 की अनुभि से कुन, 2010 तक दिकानरियों के लैण्ड्राक औद्योगिक कामणान के लिए (1982=100) नियोरेश फारक 4.63 द्वारा नियोरिय होगा ओर कर्मचारी नियोरेश का 30% दिनाक 25 अगस्त, 2008 के अधिसूचना चाला ग्ल 2524(3) और 2525(3) द्वारा अधिकै प्रतिक्रिया के लिए मूलकेन बैठकमान का अनुभाव होगा।
- (2) किसी कर्मचारी की "आंतरिक परिलक्षिता" से आराय यह है कि "भौजुदा परिलक्षिता" के आंतरिक नियोरेश बैठकमान किसी प्रतिक्रिया द्वारा ब्याट (1) में परिमाणित परिलक्षित को सम्पूर्ण कामदेकारी के परिणामस्थलम नह्य हो, अनुद्वच लायदा पदारा, वो दूलकेन, नहार्ड भता अनुद्वच अंतरिम लालत के कुवाइक बदहै जो सकती है।
- (3) किसी कर्मचारी की "आंतरिक परिलक्षिता" जो आराय किसी कर्मचारी का मारिक भूतान जिसमें लैसे भी परिवर्त्य प्राप्त हो नहीं है, जो किसी किशोर उच्चय से संवित नहीं हो और जिस पर किसी बैठक संकेतन अन्यवा महार्ड भतो के पिल्ल समायोजन के लिए लाहमते नहीं हो गई हो।

19. बकायों के भुगतान की प्रकृति- बकायों को पचाट के प्रबर्तन की तारीख से भुगतान जाएगा, छदि कहीं, पूरली कार्यान्वयन के यरिणामस्वरूप देख हो, तो इसका भुगतान तीन बराबर किशतों में इस पचाट के प्रबर्तन की तारीख से प्रत्येक छः माह के पश्चात दी जाएगी तथा पहली किशत का भुगतान तीन माह के मीटर कर दिया जाएगा।

अनुसूची-

समाचार प्रणिष्ठान, इस पचाट के प्रबर्तन बीं तारीख से जो पिछले तीन लेखा वर्षों में आई नकदी नुकसान से प्रभावित रहा हो, को इस प्रकार के बकायों के भुगतान से छुट दी जाएगी। तथापि, इन समाचार प्रतिष्ठानों से यह गणेशित होगा कि वे अपने कर्मचारियों का बेतन नोकासल आधार पर संशोधित घेतनान में इस पचाट के प्रबर्तन बीं तारीख से अर्थात् 1 जुलाई, 2010 से निर्धारित करें।

20. चर्तों के प्रभावी होने की तिथि- इस पचाट में अन्यथा प्रदत्त के अलावा, इसके विपरीत, नकान किराया भला, परिवहन भला, छठिनाई भला अथवा इस पचाट में विनिर्दिष्ट अन्य कोई भले इस पचाट के प्रबर्तन की तारीख से प्रभावी होगी।

अनुसूची-IV:

(समाचार एजेंसी में कर्मजीवी पत्रकारों का समूहन)

अनुसूची-IV.क

(समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में कर्मजीवी पत्रकारों का समूहन)

गुप्त-1 क: प्रधान संपादक, मुख्य संपादक, सुप्रमुख संपादक

गुप्त-1: संपादक, मुख्य उत्पादक (दूरदर्शन), प्रमाणीक ब्यूरो प्रधान

गुप्त-2: मुख्य समाचार संपादक, आवासानिक संपादक, प्रार्थिक संपादक, विज्ञान संपादक, फोटो संपादक और अन्य खास विषयक विशिष्ट संपादक, क्रीड़ा प्रधान, राष्ट्र ब्यूरो (राजधानी) का प्रधान, चयन पर आधारित विशेष, प्रधान अधिकारी विदेशी संवाददाता

गुप्त-3: विशेष संवाददाता अधिकारी इवान संवाददाता, विदेशी संवाददाता, समाचार संपादक, मुख्य रिपोर्टर, मुख्य कोटोराफर, उत्पादक (दूरदर्शन), स्टोक एक्सचेंज सेक्षनों का प्रधान, प्रधान समाचार एक्सचेंज, विशेष संवाददाता (वृत्तवर्तन), प्रधान राज्य ऑफिस ब्यूरो और मुख्य लाइब्रेरियन।

गुप्त-4: मुख्य सुप्रमुख अथवा उप मुख्य उप संपादक अथवा चारिए उप संपादक अधिकारी उप संपादक, वरिष्ठ संवाददाता और वरिष्ठ लाइब्रेरियन।

गुप्त-5: वरिष्ठ रिपोर्टर अधिकारी रिपोर्टर, वरिष्ठ फोटोग्राफर अधिकारी, साहायक उत्पादक-सह-रिपोर्टर (दूरदर्शन), संवाददाता, कोटोराफर, दूरदर्शन रिपोर्टर और लाइब्रेरियन।

नोट-

(1) समाचार एजेंसी ने किसी पद के साथ पदस्थापित कोई भी समाचार पत्र कर्मचारी अनुसूची में उल्लिखित उन लोगों से अलग है किन्तु इन समान अथवा समान प्रकृति के कार्यों को करने के लिए सूची में किसी भी ग्रुप से उसे शुप्र में कार्यकारी पत्रकार कहा जाएगा।

(2) अनुसूची में उल्लिखित सभी दर्जे के कर्मचारी को समाचार एजेंसी के प्रत्येक दर्जे में विद्यमान है अथवा नहीं।

अनुसूची-IV.य

(काव्यालंक परिभाषा - अमजीदी प्रकाश)

ग्रुप I.क

1. 'प्रधान संपादक' अथवा 'मुख्य संपादक' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो एक समाचार एजेंसी में संबंधी कार्यों का देखरेख करता है।
2. 'उप मुख्य संपादक' ला अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो उप मुख्य संपादक द्वारा उनके कार्यों के निपादन में सहयोग करता है और उनकी उन्नपत्तियों में कामकाज देखता है।

ग्रुप I.

3. 'संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो समाचार एजेंसी के संपादकीय भाग के कार्य के लिए निदेश देता है और उसका निरीक्षण करता है।
4. 'मुख्य लिर्माता (दूरदर्शन)' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो समस्त समाचार के केन्द्रीय समाचार छेस्क का प्रबंधक है और जो बंगलूरु और हैदराबाद के जलाया महानगरिय केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, गुम्बई, कोलकाता और बैन्नई का प्रबंधन और मार्गदर्शन करता है।

ग्रुप II

6. 'मुख्य समाचार संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो उप मुख्य संपादक को उनके कार्यों के निपादन और समाचार संबंधी कार्यकलायों के समन्वय में सहयोग करता है।
8. 'वाणिज्यिक संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो समाचार और व्यवसाय, वित्त, घटायां और उद्योग संबंधी लगाचारों और विद्यार्थी के कार्यकलाप को देखता है और उन पर डप्टना विधार देता है तथा एक अथवा आधिक रिपोर्टरों के कार्यों का विलेपन एवं प्रबंधन करता है।
7. 'आर्थिक समाचार' का अर्थ एक ऐसी व्यक्ति से है जो समाचार एजेंसी के आर्थिक गोपालों का प्रबंधन करता है।
9. 'विज्ञान संपादक' का अर्थ एक व्यक्ति से है जो विज्ञान और प्रोटोग्राफी से संबंधित विशिष्ट लगाचारों को देखता है और समाचार एजेंसी के विज्ञान शोध संबंधी मामलों का प्रबंधन करता है।
10. 'फ़ीचर संपादक' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो फ़ीचर संबंधी मामलों को देखता है और समाचार एजेंसी के फ़ीचर सेवाओं को सानने लाता है।
11. 'फोटो संपादक' न्यूज ऐजेंसी के फोटो सेवाओं को संचालित और समन्वय करने वाला होता है।
12. 'होशीय प्रबंधक' देश के पश्चिमी/उत्तरी/ पूर्वी/दक्षिणी क्षेत्रों में समाचार एजेंसी के समाचारों और जन्म सेवाओं का प्रबंधक होता है।

13. 'राज्य च्युटो का प्रयुक्त' का अर्थ उस व्यक्ति से जो राज्य की राजधानी में सभी प्रकार के संग्रह करने के लिए विद्या-निवार लाए करता है।

14. चयन के आधार पर 'विशेष संचाददाता' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से जो काहे अधिकतम् और चलातारायेत्य के निषिद्धतः की बजाए से उच्च दर्जे में पद रक्षाप्रीत होते हैं।

उपर्युक्त

15. 'पिशेष संचाददाता' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के हैं जो केन्द्र सरकार के प्रति उत्तमदायी होते हैं और विनाका निवार कान्ते संसदीय, राजनीतिक अथवा साधान-मन्त्र्य के समाधारों को प्रधालित करता है उपर्युक्त एक व्यक्ति यो एक महानरीय केन्द्र ने रहते हैं जिसे आर्थिक महात्म अथवा राष्ट्रीय अथवा भाषार्थीय प्रकृति के समाधारों को कवर करते में विकिष्टता हासिल है।
16. 'प्रयान संगवदयात्' का अर्थ रुद्ध्य की चलवानीनमें यो उत्तम संचाददाता से है जो राज्य सरकारी के प्राप्त फ्रांचाइज होते हैं।
17. 'विदेश संचाददाता' का अर्थ केवल व्यवित से जो विदेश में रहते हुए उन देशों उपर्युक्त उस देश के हितों के लिए सामादार कवरेज यारते हैं जिसके लिए उसकी लूटपाठी लगायी जाती है।
18. 'समाचार समाजदक्' का अर्थ एक ऐसे व्यक्तिसे जो समाचार प्रबन्ध अथवा नामानन्दीय केन्द्र के कोरिय समाचारों का व्यवेक्षण होता है और विनिमय समाचार सेवाओं की देखभाल, निर्विद्यन और गणदर्शन करता है।
19. 'मुख्य रिपोर्टर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो भावानारीय केन्द्र में उक्क केन्द्र के अंतर्गत तभी रिपोर्टरों का प्रबन्ध करता है और सभी विद्यार्थी, राजनीतिक अथवा समाज-महत्वा के समाधारी वा रिपोर्टर होता है।
20. 'मुख्य फोटोग्राफर' का अर्थ यह व्यक्ति जो कोटोंप्रारुपों के बायो का वितरण तथा अग्रिम्य करता है।
21. 'दूरदर्शन निर्माता' का अर्थ वह व्यक्ति जो संकेती देखों के प्रोग्रामिंग (आर्टिफिशियल विड्या और समाचार) का प्रबन्धक होता है।
22. 'स्टॉक एक्सप्रेयर' का अर्थ वह व्यक्ति जो लॉटक एक्सप्रेयर चुननामौं कौर स्टॉक सेवा रिपोर्ट तथा समन्वय करता है।
23. 'प्रांगक समाचार प्रवाहारोज' का अर्थ वह व्यक्ति जो समाचार एजेंसियों के गोप्यानों का दूसरे एजेंसियों से अवान-प्रदान करता है।
24. 'पिशेष संचादवाला (तृष्णवर्णनी)' का अर्थ वह व्यक्ति जो समाचारों और सामायिक विषेस्टी का प्रबन्ध करता है जहाँ प्रबन्ध करता है।
25. 'राज्य कैपिटल बूरो प्रबन्धक' यह व्यक्ति जो राज्य की राजधानी में सभी प्रकार के समाचार के भ्रग्हण में विनाका और विद्यरान करता है।
26. 'मुख्य साहसोरियन' का अर्थ है यह व्यक्ति जो लॉटक्सेरेन के कामों जो समाचार से संबंधित विकारों को तेवर करने वाला उसकी देख-माल करते हैं और अपनी विचारकाता बाबत करते हैं जो कि समाचार कि कड़ानियों की पटकाया उत्तरावे मुद्दा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

पृष्ठ-V:

27. मुख्य 'उप सचिवाल' का अंतर्नालगरीय फोन ने कार्रवाई पक्ष विभिन्न गो उप-सचिवालों के बायें को चिप्ट एवं नियमितका बीच व्यवहार करता है और उसके कारणों का विनाशन तथा देखभाव करता है।

28. 'उप मुख्य उप सचिवाल' अधिक योरिक सचिवाल का अंतर्नालगरीय केन्द्र के उपर व्यक्तिमति को विभिन्न गो से मुख्य लिपट के अलावा अन्य ग्रिट भी सचिवाल की ओर लिपट करने के लिए पदाधर उठने लगते हैं जबकि जिनकी नियमित बूट्टी विलों ग्राहकों के लिए समाचार लेपार करना और क्षेत्रगत है।

29. 'उप सचिवाल' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति के सभी मदों को पानू, चाला, सलीला, तादारा, चित्तरा, अनुग्राद, परिट और चूज छोड़ने समाचार करता है और उसके कारणों को संघर्षित करता है।

30. 'परिषद् नियमितका' का अंतर्नालगरीय केन्द्र ने ऐसे व्यक्तियों से हैं जिनकी विभिन्न उपर्युक्त संस्थानीय, सरकारीय, साधारण नियमितक, सचिवाल, सचिवाल के अधिकारी और व्यवसायिक सदूरत, चालालय और राइफ खेलों से संघर्षित समाचारों को नियमित रूप से कावर करने के लिए बहुत दिए जाते हैं।

31. 'परिषद् नियमितका' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति ने समाचार के कानों जो समाचार के विभिन्न गो उपर करने के लिए बहुत दिए जाते हैं जो कि समाचार के क्षेत्रोंमें उपर अपनी विभागताएँ घासते हैं जो कि समाचार अपना उसको दूसरी देखा गया करते हैं और अपनी विभागताएँ घासते हैं जो कि समाचार के क्षेत्रोंमें उपर अपना उसको दूसरी देखा जाता है।

पृष्ठ-V:

32. 'परिषद् विपाकार' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति से है जिनको विभिन्न उपर्युक्त में समाचार के लाभावाले भूत्या गोव विभान समाचारों की कार्रवाई करना शामिल है।

33. 'विपाक' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति ने जो एक छाक केन्द्र के समाचारों को प्रक्रियता एवं प्रत्यक्षता करता है।

34. 'विपाक फालापाकार' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति से जो अनियावल्यपूर्ण परन्तुहीन के कानों जो समाचार करता है और विस्त व्यापक को लाभ देने वाले एवं प्रमुख कोलंपाकार वीं अनुप्रियता ने कार्य करते हैं।

35. 'विपाक विनाला-वहुविपाक' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति है जो कावर के क्षेत्रोंमें सेवा को फलान्तर के विभिन्न गोवकर्ता करता है जिसमें अनुभवान और विधिटा शामिल है।

36. 'समाचाराला' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति ने है जो लिजी भी केन्द्र से समाजसेनी इकाइयां करता है और वास्तविक अन्य समाजों में होनी तक आवत्ता है।

37. 'फोलंपाकार' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति से है जो जाविति से गोवकर्ता विनाले के समाचारों को फोलोगारी के गोवकर्ता से जावता है।

38. 'पुरवर्गन विपाकार' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति पर वूरदर्दीन विग के लिए समाजसेनों को जावता है परन्तु उसका करता है।

39. 'लवद्वारियन' का अंतर्नालगरीय उपर व्यक्ति जो समाचार से संकेतित रिकार्डों को देखता तथा उसकी देखभाल करते हैं और विभिन्न विभागाला व्यापक करते हैं जो कि समाचार कोलंपाकी की पत्रिकायां उपर उपयोग में लाया जाता है।

अनुसूची -V

(गैर पत्रकार कर्मचारी-समाचार एजेंसी रथायना में प्रशासनिक कर्मचारियों का समूह)

समूह-1क

उपराष्ट्र, वरिष्ठ पड़ाववेदक तथा महाप्रबंधक, प्रशासन का प्रमुख वित्तीय प्रबंधक -सह-संचियः

समूह-1:

नुस्ख अभियन्ता; प्रबंधक (कार्मिक); लेखा प्रबंधक, प्रबंधक (प्रोन्नति एवं विकास), प्रबंधक (तकनीकी समन्वय), कार्मिक अधिकारी, मुख्य तंत्राकार, कंपनी संचिय, उपसुख्य आतंरिक लेखा परीक्षक

समूह-2:

क्षेत्रीय अभियन्ता, हेत्रीय प्रसारण प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी और सदृश पद, लेखा अधिकारी आतंरिक तंत्राक परीक्षक और सदृश प्रशासनिक पद, विकिर्णी संपादक, अभियन्ता (दूरदर्शन), साउण रिकॉर्डकारी, केमरामेन, हलेक्ट्रॉनिक्स अभियन्ता(आरएफडी), अभियन्ता, रोकडिगा, वरिष्ठ ट्रैफिक पर्यावरक, वरिष्ठ व्यावसायिक पर्यावरक

समूह-3:

प्रसारण पर्यावरक, केयर टेक्नर और अन्य सदूरा पद, उत्पादन राजावक, ट्रैफिक पर्यावरक, पर्यावरक (लेखा), लाइटिंग तंत्रायन, व्यावसायिक पर्यावरक

समूह-4:

वरिष्ठ वाणिज्यिक सहायक, वरिष्ठ प्रवालक, चारिकी, सहायक आशुलिपिक, कनिष्ठ अभियन्ता, वरिष्ठ ट्रैफिक सहायक, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक

समूह-5:

लिपेज, टाइपिस्ट, शांतिकी, कनिष्ठ प्रवालक, कुक्ल कर्मचारी, कार बालक, दूरभाव प्रवालक, कनिष्ठ ट्रैफिक सहायक, कनिष्ठ व्यावसायिक सहायक, अभिष्ठ सहायक(लेखा), कनिष्ठ सहायक

समूह-6:

एठडर, नारीन एटेंडर, हडलदार, अनिलेश्वाकार, गैरटेनर प्रधालक, चरवासी, स्वीपर चौपडीदार, माली, मैलैजर

नोट - (i)

तनावार एजेंसियों में किसी वय पर पदसंवादित कोई भी समाचार या कर्मचारी अनुसूची में वर्तमान गई उन सौनीं से अलग है किन्तु इसे समान अध्ययन तात्पात्र प्रयोगिक के कार्यों को करने के लिए सूची ने किसी भी गुण से उसे युप के गैर पत्रकार का दर्ज दिया जाता है।

(ii) अनुसूची में सुलिलिखित सभी दर्जे के कर्मचारियों को समाचार एजेंसी के प्रत्येक दर्ता में विद्यमान है अध्ययन नहीं।

सारणी - I
समाचार एजेंसी प्रतिष्ठान

क. श्रमजीवी पत्रकार

समाचार एजेंसी प्रतिष्ठानों की श्रेणी	<— कर्मचारी-समूह के लिए वेतनमान —>						परिवर्तनीय वेतन (गूल वेतन का %)
	1ए	1	2	3	4	5	
I (60 करोड़ रु. और अधिक)	25000 रु. -एआरआई (4%)- 54800	22000- रु. -एआरआई (4%)- 48300	19000- रु. -एआरआई (4%)- 41700	17000- रु. - एआरआई (4%)-37300	15000- रु. -एआरआई (4%)-32900		35%
II (30 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 60 करोड़ रु. से कम)	22000- रु. -एआरआई (4%)- 48300	20000- रु. -एआरआई (4%)- 43900	18000- रु. -एआरआई (4%)- 39500	16000- रु. - एआरआई (4%)-35100	14000-एआरआई (4%)-30700		35%
III (10 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 30 करोड़ रु. से कम)	14000- रु. -एआरआई (2.5%)- 23000	13000- रु. -एआरआई (2.5%)- 21400	12000- रु. - एआरआई (2.5%)- 19700	11000- रु. - एआरआई (2.5%)- 18100	10000- रु. -एआरआई (2.5%)-16400		20%

IV	10.000,- kr.	12.000,- kr.	11.000,- kr.	11.000,- kr.	-1.313.135,- kr.	-1.313.135,- kr.	1.640,- kr.	1.790,- kr.	1.590,- kr.	1.590,- kr.	1.340,- kr.	(2%) -1.340,- kr.	1.590,- kr.	(2%) -1.340,- kr.	3.000,- kr.	3.000,- kr.	(2%) -1.1900,- kr.	20%
----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-----

Från detta, vilket är det enda vi har fått i
räkningen, kan vi se att fakturans beträffande

सारणी - II
समाचार एवं सो प्रतिलिपि

ख. ग्र. पक्का (पश्चासात्काक कर्मी)

समाचार एवं सो प्रतिलिपि की शैली	कर्मचारी-समझ के लिए वेतनमान —>	परिवर्तन वेतन (मूल वेतन का %)					
		1 क	1	2	3	4	5
I (60 करोड़ रु. और अधिक)	17500- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 38400	15000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 32900	13000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 28500	12000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 26300	10000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 22000	9000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 19800	9000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 18700
II (30 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 60 करोड़ रु. से कम)	16000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 35100	14000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 30700	12000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 26300	11000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 24100	9000- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 19800	8500- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 18700	8500- रु. -प्रारंभाइ (4%)- 18700
III (10 करोड़ रु. और अधिक परन्तु 30 करोड़ रु. से कम)	11000- रु. -प्रारंभाइ (2.5%)- 18100	10000- रु. -प्रारंभाइ (2.5%)- 16400	9000- रु. -प्रारंभाइ (2.5%)- 14800	8500- रु. -प्रारंभाइ (2.5%)- 14000	7500- रु. -प्रारंभाइ (2.5%)- 12300	7000- रु. -प्रारंभाइ (2.5%)- 11500	7000- रु. -प्रारंभाइ (2.5%)- 11500

IV (10 वर्षों के लिए)	10000 - ₹. - उत्तराखण्ड (2.5%/-)	16400 14800 14000 13200 13000 8500 - ₹. - उत्तराखण्ड (2.5%/-)	8000 - ₹. - उत्तराखण्ड (2.5%/-)	70000 - ₹. - उत्तराखण्ड (2.5%/-)	30%
--------------------------	--	--	---------------------------------------	--	-----

खुलौफ़: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा योग्यता दी गई दर वाली।

सारणी- III

महंगाई भत्ता की गणना के लिए सूत्र :-

महंगाई भत्ता यही गणना के लिए सूत्र है। अधिकल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक औद्योगिक कर्मचारियों के लिए (आधार 2001=100) पहले के 12 महीनों में औसत बढ़ोत्तरी के आधार पर अधिक भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक औद्योगिक कर्मचारियों के लिए (आधार 2001=100) 167 पर वर्ष 1 जुलाई, 2009 से 1 जनवरी, 2010 के लिए द्विवार्षिक आधार पर देय है और प्रत्येक वर्ष एक जुलाई और एक जनवरी को प्रभावी होता है जो कि निष्प्रभावीकरण की दर और मूल वेतन के हासा गुण कर दिया जाएगा। गणितीय रूप में इसे निम्नवत लिखा जा सकता है:

अधिकल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक -औद्योगिक कर्मचारी
(प्रश्नागत पहले के 12 महीने)

माइक्रो

अधिकल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कर्मचारी

(जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

महंगाई भत्ता =--

वेतन

----- X निष्प्रभावीकरण की दर (1.0) X मूल

अधिकल भारतीय औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक -औद्योगिक कर्मचारी

(जुलाई, 2009 से जून, 2010 तक)

सारणी - IV
शहरों का वर्गीकरण

		क्षेत्र - "X"			
क्र.सं.	शहर		क्र.सं.	शहर	
1	बंगलूरु	(यूए)	7	अहमदाबाद	(यूए)
2	चेन्नई	(यूए)	8	कालपुर	(यूए)
3	दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगांव, नोएडा का क्षेत्र	(यूए)	9	लखनऊ	(यूए)
4	हैदराबाद / सिकन्दराबाद	(यूए)	10	नागपुर	(यूए)
5	गेटर मुंबई / नवी मुंबई	(यूए)			
6	कोलकाता	(यूए)			

क्षेत्र - "Y"

1	आगरा	(यूए)	18	गुयाहाटी	(यूए)
2	अजमेर	(यूए)	19	गुंदर	(यूए)
3	अलीगढ़	(यूए)	20	ज्वालियर	(यूए)
4	इलाहाबाद	(यूए)	21	इंदौर	(यूए)
5	अमरावती	(यूए)	22	हुबली-धारवाड़	(यूए)
6	अनृतसर	(यूए)	23	जबलपुर	(यूए)
7	औरंगाबाद	(यूए)	24	जयपुर	(यूए)
8	घरेली	(यूए)	25	जालंधर	(यूए)
9	भावनगर	(यूए)	26	जमशेदपुर	(यूए)

10	बीकानेर	(यूए)	27	जोधपुर	(यूए)
11	भोपाल	(यूए)	28	कौची	(यूए)
12	मुवलेखर	(यूए)	29	कोल्हापुर	(यूए)
13	चंडीगढ़	(यूए)	30	कोझीकोड़	(यूए)
14	कोयम्बटूर	(यूए)	31	कोटा	(यूए)
15	कटक	(यूए)	32	लुधियाना	(यूए)
16	दुर्गापुर	(यूए)	33	मदुरई	(यूए)
17	गोरखपुर	(यूए)	34	मेरठ	(यूए)
18	मुरादाबाद	(यूए)	53	लालपुर	(यूए)
19	मेसूर	(यूए)	54	पुडुचेरी	(यूए)
20	तासिक	(यूए)	55	सेलम	(यूए)
21	पुणे	(यूए)	56	तिरुपुर	(यूए)
22	पटना	(यूए)	57	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
23	रायपुर	(यूए)	58	आसनसोल	(यूए)
24	राजकोट	(यूए)	59	येळगांव	(यूए)
25	रांची	(यूए)	60	मिंदडी	(यूए)
26	सोलापुर	(यूए)	61	थनवाद	(यूए)
27	श्रीनगर	(यूए)	62	देहरादून	(यूए)
28	सूरत	(यूए)	63	दुर्ग-मिलाई	(यूए)
29	तिरुवनंतपुरम	(यूए)	64	जस्मू	(यूए)
30	यडोदरा	(यूए)	65	जालधर	(यूए)
31	वाराणसी	(यूए)	66	जालधर छावनी	(यूए)
32	विजयवाडा	(यूए)	67	जाम्मगर	(यूए)
33	विशाखापट्टनम	(यूए)	68	कालपुर	(यूए)
34	वारंगल	(यूए)	69	दुर्ग-मिलाई नगर	(यूए)
35	मंगलोर	(यूए)			

क्षेत्र "जैड" के अंतर्गत ये सभी क्षेत्र आएंगे जो सूची में नहीं दर्शाएं गए हैं।

टिप्पणी: यूए का अर्थ है शहरी समूह।

[फा. सं. ची-24032/1/2011-डब्ल्यूडी]

टी. के. वासु, उप-महानिवेदक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 11th November, 2011

S.G. 2532(E).—Whereas, for the purpose of enabling the Central Government to fix or revise rates of wages for working Journalists and non-journalist newspaper employees, two Wage Boards were constituted under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) on the 24th May, 2007 by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment numbers S. O. 809 (E) and 810 (E) dated the 24th May, 2007 respectively;

And, Whereas, the Wage Boards were given three years' time to submit their Reports to the Central Government vide notifications in the Gazette of India (Extraordinary) S. O. Nos. 1066 (E) and 1067 (E) dated 3rd July 2007. The term of the Wage Boards for submitting the Reports was extended up to 31st December, 2010 vide notifications numbers S.O 1304(E) and S.O 1305(E) dated 2nd June, 2010;

And Whereas, the said Wage Boards submitted their recommendations to the Central Government on the 31st day of December, 2010;

And Whereas, a Writ Petition (C) No.246 of 2011 in the matter of ABP Pvt. Ltd. and another versus the Union of India and others is pending before the Hon'ble Supreme Court of India challenging the constitution and the recommendations of the Wage Boards;

And Whereas, the Central Government has taken legal opinion and it has been advised to issue order under section 12 of the said Act, subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the said case;

And Whereas the Central Government proposes to accept the recommendations of the said Wage Boards as contained in Chapter XIX of Part-V of the report which is appended as Annexure-I (a) and chapter XX of the said Part-V of the report which is appended as Annexure-I (b), subject to certain modifications hereafter specified, being modifications which, in the opinion of the Central Government, do not effect important alterations in the character of the recommendations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), and in supersession of the notification number S.O.1086 (E), dated the 5th December, 2000, as amended by number S.O.1125 (E), dated 15th December, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby orders, subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court, that,—

1. In Part V, in Chapter XIX of the Recommendations of the Wage Boards for working journalists and non-journalist newspaper employees in newspaper establishments (other than news agencies).—
 - (a) in paragraph 6, for the heading "Classification of News Agency", the heading "Classification of Newspaper Establishment" shall be substituted;
 - (b) in para 11, in the Explanation.—
 - (i) in clause (a), for the figure and words "3% of gross revenue", the figure and words "2% of gross revenue" shall be substituted;
 - (ii) in clause (b), for sub-clause ii, the following sub-clause shall be substituted, namely.—
 - iii. In respect of newspaper establishments falling under Classes V to VIII, where 20% of increase as a result of variable pay is recommended, the current basic pay would rise by around 2.58 to 2.84 times";
 - (c) in para 20, in the Explanation, in clause (1), for the figures, letters and word "25th August 2008", the figures, letters and word "24th October, 2008" shall be substituted;
 - (d) for Schedules I.A and I.B, the following Schedules shall be substituted, namely :—

'SCHEDULE – I.A
(Grouping of Working Journalists in Newspaper Establishments)

Group – 1A : Editor

Group – 1: Executive Editor, Resident Editor, Associate Editor, Joint Editor, Deputy Editor, and Chief News Coordinator or Chief News Editor.

Group – 2: Chief of News Bureau, Assistant Editor, Leader Writer, News Editor, News Coordinator, Special Correspondent.

Group – 3: Chief Reporter or Chief Correspondent, Chief Sub-Editor or Content Chief, Deputy or Assistant News Editor, Photo Editor, Sport Editors, Commercial Editor, Science Editor, Economic Editor, Film Editor, Feature Editor, Magazine Editor, Cartoonist, Chief of Statistical or Research Division, Chief News Photographer, Chief Librarian; Chief Index Assistant; Chief Calligraphist; Chief Artist; Page designer; Principal Correspondent in State capital accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent and other sectional or batch heads, not placed in a higher category.

Group – 4: Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor, Deputy Chief Reporter or Senior Reporter, Senior Correspondent, Deputy Page Designer; Senior Calligrapher; Senior or Deputy Chief Artist Senior Librarian, Senior Index Assistant; Senior Research Assistant, Senior Photographer.

Group – 5: Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Artist, Calligrapher including Khatibs, Librarian, Index Assistant, Chief Proof Reader and Senior Planner / Senior Scanner Operator.

Group – 6: Proof Reader including Advertisement Proof Reader-Planner, Scanner / Scanner Operator, and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.

NOTE: (1) Any newspaper employee employed with any designation different from those enumerated in the schedules, but doing the same or similar nature of job, of any group in the schedule, shall be deemed to be a working journalist in that group.

(2) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of newspaper establishments.

SCHEDULE - I.B

(Functional definitions – Working Journalists)

Group – 1A:

1. "Editor" means a person who directs and supervises the work of the editorial side of the Newspaper.

Group – 1:

2. "Executive Editor" means a person who assists in the editorial and production functions of a newspaper, whether or not he supervises the work of Resident Editor, Assistant Editor, etc.
3. "Resident Editor" means a person, who performs the functions of an Editor of a newspaper at a centre other than the one from which the newspaper is originally published or other than the headquarter of the newspaper establishment.
4. "Associate Editor" or "Joint Editor" or "Deputy Editor" means a person who generally assists the Editor in the performance of the work of the Editor.
5. "Chief News Coordinator" or "Chief News Editor" means a person, who coordinates as overall chief of all the news items to be published in the newspaper and supervises the work of the News Coordinators or News Editors.

Group – 2:

6. "Chief of News Bureau" means a person who supervises the work of the news bureau and assigns work to the Bureau members.
7. "Assistant Editor" means a person who regularly assists the Editors in the discharge of his duties generally in relation to review, opinions, comments or criticism.
8. "Leader Writer" means a person who regularly writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.
9. "News Editor" or "News Coordinator" means a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper.
10. "Special Correspondent" means a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or other-wise at the head-quarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such.

Group - 3

11. "Chief Reporter" or "Chief Correspondent" means a person who is in charge of all reporters/ Correspondents at a centre of publication, supervises their work and also regularly reports and interprets all news of legislative, political or general importance.
- 11A. "Deputy or Assistant News Editor" means a person who assists the news editor in the discharge of his duties generally and/or is in charge of bringing out the city edition.
12. "Chief Sub-Editor or Content Chief" means a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the newspaper or in a particular edition or part of it.
13. "Sports Editors" means a person in charge of the sports section of a newspaper, deals with news and views on sports and allied activities, allocates and supervises the work of one or more reporters and of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of sports news.
14. "Photo Editor" means in-charge of operating the photo service of the news agency and coordination of the service.
15. "Commercial Editor" means a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade, industry and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.
16. "Economic Editor" means a person, who is in charge of bringing out the matters of general economic importance of the newspaper and allocates and supervises the work of one or more reporters.
-
17. "Science Editor" means a person who deals with specialized news relating to science and technology, and is in-charge of bringing out the Science service of the newspaper.
18. "Film Editor" means a person who deals with news and views bearing on films and stage and is in charge on specified column or page on stage and screen and supervises the work of one or more working journalists.
19. "Feature Editor" means a person who deals with features and is in charge of bringing out the Features Service of the news agency and supervises the work of one or more working journalists, reporter or correspondent engaged in these activities.
20. "Magazine Editor" means a person who deals with news and views bearing on literary or entertainment items of relevant news and thoughts and other connected

- subjects of literature is in-charge of specified columns or pages and two or more working journalists who supervises their work.
21. "Cartoonist" means a person who comments upon news and events through cartoons, caricatures or comic strips.
 22. "Chief of Statistical or Research Division" means a person in charge of statistical or research division which deals with matters bearing on commerce, finance, trade and industry in a financial paper and supervises the work of one or more working journalists.
 23. "Chief News Photographer" means a person who allocates and supervises the work of one or more news photographers.
 24. "Chief Librarian" or "Chief Index Assistant" or "Chief Calligraphists" or "Chief Artist" means a person who supervises the work of one or more librarians, Index Assistants, Calligraphist and Artists respectively.
 25. "Page designer" means a person who designs the contents of news items to be published on a city or subject specific page or pages of newspaper.
 26. "Principal Correspondent" is Correspondent who is accredited to the State Government and Correspondent is a person accredited to the Central Government other than special Correspondent and other sectional or batch heads.

Group – 4:

27. "Deputy Chief Sub-Editor" or "Senior Sub-Editor" means a person who regularly assists the Chief Sub-Editor in the discharge of his duties and acts in his place in his absence.
28. "Deputy Chief Sub-Editor / Reporter" means a person who regularly assists the Chief Sub-Editor or Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor in the discharge of his duties.
29. "Deputy Chief Reporter" or "Senior Reporter" means a person who assists the Chief Reporter and acts in his place in his absence.
30. "Deputy Page Designer" means a person who designs the contents of news items to be published on a city or subject specific page or pages of newspaper under the overall supervision of Chief Designer or Page Designer.
31. "Senior Correspondent" means a person other than special and principal correspondent and his duties and responsibilities would include the reporting on important news at any important centre other than the centre of publication and have put in service of not less than five years as correspondent or Reporter.

32. "Senior Photographer" or means a person, who has put in service of not less than five years in photographic profession and as also assists the photo editor in carrying out duties and responsibilities in the field.
33. "Senior Calligraphist", "Senior or Deputy Chief Artist" or "Senior or Deputy Chief Librarian", "Senior Index Assistant", and "Senior Research Assistant" means a person who assists the Chief Calligraphist, Chief Artist, Chief Librarian, Chief Index Assistant, and Chief of Statistics or Research Division as the case may be, and has put in service of not less than five years.

Group – 5

34. "Sub-Editor or Senior Reporter" means a person who receives, selects, shortens summarizers, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions.
35. "Reporter" means a person who gathers and presents news at a particular centre.
36. "Correspondent" means a person who gathers and dispatches by Email, website, wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication.
37. "News Photographer" means a person who covers news events of public interest through photographs.
38. "Artist" means a person who prepares for publication drawing, layouts, maps, graphs or other similar embellishments, illustrations of any kind or of creative art. He may do some or all of these functions.
39. "Calligraphist" means an artist who performs journalistic work and also calligraphy matters.
40. "Librarian" or "Index Assistant" means a person who prepares and maintains records, relating to news and views which are used as background or fill out for current stories. Persons not performing any of these functions shall not be covered.
41. "Chief Proof Reader" means who allocates and supervises the work of one or more proof readers and is in charge of a shift.
42. "Senior Planner" means a person who supervises the work of photo editing, colour editing and shadow editing undertaken by the Planner.
43. "Senior Scanner Operator" means a person who supervises the work of scanning of the photographs/colour advertisements/illustration etc. undertaken by Scanner/Scanner Operator.

Group – 6

44. "Proof Reader" means a person who checks up printed matter of proof with Editor's copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected.
45. "Planner" means a person who assists in the job to photo editing, colour editing and shadow editing so highlight any news matter given by the Editor.
46. "Scanner / Scanner Operator" means a person, who scans the photograph / colour advertisements / illustrations and colour correction of photographs and transparencies' ;
- (e) In Table – V relating to Classification of Cities, under the heading AREA – "Y", -
- the entries against serial numbers 53 and 68 shall be omitted;
 - the serial numbers of all entries thereunder shall be renumbered consecutively as serial numbers 1 to 67.

2. In Chapter XX of the Recommendations of the Wage Boards for working journalists and non-journalist newspaper employees in news agencies, -

- for the words "newspaper establishment", wherever they occur, the words "news agency" shall be substituted;
- with respect to the recommendations regarding allowances referred to in paragraphs 15, 16 and 17, News Agencies of Class I and II shall be treated as equivalent to Class I and II of Newspaper Establishments and Class III and IV of News Agencies shall be treated as equivalent to Class V and VI of Newspaper Establishments.
- for paragraph 14, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"14. Night shift allowance – The Night shift allowance as per rates indicated in the following Table shall be paid to the employees by the news agencies :-

Class of news agency	Rate per night shift
I & II (As equivalent to Class- I and II of newspaper establishments)	Rs. 100
III & IV (As equivalent to Class- V and VI of newspaper establishments)	Rs. 50/-

(d) In Table - 1, for the entries under columns 1 to 5 relating to scale of pay for group of employees belonging to class III and class IV of the News Agency establishment the following entries shall be substituted, namely:-

Class of News Agency establishment	Scales of pay for Group of Employees					Variable Pay (% of Basic pay)	
	1A	1	2	3	4		
III	No Scale	Rs.16000- ARI (2.5%)- 26300	Rs.14000- ARI (2.5%)- 23000	Rs.13000- ARI (2.5%)- 21400	Rs.12000- ARI (2.5%)- 19700	Rs.11000- ARI (2.5%)- 18100	20%
IV		Rs.14000- ARI (2.5%)- 23000	Rs.13000- ARI (2.5%)- 21400	Rs.12000- ARI (2.5%)- 19700	Rs.11000- ARI (2.5%)- 18100	Rs.10000- ARI (2.5%)- 16400	20%*

(e) In Table II for the entry "30%" under the column relating to Variable Pay (% of Basic Pay) against class III and class IV of News Agency Establishment, the entry "20%" shall respectively be substituted;

(f) in Table IV, relating to Classification of Cities, under the heading Area "Y",-

- a) the entries against serial numbers 53 and 68 shall be omitted;
- b) the serial numbers of all entries thereunder shall be renumbered consecutively as serial numbers 1 to 67.

Annexure I (a)

Part-V: RECOMMENDATIONS

Chapter - XIX

Recommendations of the Majithia Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees in Newspaper Establishments (Other than the News Agencies)Section I
PRELIMINARY

Short title and commencement: (1) These recommendations may be called the Majithia Wage Board Award.

(2) The Award shall be deemed to have come into force on the first day of July 2010.

2. Definitions- In this Award, unless the context otherwise requires -

- (1) "Act" means the Working Journalist and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (XLV of 1955);
- (2) "Accounting year" used with reference to a particular year shall in the case of newspaper establishment mean financial year, the year commencing on the first day of April. In case, however, the accounting year of a newspaper establishment is different from financial year, it shall mean that accounting year of the establishment, of which more than half falls in the particular financial year. In case of the newspaper establishment whose accounting year starts from 1st day of October, the accounting year would be that year in which the first six months fall.

Illustration - If the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st day of January, 2009, reference to the accounting year 2009 in this Award shall be construed as reference to accounting year 2009-10. Again, if the accounting year of the newspaper establishment starts from 1st day of October, reference to accounting year 2009 in this Award will be construed as reference to the accounting year 2009-10 of that establishment.

- (3) "Basic wage" means wages drawn in the prescribed scale of wages, including stagnation increment, if any, but does not include any other type of wages or pay, like special pay, personal pay, etc.

- (4) 'Category' means any of those newspaper employees mentioned under the groups set out in this Award.
- (5) "Gross Revenue" of a newspaper establishment (other than news agency) means the total revenue derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation and advertisement in its newspaper or newspapers, and also includes the income from the assets acquired and investments made by it out of funds earned in the newspaper business.

Explanation— For the purpose of this clause,

- (i) The revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the extent to which the amount of commission so allowed is reasonable.
- (ii) Reasonable commission is one which is finally accepted by the Income Tax Authorities in case of a particular newspaper establishment. In cases, where no such final decision of the Income Tax Authorities is available, the circulation commission shall be 25 percent and the advertisement commission shall be 15 percent of the respective revenues.
- (6) "Newspaper employee" means working journalist, or non-journalist newspaper employee, or both.
- (8) "Schedule" means a schedule annexed to this Award.
- (9) "Table" means a table annexed to this Award.
- (10) The words and expressions "newspaper establishment", "working journalist" and "non-journalist newspaper employee" shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Section II

Classification of newspaper Establishments and Grouping of Newspaper Employees

3. *Classification of newspaper Establishments*— For the purpose of fixation or revision of rates of wages in respect of working journalists and non-journalists newspaper employees (other than the news agencies), the newspaper establishments shall be classified hereinafter provided:

- (a) (i) The classification of newspaper establishments shall be based on the average gross revenue of three accounting years 2007-08, 2008-09 and 2009-10. The different departments, branches and centres of newspaper establishments shall be treated as parts thereof.
- (ii) Notwithstanding the dubbing of different departments, branches and centres of newspaper establishments on the basis of their own gross revenue, the units of the newspaper establishments of all the classes as categorized in paragraph 6 of this Chapter shall not be stepped up by more than two classes over and above the classes to which they belong according to their gross revenue, as a result of their dubbing.

Explanation – For the purpose of this clause,

- (a) If there are different units / branches / companies of one classified newspaper establishment in one town or city and adjoining areas, even though carrying different names, these will be treated as one single unit of that newspaper establishment.
- (b) In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforementioned three (3) accounting years, its classification shall be determined on the basis of its average gross revenue for those two years.
- (c) In the case of a newspaper establishment which has completed only one year of the said accounting years, its classification shall be determined on the basis of its gross revenue for that year.
- (d) A new newspaper establishment, for which the provisions of clauses (a), (b) and (c) above do not apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.

Provided that—

Notwithstanding anything contained in clauses (b), (c) and (d) above, a newspaper establishment which is classified on the basis of two (2) accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment, which is classified on the basis of one accounting year, shall be placed two classes lower than the class in which it is liable to be placed. In either case, it shall not be lower than Class VIII.

4. **Continuance of classification** – The classification determined in accordance with the provisions of this Chapter shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 7 of this Chapter.

5. **Change of ownership** – If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paras 3 and 4 of this Chapter shall apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenue for those years under the new owner.
6. **Classification of news agency** – Newspaper establishment shall be classified under the following classes on the basis of their gross revenue as per paragraph 3^o of this Chapter.

Class	Gross Revenue	Class	Gross Revenue
I	Rupees One Thousand Crore and above	V	Rupees Ten Crore and above but less than Rupees Fifty Crore
II	Rupees Five Hundred Crore and above but less than Rupees One Thousand Crore	VI	Rupees Five Crore and above but less than Rupees Ten Crore
III	Rupees One Hundred Crore and above but less than Rupees Five Hundred Crore	VII	Rupees One Crore and above but less than Rupees Five Crore
IV	Rupees Fifty Crore and above but less than Rupees One Hundred Crore	VIII	Less than Rupees One Crore

Note: - Foreign newspaper establishments, those operating in India with their Principal Office outside India, shall be treated as Class I newspaper establishment.

Explanation – For the purpose of this clause,

- (a) No newspaper establishment shall be deemed to be below class VIII.
- (b) Gross revenue of the circulation and advertisement clubbed together derived by a newspaper establishment, other than the one falling in Class VIII, if the advertisement revenue is less than 50% of its aforesaid revenue, then it should be placed in the class next below the class in which it would fall on the basis of its total average gross revenue.
- (c) Gross revenue of the circulation and advertisement clubbed together derived by a newspaper establishment, other than the one falling in classes VII and VIII, if the advertisement revenue is less than 40% of its aforesaid revenue, then it should be placed two classes below the class in which it would fall on the basis of its total average gross revenue. Establishments falling in Class VII whose advertisement is less than 40% of gross revenue will be placed in Class VIII.

- (d) Newspaper establishment, other than one falling in Class VIII, publishing Indian language newspapers from a district town and not having more than two publications and whose advertisement revenue is less than 50 per cent of the total gross revenue, will be placed one class below the class in which it would fall on the basis of its total gross revenue.
7. *Continuance of classification and reclassification* – (1) The classification made under this Chapter, shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 6 of this Chapter.

(2) It shall be open either to the employer or to the employee to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after one year from the date of the enforcement of the Award on the basis of the average gross revenue of the three immediately preceding accounting years;

Provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of three consecutive accounting years.

Provided that any such reclassification made as per paragraph 7 (2) is required to be adjusted towards the price escalation worked out on the basis of wholesale price index with effect from the financial year just before the implementation of the Majithia Wage Boards Awards.

8. Grouping of Newspaper Employees:-

- (1) The working journalists in newspaper establishments of classes I to VIII shall be grouped as under the Schedule I.A; and the functional definitions of various categories of working journalists in the news agency are described in the Schedule I.B.
- (2) Non-journalist newspaper employees (administrative staff) in newspaper establishments of classes I to VIII shall be grouped as under the Schedule II.
- (3) Non-journalist newspaper employees (factory staff) in newspaper establishments of classes I to VIII shall be grouped as under the Schedule III.

9. Variable Pay:

The concept of variable pay has been introduced, which aims to achieve twin objectives as stated below:

- a. The Sixth Pay Commission had recommended the concept of grade pay and the same was agreed to by the Government for implementation. On similar analogy the concept of variable pay needs to be introduced for all the employees working in newspaper establishments and news agencies. The variable pay will be the specified percentage of the basic pay drawn by an

✓

employee in the newspaper industry. All allowances, such as HRA, Transport Allowance, and Leave Travel Allowance etc. will be computed by taking the sum total of the revised basic pay and the variable pay applicable to an employee.

- b. Variable pay recommended by the Wage Boards would be the minimum maintainable for all employees including those working on contract basis and the management would be free to pay more than recommended variable pay subject to performance of the workers as well as profitability and viability of the newspaper establishments.

Section III

REVISED SCALES OF WAGES AND ALLOWANCES

10. Revised scale of wages for working journalists – (1) The revised scale of wages and variable pay, as recommended by the Wage Board for a span of 20 years, of each group of the Working Journalists in different classes of newspaper establishments is prescribed in Table I.

(2) Every part-time Correspondent and part-time Photographer shall be paid not less than 40 per cent, if he is posted at district head-quarters and above and not less than 30 percent, if he is posted at place below district headquarters, of the basic wage plus dearness allowance applicable to a full time Correspondent / Photographer at similar level, provided that no part-time Correspondent / Photographer will work for more than two newspaper establishments. In addition, payment shall be paid to him on column basis, the rate of which to be settled by mutual negotiations keeping in view the basic wages and dearness allowances drawn by as part-time Correspondent and part-time Photographer.

11. Revised scale of wages for non-journalists: – (1) The revised scales of wages and variable pay, as recommended by the Wage Board for a span of 20 years, of each group of the non-journalist newspaper employees i.e. Administration Staff and Factory Staff in different classes of newspaper establishments are prescribed in Table II and III respectively.

(2) Every time rated employee, that is to say, a person employed to work as time-rated employee (time-work) for either less or more than prescribed working hours and performs the job, or does the duty of a regular employee, shall be paid on pro-rata basis equivalent to the wages of the regular employee on the basis of number of hours for which he is employed.

(i) Explanation – for the purpose of above paragraphs 10 and 11.

- a) The Probable Impact of Wage Increase on newspaper establishments would be explained as below:

It reflects from the analytical data presented in the Annual Survey of Industries that the wages and salaries of employees in newspaper industry are normally 10% of the gross revenue of an establishment and is also supported to some extent by the information on wages and gross revenue submitted by the newspaper establishments to the Wage Boards. The proposal of the Wage Boards suggests around 35% and 20% increase in the wages / salaries over and above the salary including Interim relief of employees working in the newspaper industry falling in classes I to IV and classes V to VIII respectively. Approximately, it would mean that with this increase, the wages would become about 13.5% of the gross revenue in respect of newspaper establishment falling in class I to IV. This would, therefore, result in further burden of just 3.5% of gross revenue. On a similar analogy, the burden on newspaper establishments in class V to VIII would be just 3% of gross revenue. Moreover, this additional burden on newspaper establishment would dissipate over the period as per the past trend. Based on the financial data submitted by the newspaper establishments, the Boards feel that it would be possible for them to bear such a moderate increase.

- b) As regards benefit to newspaper employees

- i. In respect of newspaper establishments falling under Classes I to IV, where 35% of increase as a result of variable pay is recommended, "the current basic pay of the newspaper employee" would rise by around 2.90 to 3.20 times, and
- ii. In respect of newspaper establishments falling under Classes V to VIII, where 30% of increase as a result of variable pay is recommended, the current basic pay would rise by around 2.80 to 3.08 times.

12. Drawal of wages in the revised scales – (1) Save as otherwise provided in this Award, a newspaper employee shall draw wages in the revised scale applicable to the group to which he belongs.

13. Dearness Allowance – (1) The revised rates of dearness allowance shall be paid according to average all-India Consumer Price Index Number for industrial worker (2001=100) compiled by Labour Bureau and will become operative with effect from 01-07-2010.

(2) Dearness Allowance shall be payable bi-annually with effect from 1st July and 1st January every year and shall be sanctioned as soon as the figures for the preceding 12 months, for which all-India

average consumer price index for industrial workers (Base 2001=100) used for determining rate of dearness allowance, becomes available. Dearness allowance will become payable from the beginning of the month immediately succeeding the 12 month period for which All – India average index figures are used for determining rate of dearness allowance.

(3) The Rate of neutralization for determining Dearness Allowance payable Bi-annually on the basis of Consumer Price Index Number for Industrial Numbers would be 100 percent of basic pay for all groups of employees in newspaper establishments and will be calculated as per the formula in Table- IV.

(4) Rate of neutralization for calculating dearness allowance will be 100% vide Table- IV.

Explanation – for the purpose of this paragraph –

The dearness allowance in respect of the period preceding the date of implementation of the Award shall be given at the existing rates.

14. House Rent Allowance – House rent allowance at the rate of 30%, 20% and 10% shall be paid by newspaper establishments to its employees posted in the respective areas defined as Area "X", Area "Y" and Area "Z" respectively, which is based on the pattern followed under the fixation of Minimum Wages in respect of scheduled employments in the Central Sphere, as well as keeping in view of the concentration of Newspaper Establishments in Metros, Cities and Towns. The classification of cities as Area "X", Area "Y" and Area "Z" are prescribed in Table – V.

Provided that –

- (1) where an employee is provided residential accommodation by newspaper establishments, no house rent allowance shall be admissible.
- (2) if an employee is being paid house rent allowance, the same will be adjusted against the amount of house rent allowance payable under this provision.
- (3) where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against house rent allowance payable under this provision.

15. Transport allowance – The Transport allowance at the rate of 20%, 10% and 5%, shall be paid by newspaper establishments to its employees posted in the respective areas defined as Area "X", Area "Y" and Area "Z" respectively. The Area "X", Area "Y" and Area "Z" are prescribed in Table – V.

In view of the transport allowance, which is the major expenditure incurred by the residents including the newspaper employees, being recommended by the Wage Boards, the City Compensatory Allowance stands abolished.

16. Night shift allowance – The Night shift allowance at the rates shall be paid by the newspaper establishment to their respective employees as given in the table below:

Class of Newspaper Establishments	Rate per Night Shift	Class of Newspaper Establishments	Rate per Night Shift
I & II	Rs.100/-	V and VI	Rs.50/-
III & IV	Rs.75/-	VII & VIII	Rs.50/-

17. Hardship allowance – (1) An employee working in newspaper establishment of classes I to IV, which are situated in hilly areas above 5000 feet (1524 meters) from the sea level or in a disturbed area shall be paid a lump sum of Rs.1000 per month.

(2) An employee working in newspaper establishment of classes V and VI, which are situated in hilly areas above 5000 feet (1524 meters) from the sea level or in a disturbed area, shall be paid a lump sum of Rs.500/- per month.

(3) The hardship allowance shall not be applicable to the employees in newspaper establishment of classes VII and VIII.

Explanation – for the purpose of this paragraph, –

The "disturbed area" means disturbed area declared by the appropriate Government, i.e., State Government or Central Government, as the case may be, under the relevant Act.

18. Leave Travel Allowance (LTA) – An employee shall be paid leave travel allowance as equivalent to one month basic pay, except those working in newspaper establishment of classes VII and VIII. The LTA would be admissible once in a block of two years subject to availing of leave and production of necessary documents in proof of journey actually undertaken.

19. Medical Allowance – (1) The employees working in newspaper establishment of Classes I & II and Classes III & IV shall be paid medical allowance at the rate of Rs.1000/- and Rs.500/- per month per employee respectively. The employees in consultation with the management of newspaper establishment may opt for health insurance policy subject to the premium not exceeding the admissible medical allowance per annum.

(2) No medical allowance shall be paid to the employees, who are covered by Employees State Insurance Corporation (ESIC).

(3) Whereas the newspaper establishment falling in Classes V to VIII shall provide medicare insurance cover to all of their employees and the premium to be paid to an insurance company shall be limited to Rs.2000/- per annum per employee.

20. Fixation of initial wage in the revised scale – The initial wage of an employee in the revised scale shall be fixed in the following manner -

- For the new entrant, the wages shall be fixed in the revised scale at the minimum of the scale.
- In the case of employees already working in the newspaper establishment, the wages shall be fixed in the revised scale at the stage next above the existing emolument.
- If the minimum of the revised scale is higher than the amount of the emoluments being presently drawn by the employee, the wages shall be fixed at the minimum of the revised scale.
- If the existing emoluments of the employee are higher than minimum of the revised scale, the wages shall be fixed at next higher stage in the revised scale.
- ~~Every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the post held immediately before the date of the commencement of the Award.~~
- As regard to Assured Career Development, Every employee shall be given at least three promotions during his entire service career i.e. first to next higher grade after satisfactorily completion of ten years of service, second to next higher grade after satisfactorily completion of twenty years of service and third to next higher grade after satisfactorily completion of thirty years of service.
- The service rendered by the concerned employee in any other post carrying a scale in that newspaper establishment, the minimum of which is lower by not more than 30% of the minimum of the scale in which the employee worked, shall also be taken into account.
- The total number of increments shall not be more than three.
- No employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.
- The revised pay scales shall become applicable to all employees with effect from 1st July 2010. However, if an employee within three weeks from the date of publication of

Government Notification under Section 12 of the Act enforcing these recommendations exercises his option for retaining his existing pay scale and "existing emoluments", he shall be entitled to retain his existing scale and such emoluments.

Explanation:

- (1) The "existing emoluments" of an employee shall mean his basic pay, variable dearness allowance at the All India average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) at 167 during the period July 2009 to June 2010, convertible to CPI – IW (Base 1982=100) by the conversion factor of 4.63, and interim relief of 30% of basic pay sanctioned vide notifications S.O. No. 2524 (E) and 2525 (E) dated 25th August 2008 as applicable for working journalists and non-journalists newspaper employee respectively.
- (2) The "additional emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "existing emoluments" described in Clause (1) granted by newspaper establishments, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in basic wage, dearness allowance or interim relief.
- (3) The "additional allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or dearness allowance.

21. Mode of payment of arrears – The arrears payable from the date of enforcement of the Award, if any, as a result of retrospective implementation, shall be paid in three equal instalments after every six months from the date of enforcement of the Award and the first installment shall be paid within three months.

Provided that –

The newspaper establishments, who suffered heavy cash losses consequently in three accounting years preceding the date of implementation of the Awards, shall be exempt from payment of any arrears. However, these newspaper establishments would be required to fix salaries or wages of their employees on notional basis in the revised scales of pay with effect from the date of implementation of the Awards i.e. 1st July 2010.

22. Date of operation of Allowances – Except as otherwise provided in the Award, to the contrary, the House Rent Allowance, Transport Allowance, Hardship Allowance or any other allowances prescribed in the Award shall be effective from the date of notification of this Award.

THE SCHEDULE—I.A

(Grouping of Working Journalists in Newspaper Establishments)

Group – 1A : Editor, Editor-in-Chief, Chief Editor, Deputy Chief Editor

Group – 1 : Executive Editor, Resident Editor, Manager (Editor), Senior Associate Editor or Associate Editor, Joint Editor, Senior Deputy Editor or Deputy Editor, Chief of News Bureau and Chief News Coordinator or Chief News Editor.

Group – 2 : Senior Assistant Editor or Assistant Editor, Leader Writer, News Editor, News Coordinator, Special Correspondent.

Group – 3 : Chief Reporter or Chief Correspondent, Chief Sub-Editor or Content Chief, Deputy or Assistant News Editor, Photo Editor, Sport Editors, Commercial Editor, Science Editor, Economic Editor, Stock Exchange Services Editor, Film Editor, Feature Editor, Magazine Editor, and all other Chief Sub-Editors or Editors assigned with specific subjects; Chief Cartoonist or Cartoonist, Chief of Editorial Technology, Chief of Statistical or Research Division, Chief or Principal Research Analyst; Chief or Principal News Photographer; Chief Librarian; Chief Index Assistant; Chief Calligraphist; Chief Artist; Page designer or Chief Designer, Deputy Chief of News Bureau, Foreign Correspondent, Special Correspondent, Chief or Principal Correspondent in State capital accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent and other sectional or batch heads, not placed in a higher category.

Group – 4 : Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor or Shift-in-Charge Sub-Editor, Assistant Chief Sub-Editor / Reporter, Deputy Chief Reporter or Senior Reporter, Senior Correspondent, Deputy Chief or Senior Designer, and all other Deputy Editors or Sub-Editors assigned with specific subjects; Senior Calligraphist; Senior or Deputy Chief Artist or Senior Layout Artist; Senior Librarian or Deputy Chief Librarian, Senior Index Assistant; Senior Research Analyst or Deputy Chief of Statistics or Research Division; Deputy Chief of Editorial Technology and Assistant photo Editor, Senior Photographer or Senior Staff Photographer or Special News Photographer or Deputy Chief News Photographer or Deputy Chief Photographer, Chief Language Assistant and Chief Planner / Chief Scanner Operator.

Group - 5 : Sub-Editor, Reporter, Journalist or Correspondent, News Photographer, Artist, Calligraphist including Katibs, Librarian or Assistant Librarian or Index Assistant, Language Assistant, Designer, Researcher, Chief Proof Reader and Senior Planner / Senior Scanner Operator.

Group - 6 : Proof Reader including Advertisement Proof Reader or Senior Proof Reader or Deputy Chief Proof Reader or Assistant Proof Reader; Planner, Scanner / Scanner Operator, Assistant Photographer and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.

NOTE : (1) Any newspaper employee employed with any designation different from those enumerated in the schedules, but doing the same or similar nature of job, of any group in the schedule, shall be deemed to be a working journalist in that group.

(2) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of newspaper establishments.

THE SCHEDULE—I, B

(Functional definitions—Working Journalists)

Group—1A:

1. 'Editor-in-Chief' or 'Chief Editor' means a person, who is in overall charge of a newspaper.
2. 'Deputy Chief Editor' means a person, who assists the chief Editor in the discharge of his duties and acts for him during his absence.
3. 'Editor' means a person who directs and supervises the work of the editorial side of the Newspaper.

Group—1:

4. 'Executive Editor' or 'Manager (Editor)' means a person who assists in the editorial and production functions of a newspaper, whether or not he supervises the work of Resident Editor, Assistant Editor, etc.
5. "Resident Editor" means a person, who performs the functions of an Editor of a newspaper at a centre other than the one from which the newspaper is originally published or other than the headquarter of the newspaper establishment.
6. 'Senior Associate Editor' or 'Associate Editor' or 'Joint Editor' or 'Senior Deputy Editor' or 'Deputy Editor' means a person who generally assists the Editor in the performance of the work of the Editor.
7. 'Chief of News Bureau' means a person who supervises the work of the news bureau and assigns work to the Bureau members.
8. 'Chief News Coordinator' or 'Chief News Editor' means a person, who coordinates as overall chief of all the news items to be published in the newspaper and supervises the work of the News Coordinators or News Editors.

Group—2:

9. 'Senior Assistant Editor' or 'Assistant Editor' means a person who regularly assists the Editors in the discharge of his duties generally in relation to review, opinions, comments or criticism.

10. 'Leader Writer' means a person who regularly writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.
11. 'News Editor' or 'News Coordinator' means a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper.
12. 'Special Correspondent' means a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or otherwise at the head-quarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such.

Group – 3

13. 'Chief Reporter' means a person who is in charge of all reporters at a centre of publication, supervises their work and also regularly reports and interprets all news of legislative, political or general importance.

"Deputy or Assistant News Editor" means a person who assists the news editor in the discharge of his duties generally and/or is incharge of bringing out the city edition.

14. "Chief Sub-Editor or Content Chief" Means a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the newspaper or in a particular edition or part of it.
15. "Sports Editors" means a person in charge of the sports section of a newspaper, deals with news and views on sports and allied activities, allocates and supervises the work of one or more reporters and of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of sports news.
16. 'Photo Editor' means incharge of operating the photo service of the news agency and coordination of the service.
17. 'Commercial Editor' means a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade, industry and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.

18. 'Economic Editor' means a person, who is in charge of bringing out the matters of general economic importance of the newspaper and allocates and supervises the work of one or more reporters.
19. 'Stock Exchange Services Editor' means a person in charge of the Stock Exchange Services section of a newspaper, deals with news and views on Stock Exchange Services and allied activities, allocates and supervises the work of one or more reporters and of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of Stock Exchange Services news.
20. 'Science Editor' means a person who deals with specialized news relating to science and technology, and is incharge of bringing out the Science service of the newspaper.
21. "Film Editor" means a person who deals with news and views bearing on films and stage and is in charge on specified column or page on stage and screen and supervises the work of one or more working journalists.
22. 'Feature Editor' means a person who deals with features and is incharge of bringing out the Features Service of the news agency and supervises the work of one or more working journalists, reporter or correspondent engaged in these activities.
-
23. "Magazine Editor" means a person who deals with news and views bearing on literary or entertainment items of relevant news and thoughts and other connected subjects of literature is in-charge of specified columns or pages and two or more working journalists who supervises their work.
24. 'Cartoonist or Chief Cartoonist' means a person who comments upon news and events through cartoons, caricatures or comic strips.
25. 'Chief of Editorial Technology' means a person incharge of technological division so as to bring latest technology in relation to publishing of daily newspaper or magazine and supervises the work of one or more experts in the field.
26. "Chief of Statistical or Research Division" means a person incharge of statistical or research division which deals with matters bearing on commerce, finance, trade and industry in a financial paper and supervises the work of one or more working journalists.

27. 'Chief or Principal Research Analyst' means a person incharge of research division which deals with all matters requiring analytical study and supervises the work of one or more working journalists in the field.
28. "Chief or Principal News Photographer" means a person who allocates and supervises the work of one or more news photographers.
29. "Chief Librarian" or Chief Index Assistant" or "Chief Calligraphists" or Chief Artist" means a person who supervises the work of one or more librarians, Index Assistants, Calligraphist and Artists respectively.
30. 'Chief Designer' means a person who allocates and supervises the work of one or more page designers as well as who designs the contents of news items to be published on a city or subject specific page or pages of newspaper and as also.
31. 'Page designer' means a person who designs the contents of news items to be published on a city or subject specific page or pages of newspaper.
32. 'Deputy Chief of News Bureau' means a person who controls and supervises the work of the bureau or office and assigns work to the Bureau members under the overall guidance and supervision of Chief of News Bureau.
33. 'Foreign Correspondent' means a person stationed abroad for news coverage from the country or part of the country to which he is assigned.
34. 'Special Correspondent' means a person who is accredited to the Union Government and whose regular duties are to report news of Parliamentary, Political or general importance or a person in a metropolitan center who specializes in covering news of economic importance or national or international nature.
35. "Chief or Principal Correspondent" is Correspondent who is accredited to the State Government and Correspondent is a person accredited to the Central Government other than special Correspondent and other sectional or batch heads.

Group – 4:

36. "Deputy Chief Sub-Editor" or Senior Sub-Editor or Shift-in-charge Sub-Editor" means a person who regularly assists the Chief Sub-Editor in the discharge of his duties and acts in his place in his absence.

37. 'Assistant Chief Sub-Editor / Reporter or Deputy Chief Sub-Editor / Reporter' means a person who regularly assists the Chief Sub-Editor or Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor in the discharge of his duties.
38. "Deputy Chief Reporter" or "Senior Reporter" means a person who assists the Chief Reporter and acts in his place in his absence.
39. 'Deputy Chief or Senior Designer' means a person who designs the contents of news items to be published on a city or subject specific page or pages of newspaper under the overall supervision of Chief Designer or Page Designer.
40. 'Senior Correspondent' means a person other than special and principal correspondent and his duties and responsibilities would include the reporting on important news at any important centre other than the centre of publication and have put in service of not less than five years as correspondent or Reporter.
41. 'Assistant photo Editor', 'Senior Photographer or Senior Staff Photographer', 'Special News Photographer or Deputy Chief News Photographer', 'Deputy Chief Photographer' or whatever name these employees are designated means a person, who has put in service of not less than five years in photographic profession and as also assists the photo editor in carrying out duties and responsibilities in the field.
-
42. "Chief Language Assistant" means a person, who provides assistance in understanding and translation of different languages to the language in which the newspaper is published and as also supervises the work of Language Assistants.
43. "Chief Planner" means a person, who supervises the job of photo editing, colour editing and shadow editing so highlight any news matter undertaken by Senior Planner or Planner.
44. "Chief Scanner Operator" means a person, who supervises the tasks of scanning the photograph / colour advertisements / illustrations and colour correction of photographs and transparencies undertaken by Senior Scanner Operator or Scanner Operator.
45. 'Senior Calligraphist', 'Senior or Deputy Chief Artist or Senior Layout Artist', 'Senior or Deputy Chief Librarian', 'Senior Index Assistant'; 'Senior Reference Assistant', and 'Senior Research Analyst or Deputy Chief of Research Division' and 'Deputy Chief of Editorial Technology', Senior Planner, Senior Scanner Operator etc., means a person who assists the Chief Calligraphist, Chief Artist, Chief Librarian, Chief Index Assistant, Chief Reference Assistant, Chief of Statistics or

Research Division and Chief of Editorial Technology respectively as the case may be, and has put in service of not less than five years.

Group—5

46. 'Sub-Editor or Senior Reporter' means a person who receives, selects, shortens, summarizers, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions.
47. 'Reporter' means a person who gathers and presents news at a particular centre.
48. "Journalist or Correspondent" means a person who gathers and dispatches by Email, website, wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication.
49. "News Photographer" means a person who covers news events of public interest through photographs.
50. "Artist" means a person who prepares for publication drawing, layouts, maps, graphs or other similar embellishments, illustrations of any kind or of creative art. He may do some or all of these functions.
51. "Calligraphist" means an artist who performs journalistic work and also calligraphy matters.
52. "Librarian or Assistant Librarian or Index Assistant" means a person who prepares and maintains records, relating to news and views which are used as background or fill out for current stories. Persons not performing any of these functions shall not be covered.
53. "Language Assistant" means a person, who provides services in translation of different languages to the language in which the newspaper is published under the overall supervision of Chief Language Assistant.
54. 'Designer' means a person who designs the contents of news items to be published on a city or subject specific page or pages of newspaper under the overall supervision of Chief Designer or Page Designer or Deputy Chief or Senior Designer.
55. 'Researcher' means a person who assists the Chief of Statistics or Research Division and Chief of Editorial Technology to carry out research analysis under the overall supervision of Chief or Deputy Chief or Senior these Divisions.

56. 'Chief Proof Reader' means who allocates and supervises the work of one or more proof readers and is incharge of a shift.

Group – 6

57. "Senior Proof Reader or Deputy Chief Proof Reader or Proof Reader or Assistant Proof Reader" means a person who checks up printed matter of proof with Editor's copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected.

58. "Planner" means a person who assists in the job to photo editing, colour editing and shadow editing so highlight any news matter given by the Editor.

59. "Scanner / Scanner Operator" means a person, who scans the photograph / colour advertisements / illustrations and colour correction of photographs and transparencies.

SCHEDULE – II

(Grouping of Non-Journalist Newspaper Employees – Administrative Staff)

Group 1A:

Vice President (Finance & Accounting, Advertisement or Circulation); Senior General Manager or General Manager, Senior Deputy General Manager or Deputy General Manager, Regional General Manager or Deputy Regional General Manager, General Manager or Chief Manager, Chief Manager (Electrical or Electronics), Chief Medical Officer or Chief Physiotherapist and Secretary

Group – 1:

Senior Assistant General Manager or Assistant General Manager; Senior Assistant Regional General Manager or Assistant Regional General Manager; Deputy Regional Manager or Regional Manager or Assistant Regional Manager; Senior Manager, Branch or Departmental Manager (those who are in-charge of Circulation, Advertisement Department, Personnel, etc.), Manager; Web Administrator, Electronic or Software Engineer; Chief Accountant, Chief Internal Auditor; Chief Public Relation Officers; Medical Officer and Head (Diagnostics or Counseling).

Group – 2:

Additional Manager, Deputy Manager, Senior Assistant Manager or Assistant Manager; Chief Officer or Senior Officer, Senior Executives; Liaison Officers, Public Relation Officers; Accounts Officers, Internal Auditor; Assistant Advertisement Managers; Assistant Circulation Managers, Marketing Officer; Welfare Officer and Personnel officers; Assistant Engineer (Electronic, Mechanical or Electrical) and Senior Programmer; Senior Facilitator or Facilitator (Health Counseling).

Group – 3:

Officers or Sectional Heads (supervising work of around 5 Senior Assistants or Assistants or clerks); Chief Cashier; Business Canvassers, Marketing or Sales Representatives or Advertisement Representative; Head Clerks; Programmer, Computer Programmer, DTP Incharge, EDP Incharge; Personal Assistants (Steno Secretaries); Senior Accounts Assistant or Assistant Accountant; Senior Clinical Assistant or Pharmacist and Planner.

Note:

The recommendations in this part shall not apply to employees other than Non-Journalist Newspaper Employees as defined in the Act though included in the above four groups

Group – 4:

Senior Steno Secretary, Senior Stenographer or Stenographers; Senior Assistants or Assistants, Senior Assistant (Stores), Scheduling Assistant, All Executives, Senior Caretaker Assistant; Cashiers, Accounts Clerks; Circulation Inspectors / Representatives; Senior Advertisement Translators or Advertisement Translators; Senior Clerks (i.e. those whose work involves special skills); Senior Collection Representative; EDP Operator, Electronic Data Processor; Operators of accounting machines / calculating machines and Tele-printers; Security Supervisor, Senior Security Inspector, Watch and Ward Inspectors, Senior Security Guard, Senior Daffedar or Daffedar, Senior Head Havildar or Head Havildar; Cleaner; Field Organizers and those doing audit bureau of circulation; Advertisement Proof Readers; Assistant Physiotherapist or Clinical Assistant or Nurse (Male/Female); Artists (Commercial and Process); Senior Laboratory Technician or Laboratory Technician; Scanner or Scanner Operator,

Group – 5:

Junior Clerks or Junior Executives (i.e. those doing normal clerical work including acceptance of advertisements and sale of publications or other type of routine work); Caretaker, Time Keepers, Senior Typists or Typists, Telephone / Fax Machine Operators Addressographers, Receptionists, Franking Machine Operators; Senior Messenger or Messenger; Junior Artists (Commercial and Process); Assistant Translator; Canteen Supervisors or Senior Server or Head Cook or Cook; Senior Security Guard, Senior Security Inspector or Security Inspector or Fireman-cum-Security man and Havildar Cleaner, Driver, Carpenter, Plumber and Mason.

Group – 6:

Bill Collectors; Xerox Operator; Daftry or those doing semi clerical work; Delivery Peons or Peon-cum-Messenger or Peon; Security Guard or Watchman; Liftman, office boy or Callboy or Aid Boy or Helper; Sweeper or Cleaner or Vehicle Cleaner; Bearer or Canteen-Boy or Server or Water-boy; Mail; Orderly or Darwan.

Notes:

- (i) Any newspaper employee with old designation as mentioned in the Manisana Wage Board Award or earlier Awards should be classified, as per the job profile of the post in mutual consultation with the management through bilateral agreements, in appropriate group of posts in respect of Manisana Wage Boards Awards.

- (ii) Any newspaper employee with any designation different from those enumerated in the above schedule, but doing the same or similar nature of job, shall be deemed to be non-journalist in that group.
- (iii) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of newspaper establishment.
- (iv) Categorization of missing category of employment, if any, should be mutually decided by the employees and the management through bilateral agreements.

SCHEDULE - III

(Grouping of Non-Journalist Newspaper Employees – Factory Staff)

Group – I(A):

Vice President (Production), Assistant Vice President, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager, Senior Manager, Manager etc., engaged in overall management of production process.

Group – 1:

Senior Engineer, Assistant Engineer, Junior Engineer and A and B Grade Supervisor etc., appointed to look after the engineering aspects of machines installed in the production Department.

Group – 2:

Senior Supervisor or Supervisor, Foreman, Colour Separation Scanner, Photo Type Setting Operator, Scanner / Scanner Operator, Senior Cameraman, Supervisor (Photo Composing), Senior VDT Operator/VDT Operator, Terminal Operator (Video Digital Typesetting).

Group – 3:

Senior Production Assistant or Production Assistant, Deputy or Assistant Foreman, Chief Press Advertising Assistant, Junior VDT Operator, Katihs, Motor Mechanic, Offset Machine-men, Offset Mechanic, Offset Plate Maker, Page Makeup Man (Photo setting), Paste-up Artist, Plate Maker (Colour), Press Advertising Assistant, Printer (Foreman Composing Supervisor), Process Developer, Printer (Offset, Photo Composing A & B Grade, Composing), PTS Mechanic, Repro-photographer,

TABLE-II
NEWSPAPER ESTABLISHMENTS

B. Non-Journalists (Administrative Staff)

Class of Newspaper Establishments	<--- Scales of Pay for Group of Employees --->							Variable Pay (% of Basic Pay)
	1A	1	2	3	4	5	6	
I (Rs.1000 crore and above)	NO SCALE	Rs.17500-ARI (4%)-38400	Rs.15000-ARI (4%)-32900	Rs.13000-ARI (4%)-28500	Rs.12000-ARI (4%)-26300	Rs.10000-ARI (4%)-22000	Rs.9000-ARI (4%)-19800	35%
II (Rs.500 crore and above but less than Rs.1000 crore)		Rs.16000-ARI (4%)-35100	Rs.14000-ARI (4%)-30700	Rs.12000-ARI (4%)-26300	Rs.11000-ARI (4%)-24100	Rs.9000-ARI (4%)-19800	Rs.8500-ARI (4%)-18700	35%
III (Rs.100 crore and above but less than Rs.500 crore)		Rs.14000-ARI (3%)-25300	Rs.12000-ARI (3%)-21700	Rs.11000-ARI (3%)-19900	Rs.10000-ARI (3%)-18100	Rs.8500-ARI (3%)-15400	Rs.8000-ARI (3%)-14500	35%
IV (Rs.50 crore and above but less than Rs.100 crore)		Rs.12000-ARI (3%)-21700	Rs.11000-ARI (3%)-19900	Rs.10000-ARI (3%)-18100	Rs.9000-ARI (3%)-16300	Rs.8000-ARI (3%)-14500	Rs.7500-ARI (3%)-13600	35%
V (Rs.10 crore and above but less than Rs.50 crore)		Rs.11000-ARI (2.5%)-18100	Rs.10000-ARI (2.5%)-16400	Rs.9000-ARI (2.5%)-14800	Rs.8500-ARI (2.5%)-14000	Rs.7500-ARI (2.5%)-12300	Rs.7000-ARI (2.5%)-11500	20%
VI (Rs.5 crore and above but less than Rs.10 crore)		Rs.10000-ARI (2.5%)-16400	Rs.9000-ARI (2.5%)-14800	Rs.8500-ARI (2.5%)-14000	Rs.8000-ARI (2.5%)-13200	Rs.7000-ARI (2.5%)-11500		20%
VII (Rs.1 crore and above but less than Rs.5 crore)		Rs.8500-ARI (2%)-12700	Rs.7500-ARI (2%)-11200	Rs.7000-ARI (2%)-10500			Rs.6000-ARI (2%)-9000	20%
VIII (Less than Rs.1 crore)		Rs.7000-ARI (2%)-10500		Rs.6000-ARI (2%)-9000		Rs.5000-ARI (2%)-7500		20%

Note: 'ARI' stands for Annual Rate of Increment

TABLE - III
NEWSPAPER ESTABLISHMENTS

C. Non-Journalists (Factory Staff)

Class of Newspaper Establishments	<-- Scales of Pay for Group of Employees -->							Variable Pay (% of Basic Pay)
	1A	1	2	3	4	5	6	
I (Rs.1000 crore and above)	NO SCALE	Rs.13500-ARI (4%)-29600	Rs.12000-ARI (4%)-26300	Rs.11000-ARI (4%)-24100	Rs.10000-ARI (4%)-22000	Rs.9000-ARI (4%)-19800	Rs.8000-ARI (4%)-17600	35%
II (Rs.500 crore and above but less than Rs.1000 crore)		Rs.12500-ARI (4%)-27400	Rs.11000-ARI (4%)-24100	Rs.10000-ARI (4%)-22000	Rs.9000-ARI (4%)-19800	Rs.8000-ARI (4%)-17600	Rs.7500-ARI (4%)-16500	35%
III (Rs.100 crore and above but less than Rs.500 crore)		Rs.12000-ARI (3%)-21700	Rs.10500-ARI (3%)-19000	Rs.9500-ARI (3%)-17200	Rs.8500-ARI (3%)-15400	Rs.7500-ARI (3%)-13600	Rs.7000-ARI (3%)-12700	35%
IV (Rs.50 crore and above but less than Rs.100 crore)		Rs.11000-ARI (3%)-19900	Rs.10000-ARI (3%)-18100	Rs.9000-ARI (3%)-16300	Rs.8000-ARI (3%)-14500	Rs.7000-ARI (3%)-12700	Rs.6500-ARI (3%)-11800	35%
V (Rs.10 crore and above but less than Rs.50 crore)		Rs.10000-ARI (2.5%)-16400	Rs.9000-ARI (2.5%)-14800	Rs.8000-ARI (2.5%)-13200	Rs.7500-ARI (2.5%)-12300	Rs.6500-ARI (2.5%)-10700	Rs.6000-ARI (2.5%)-9900	20%
VI (Rs.5 crore and above but less than Rs.10 crore)		Rs.9000-ARI (2.5%)-14800	Rs.8000-ARI (2.5%)-13200	Rs.7500-ARI (2.5%)-12300	Rs.7000-ARI (2.5%)-11500	Rs.6000-ARI (2.5%)-9900		20%
VII (Rs.1 crore and above but less than Rs.5 crore)		Rs.8000-ARI (2%)-11900	Rs.7500-ARI (2%)-11200	Rs.6500-ARI (2%)-9700		Rs.5500-ARI (2%)-8200		20%
VIII (Less than Rs.1 crore)		Rs.7000-ARI (2%)-10500		Rs.6000-ARI (2%)-9000		Rs.5000-ARI (2%)-7500		20%

Note: 'ARI' stands for Annual Rate of Increment

Table - IV

Formula for calculating Dearness Allowance:

The formula for calculating Dearness Allowance would be the percentage increase of all-India Average Consumer Price Index for Industrial Workers {Base 2001=100} in preceding 12 months in question over the all-India Average Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2001=100) at 167 for the year July 2009 to June 2010 payable bi-annually with effect from 1st July and 1st January every year, which would be then be multiplied by the rate of neutralization and Basic Pay. Mathematically, it can be put as follows:

All-India Annual Average CPI – IW

(Preceding 12 months in question)

Minus

All-India Annual Average CPI – IW

(July 2009 to June 2010)

Dearness Allowance = ----- X Rate of Neutralization (1.0) X Basic Pay

All-India Annual Average CPI – IW

(July 2009 to June 2010)

Table - V

Classification of Cities

AREA - "X"					
Sl. No.	City		Sl. No.	City	
1	Bengaluru	(UA)	7	Ahmedabad	(UA)
2	Chennai	(UA)	8	Kanpur	(UA)
3	Delhi and adjoining NCR areas of Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Noida	(UA)	9	Lucknow	(UA)
4	Hyderabad / Secunderabad	(UA)	10	Nagpur	(UA)
5	Greater Mumbai / Navi Mumbai	(UA)			
6	Kolkata	(UA)			

AREA - "Y"					
1	Agra	(UA)	16	Durgapur	
2	Ajmer		17	Gorakhpur	
3	Aligarh		18	Guwahati	
4	Allahabad	(UA)	19	Guntur	
5	Amravati		20	Gwalior	(UA)
6	Amritsar	(UA)	21	Indore	(UA)
7	Aurangabad	(UA)	22	Hubli-Dharwar	
8	Bareilly	(UA)	23	Jabalpur	(UA)
9	Bhavnagar		24	Jalpur	(UA)
10	Bikaner		25	Jalandhar	(UA)
11	Bhopal		26	Jamshedpur	(UA)
12	Bhubaneswar		27	Jodhpur	
13	Chandigarh	(UA)	28	Kochi	(UA)
14	Coimbatore	(UA)	29	Kolhapur	(UA)
15	Cuttack	(UA)	30	Kozhikode	(UA)

AREA - "Y" Continued.....

31	Kota		34	Warangal	
32	Ludhiana		35	Mangalore	(UA)

33	Madurai	(UA)	53	Nagpur	(UA)
34	Meerut	(UA)	54	Puducherry	(UA)
18	Moradabad	(UA)	55	Salem	(UA)
19	Mysore	(UA)	56	Tiruppur	(UA)
20	Nasik	(UA)	57	Tiruchirappalli	(UA)
21	Pune	(UA)	58	Asansol	(UA)
22	Patna	(UA)	59	Belgaum	(UA)
23	Rajpur	(UA)	60	Bhiwandi	(UA)
24	Rajkot		61	Dhanbad	(UA)
25	Ranchi	(UA)	62	Dehradun	(UA)
26	Solapur		63	Durg-Bhilai	
27	Srinagar	(UA)	64	Jammu	(UA)
28	Surat	(UA)	65	Jalandhar	(UA)
29	Thiruvananthapuram	(UA)	66	Jalandhar Cantonment	
30	Vadodara	(UA)	67	Jamnagar	(UA)
31	Varanasi	(UA)	68	Kanpur	(UA)
32	Vijayawada	(UA)	69	Durg-Bhilai Nagar	(UA)
33	Vishakhapatnam	(UA)			

Area "Z" will comprise all areas not mentioned in this list.

Note: U. A. stands for Urban Agglomeration.

Annexure I (b)**Chapter – XX****Recommendations of the Majithia Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees in the News Agencies****Section I****PRELIMINARY**

Short title and commencement: (1) These recommendations may be called the Majithia Wage Board Award.

(2) The Award shall be deemed to have come into force on the first day of July 2010.

2. Definitions- In this Award, unless the context otherwise requires –

(1) "Act" means the Working Journalist and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (XLV of 1955);

(2) "Accounting year" used with reference to a particular year shall in the case of newspaper establishment mean financial year, the year commencing on the first day of April. In case, however, the accounting year of a newspaper establishment is different from financial year, it shall mean that accounting year of the establishment, of which more than half falls in the particular financial year. In case of the newspaper establishment whose accounting year starts from 1st day of October, the accounting year would be that year in which the first six months fall.

Illustration – If the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st day of January, 2009, reference to the accounting year 2009 in this Award shall be construed as reference to accounting year 2009-10. Again, If the accounting year of the newspaper establishment starts from 1st day of October, reference to accounting year 2009 in this Award will be construed as reference to the accounting year 2009-10 of that establishment.

(3) "Basic wage" means wages drawn in the prescribed scale of wages, including stagnation increment, if any, but does not include any other type of wages or pay, like special pay, personal pay, etc.

(4) 'Category' means any of those newspaper employees mentioned under the groups set out in this Award.

(5) 'Gross revenue of a news agency' means its total revenue from all sources, including subscription revenue derived by selling its services.

(6) 'News agency' means an establishment conducting any news agency or syndicate, that is to say, a news agency in an undertaking of which the principle objective is to gather or collect news and news material and to distribute it to a group of news enterprises and, in exceptional circumstances, to provide individual with a view to providing them with as complete and impartial a news service as possible, against payment with and under condition compatible business laws and usage.

(7) "Newspaper employee" means working journalist, or non-journalist newspaper employee, or both.

(8) "Schedule" means a schedule annexed to this Award.

(9) "Table" means a table annexed to this Award.

(10) The words and expressions "newspaper establishment", "working journalist" and "non-journalist newspaper employee" shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Section II

(Classification of News Agencies and Grouping of news agency employees)

3. Classification of news agencies – For the fixation or revision of rates of wages of employees in news agencies, news agencies shall be classified based on the average gross revenue of three accounting years 2007-08, 2008-09 and 2009-10.

4. Continuance of classification – The classification made under this Chapter, shall continue until the news agency is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 6 of this Chapter.

5. Classification of news agency – News agencies shall be classified under the following classes on the basis of their gross revenue as per paragraph 3 of this Chapter.

Class	Gross Revenue
I	Rs.60 crore and above;
II	Rs.30 crore and above but less than Rs.60 crore.

III	Rs.10 crore and above but less than Rs.30 crore.
IV	Less than Rs.10 crore.

Note: - Foreign news agencies, i.e. those operating in India with their Principal Office outside India shall be treated as Class I news agencies.

6. Reclassification – It shall be open either to the employer or to the employee to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after one year from the date of the enforcement of the Award on the basis of the average gross revenue of the three immediately preceding accounting years;

Provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of three consecutive accounting years.

Provided that any such reclassification is required to be adjusted towards the price escalation worked out on the basis of wholesale price index with effect from the financial year just before the implementation of the Majithia Wage Boards Awards.

7. Grouping of Newspaper Employees: - (1) Working Journalists in the regular cadre in news agency shall be grouped as under the First Schedule; and functional definitions of various categories of working journalists in the news agency are described in the Schedule – IV.A and IV.B respectively.

(2) Non-Journalist employees – Administrative Staff in news agency shall be grouped as under the Schedule – V.

9. Variable Pay:

The concept of variable pay has been introduced, which aims to achieve twin objectives as stated below:

- a. The Sixth Pay Commission had recommended the concept of grade pay and the same was agreed to by the Government for implementation. On similar analogy the concept of variable pay needs to be introduced for all the employees working in newspaper establishments and news agencies. The variable pay will be the specified percentage of the basic pay drawn by an employee in the newspaper industry. All allowances, such as HRA, Transport Allowance, and Leave Travel Allowance etc. will be computed by taking the sum total of the revised basic pay and the variable pay applicable to an employee.

- b. Variable pay recommended by the Wage Boards would be the minimum maintainable for all employees including those working on contract basis and the management would be free to pay more than recommended variable pay subject to performance of the workers as well as profitability and viability of the newspaper establishments.

Section III

REVISED SCALES OF WAGES AND ALLOWANCES

8. Revised scale of wages for working journalist - (1) The revised scale of wages and variable pay, as recommended by the Wage Board for a span of 20 years, of each group of the Working Journalists in different classes of news agency is prescribed in Table I.

(2) Every part-time Correspondent/ Photographer shall be paid not less than 40 per cent, if he is posted at district head-quarters and above and not less than 30 per cent, if he is posted at place below district headquarters, of the basic wage plus dearness allowance applicable to a full time Correspondent/Photographer at similar level, provided that no part-time Correspondent / Photographer will work for more than two news agencies or newspaper establishments. In addition, payment shall be paid to him on column basis, the rate of which to be settled by mutual negotiations keeping in view the basic wages and dearness allowances drawn by as part-time Correspondent and part-time Photographer.

9. Revised scale of wages for non-journalist – (1) The revised scales of wages and variable pay, as recommended by the Wage Board for a span of 20 years, of each group of the non-journalist news agency employees – Administration Staff in different classes of news agency is prescribed in Table II.

(2) Every time rated employee, that is to say, a person employed to work as time-rated employee (time-work) for either less or more than prescribed working hours and performs the job, or does the duty of a regular employee, shall be paid on pro-rata basis equivalent to the wages of that regular employee on the basis of number of hours for which he is employed.

Explanation – for the purpose of above paragraphs 8 and 9

(a) The Probable Impact of Wage Increase on newspaper establishments would be explained as below:

It reflects from the analytical data presented in the Annual Survey of Industries that the wages and salaries of employees in newspaper industry are normally 10% of the gross revenue of an establishment and is also supported to some extent by the information on wages and gross revenue

submitted by the newspaper establishments to the Wage Boards. The proposal of the Wage Boards suggests around 35% and 20% increase in the wages / salaries over and above the salary including interim relief of employees working in the newspaper industry falling in classes I to IV and classes V to VIII respectively. Approximately, it would mean that with this increase, the wages would become about 13.5% of the gross revenue in respect of newspaper establishment falling in class I to IV. This would, therefore, result in further burden of just 3.5% of gross revenue. On a similar analogy, the burden on newspaper establishments in class V to VIII would be just 3% of gross revenue. Moreover, this additional burden on newspaper establishment would dissipate over the period as per the past trend. Based on the financial data submitted by the newspaper establishments, Boards feel that it would be possible for them to bear such a moderate increase.

(b) As regard benefit to newspaper employees

- (i) In respect of newspaper establishments falling under Classes I to IV, where 35% of increase as a result of variable pay is recommended, "the current basic pay of the newspaper employee" would rise by around 2.90 to 3.20 times, and
- (ii) In respect of newspaper establishments falling under Classes V to VIII, where 30% of increase as a result of variable pay is recommended, the current basic pay would rise by around 2.80 to 3.08 times.

10. Drawal of wages in the revised scales – (1) Save as otherwise provided in this Award, a news agency employee shall draw wages in the revised scale applicable to the group to which he belongs.

11. Dearness Allowance – (1) The revised rates of dearness allowance shall be paid according to average all-India Consumer Price Index Number for Industrial worker (2001=100) compiled by Labour Bureau and will become operative with effect from 01-07-2010.

(2) Dearness Allowance shall be payable bi-annually with effect from 1st July and 1st January every year and shall be sanctioned as soon as the figures for the preceding 12 months, for which all-India average consumer price index for industrial workers (Base 2001=100) used for determining rate of dearness allowance, becomes available. Dearness allowance will become payable from the beginning of the month immediately succeeding the 12 month period for which All – India average index figures are used for determining rate of dearness allowance.

(3) The Rate of neutralization for determining Dearness Allowance payable Bi-annually on the basis of Consumer Price Index Number for Industrial Numbers would be 100 percent of basic for all groups of employees in news agency establishments and will be calculated as per the formula in Table- III.

Explanation – for the purpose of this paragraph, –

The dearness allowance in respect of the period preceding the date of implementation of the Award shall be given at the existing rates.

12. House Rent Allowance – House rent allowance at the rate of 30%, 20% and 10% shall be paid by newspaper establishments to its employees posted in the respective areas defined as Area "X", Area "Y" and Area "Z" respectively, which is based on the pattern followed under the fixation of Minimum Wages in respect of scheduled employments in the Central Sphere, as well as keeping in view of the concentration of Newspaper Establishments in Metros, Cities and Towns. The classification of cities as Area "X", Area "Y" and Area "Z" are prescribed in Table – IV.

Provided that –

- 1) Where an employee is provided residential accommodation by newspaper establishments, no house rent allowance shall be admissible.
- 2) If an employee is being paid house rent allowance, the same will be adjusted against the amount of house rent allowance payable under this provision.
- 3) Where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against house rent allowance payable under this provision.

13. Transport allowance – The Transport allowance at the rate of 20%, 10% and 5% shall be paid by newspaper establishments to its employees posted in the respective areas defined as Area "X", Area "Y" and Area "Z" respectively. The Area "X", Area "Y" and Area "Z" are prescribed in Table – IV.

In view of the transport allowance, which is the major expenditure incurred by the residents including the newspaper employees, being recommended by the Wage Boards, the City Compensatory Allowance stands abolished.

14. Night shift allowance – The Night shift allowance at the rates shall be paid by the newspaper establishment to their respective employees as given in the table below:

Class of Newspaper Establishments	Rate per Night Shift	Class of Newspaper Establishments	Rate per Night Shift
I & II	Rs.100/-	V and VI	Rs.50/-
III & IV	Rs.75/-	VII & VIII	Rs.50/-

15. Hardship allowance – (1) An employee working in newspaper establishment of classes I to IV, which are situated in hilly areas above 5000 feet (1524 meters) from the sea level or in a disturbed area shall be paid a lump sum of Rs.1000 per month.

(2) An employee working in newspaper establishment of classes V and VI, which are situated in hilly areas above 5000 feet (1524 meters) from the sea level or in a disturbed area, shall be paid a lump sum of Rs.500/- per month.

(3) The hardship allowance shall not be applicable to the employees in newspaper establishment of classes VII and VIII.

Explanation – for the purpose of this paragraph, –

The "disturbed area" means disturbed area declared by the appropriate Government, i.e., State Government or Central Government, as the case may be, under the relevant Act.

16. Leave Travel Allowance (LTA) – An employee shall be paid leave travel allowance as equivalent to one month basic pay, except those working in newspaper establishment of classes VII and VIII. The LTA would be admissible once in a block of two years subject to availing of leave and production of necessary documents in proof of journey actually undertaken.

17. Medical Allowance – (1) The employees working in newspaper establishment of Classes I & II and Classes III & IV shall be paid medical allowance at the rate of Rs.1000/- and Rs.500/- per month per employee respectively. The employees in consultation with the management of newspaper establishment may opt for health insurance policy subject to the premium not exceeding the admissible medical allowance per annum.

(2) No medical allowance shall be paid to the employees, who are covered by Employees State Insurance Corporation (ESIC).

(3) Whereas the newspaper establishment falling in Classes V to VIII shall provide medicare insurance cover to all of their employees and the premium to be paid to an insurance company shall be limited to Rs.2000/- per annum per employee.

18. Fixation of initial wage in the revised scale – The initial wage of an employee in the revised scale shall be fixed in the following manner –

(a) For the new entrant, the wages shall be fixed in the revised scale at the minimum of the scale.

- (b) In the case of employees already working in the newspaper establishment, the wages shall be fixed in the revised scale at the stage next above the existing emolument.
- (c) If the minimum of the revised scale is higher than the amount of the emoluments being presently drawn by the employee, the wages shall be fixed at the minimum of the revised scale.
- (d) If the existing emoluments of the employee are higher than minimum of the revised scale, the wages shall be fixed at next higher stage in the revised scale.
- (e) Every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the post held immediately before the date of the commencement of the Award.
- (f) As regard to Assured Career Development, Every employee shall be given at least three promotions during his entire service career i.e. first to next higher grade after satisfactorily completion of ten years of service, second to next higher grade after satisfactorily completion of twenty years of service and third to next higher grade after satisfactorily completion of thirty years of service.
- (g) The service rendered by the concerned employee in any other post carrying a scale in that newspaper establishment, the minimum of which is lower by not more than 30% of the minimum of the scale in which the employee worked, shall also be taken into account.
- (h) The total number of increments shall not be more than three.
- (i) No employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.
- (j) The revised pay scales shall become applicable to all employees with effect from 1st July 2010. However, if an employee within three weeks from the date of publication of Government Notification under Section 12 of the Act enforcing these recommendations exercises his option for retaining his existing pay scale and "existing emoluments", he shall be entitled to retain his existing scale and such emoluments.

Explanation:

- (1) The "existing emoluments" of an employee shall mean his basic pay, variable dearness allowance at the All India average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) during the period July 2009 to June 2010 at 167 during the period July 2009 to June 2010, convertible to CPI-IW (Base 1982=100) by the conversion factor of 4.63, and interim relief of 30% of

basic pay sanctioned vide notifications S.O. No. 2524 (E) and 2525 (E) dated 25th August 2008 as applicable for working journalists and non-journalists newspaper employee respectively.

(2) The "additional emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "existing emoluments" described in Clause (1) granted by newspaper establishments, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in basic wage, dearness allowance or interim relief.

(3) The "additional allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or dearness allowance.

19. Mode of payment of arrears – The arrears payable from the date of enforcement of the Award, if any, as a result of retrospective implementation, shall be paid in three equal installments after every six months from the date of enforcement of the Award and the first installment shall be paid within three months.

Provided that –

The newspaper establishments, who suffered heavy cash losses consequently in three accounting years preceding the date of implementation of the Awards, shall be exempt from payment of any arrears. However, these newspaper establishments would be required to fix salaries or wages of their employees on notional basis in the revised scales of pay with effect from the date of implementation of the Awards i.e. 1st July 2010.

20. Date of operation of Allowances – Except as otherwise provided in the Award, to the contrary, the House Rent Allowance, Transport Allowance, Hardship Allowance or any other allowances prescribed in the Award shall be effective from the date of notification of this Award.

SCHEDULE – IV:

(Grouping of working Journalists in News Agency)

THE SCHEDULE – IV.A

(Grouping of Working Journalists in Newspaper Establishments)

Group – 1A : Editor-in-Chief, Chief Editor, Deputy Chief Editor

Group – 1 : Editor, Chief Producer (T.V.), Chief of Divisional Bureau,

Group – 2 : Chief News Editor, Commercial Editor, Economic Editor, Science Editor, Feature Editor, Photo Editor and any other Subject Specific Editors; Regional Manager, Chief of State Bureau (Capital), Special, Principal or Foreign Correspondent on selective basis.

Group – 3 : Special Correspondent or Principal Correspondent, Foreign Correspondent, News Editor, Chief Reporter, Chief Photographer, Producer (TV), Manager Stock Exchange Services, Manager News Exchange, Special Correspondent (T.V.), Manager State Capital Bureau and Chief Librarian.

Group – 4 : Chief Sub-Editor or Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor or Sub-Editor; Senior Correspondent and Senior Librarian

Group – 5 : Senior Reporter or Reporter, Senior Photographer, Assistant Producer-cum-Reporter (T.V.), Correspondent, Photographer, T.V. Reporter and Librarian.

Note:

- (1) Any newspaper employee in news agency employed with any designation different from those enumerated in the schedules, but doing the same or similar nature of job, of any group in the schedule, shall be deemed to be a working journalist in that group.
- (2) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of news agency.

415 GT/HI-14

THE SCHEDULE – IV.B

(Functional definitions – Working Journalists)

Group – I A

1. 'Editor-in-Chief' or 'Chief Editor' means a person who is in over all charge of a news agency.
2. 'Deputy Chief Editor' means a person who assists the chief Editor in the discharge of his duties and acts for him during his absence.

Group – I

3. 'Editor' means a person who directs and supervises the work of the editorial side of the News Agency.
4. 'Chief Producer (T.V.)' means a person in overall charge of the TV service of News Agency.
5. 'Chief of Divisional Bureau' means a person who is in charge of the central news desk of the entire News Agency and who supervise guides and direct news services in metropolitan centres, i.e. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai besides Bengaluru and Hyderabad.

Group – II

6. 'Chief News Editor' means a person who assists the Deputy Chief Editor in the discharge of his duties and coordinates news activities.
8. 'Commercial Editor' means a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.
7. 'Economic Editor' means a person who is in charge of bringing out the economic service of the news agency.
9. 'Science Editor' means a person who deals with specialized news relating to science and technology, and is in charge of bringing out the Science service of the news agency.
10. 'Feature Editor' means a person who deals with features and is in charge of bringing out the Features Service of the news agency.
11. 'Photo Editor' means in charge of operating the photo service of the news agency and coordination of the service.
12. 'Regional Manager' means a person who is in charge of news and other services of the news agency in the western/northern/eastern/southern regions of the country.

13. 'Chief of State Bureau' means a person who guides and directs collection of news of all types in a State Capital.
14. 'Special Correspondent' on selective basis means a Special Correspondent who is placed in a higher class on account of discharge of duties of higher work-load and responsibility.

Group – III

15. 'Special Correspondent' means a person who is accredited to the Union Government and whose regular duties are to report news of Parliamentary, Political or general importance or a person in a metropolitan center who specializes in covering news of economic importance or national or international nature.
16. 'Principal Correspondent' means a correspondent in state capitals accredited to State Governments.
17. 'Foreign Correspondent' means a person stationed abroad for news coverage from the country or part of the country to which he is assigned.
18. 'News Editor' means a person who is in charge of a news desk or regional news at a metropolitan center and supervises, directs and guides the different news services.
19. 'Chief Reporter' means a person in a metropolitan center who is in charge of all reporters in that centre, and reporters all news legislative, political or general importance.
20. 'Chief Photographer' means a person who allocates and supervises the work of photographers.
21. 'Producer TV' means a person in charge of respective areas of programming (economy, current affairs, education, and news).
22. 'Manager of Stock Exchange Services' means a person who coordinates the Stock Exchange Information and stockscan service reports.
23. 'Manager News Exchange' means a person who coordinates the news Agencies Exchange Programmes with other Agencies.
24. 'Special Correspondent (TV)' means a person in charge of reporting for news and current affairs and also presentation as far as possible.
25. 'Manager State Bureau Capital' means a person who guides and directs collection of news of all types in a State Capital.
26. 'Chief Librarian' means a person who supervises the work of Librarians engaged in preparation and maintenance of records relating to news and views which are used as background or fill out for News stories.

Group – IV

27. 'Chief Sub-Editor' means a person in the metropolitan center who regularly takes charge of a shift on the editorial desk, assigns and supervises the work of Sub-Editors.
28. 'Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor' means a person in the metropolitan center who is regularly assigned to take charge of a shift other than the main shifts on the editorial desk or whose regular duties includes preparation of news dispatches for special subscribers.
29. 'Sub-Editor' means a person who receives, selects, shortens, summarizes, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and he may do some or all the functions.
30. 'Senior Correspondent' means a person in the metropolitan center whose regular duties are to report news of Parliamentary, Political or general importance or a person regularly assigned to cover news of economic and commercial importance, Courts and national sports.
31. 'Senior Librarian' means a person who is engaged in preparation and maintenance of records relating to news and views which are used as background or fill out for News stories.

Group – V

32. 'Senior Reporter' means a person whose regular duties include reporting of State Government news or proceedings of State Legislature.
33. 'Reporter' means a person who gathers and presents the news of a particular center.
34. 'Senior Photographer' means a person who covers major assignments of public interest and who is a person with some experience and acts in the absence of chief photographer.
35. 'Assistant Producer-cum-Reporter' means a person who assists in production as well as helps in reporting events for the T.V. service, including research and reporting.
36. 'Correspondent' means a person who gathers and dispatches by wire, post or any other means, news from any center.
37. 'Photographer' means a person who covers news events of public interest through photographs.
38. 'T.V. Reporter' means a person who gathers and presents news for television wing at a particular center.
39. 'Librarian' means a person who prepares and maintains records relating to news and views which are used as background or fill out for News stories.

SCHEDULE – V

(Grouping of Non-Journalist Employees—Administration Staff in News Agencies Establishments)

Group IA:

Vice President, Senior General Manager or General Manager, Chief of Administration, Financial Controller-cum-Secretary;

Group 1:

Chief Engineer; Manager (Personnel); Accounts Manager, Manager (Promotion and Development), Manager (Technical Coordination), Personnel Officer, Chief Accountant, Company Secretary; Deputy Chief Internal Auditor

Group 2:

Regional Engineer, Regional Transmission Incharge, Administrative Officer and equivalent post, Accounts Officer, Internal Auditor and equivalent administrative posts, Video Editor, Engineer (T.V.), Sound Recordist, Cameraman, Electronic Engineer (R&D), Engineer, Cashier, Sr. Traffic Supervisor, Sr. Commercial Supervisor.

Group 3:

Transmission Supervisor, Caretaker and other equivalent posts, Production Assistant, Traffic Supervisor, Supervisor (Accounts), Lighting Assistant, Commercial Supervisor.

Group 4:

Senior Commercial Assistant, Senior Operator, Senior Technician, Assistant Stenographer, Junior Engineer, Sr. Traffic Assistant, Sr. Assistant, Stenographer.

Group 5:

Clerk, Typist, Technician, Junior Operator, Skilled Workers, Car Driver, Telephone Operator, Junior Traffic Assistant, Junior Commercial Assistant, Junior Assistant (Accounts), Junior Assistant

Group 6:

Attender, Machine Attender, Havaldar, Record Keeper, Gestetner Operator, Peon, Sweeper, Chowkidar, Mali, Messenger boy.

NOTE – (i) Any newspaper employee of news agencies employed with any designation different from those enumerated in the schedule, but doing the same or similar nature of job, of any group in the schedule, shall be deemed to be a non-journalist in that group.

(ii) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of news agency.

TABLE – I
NEWS AGENCY ESTABLISHMENTS

A. Working Journalists

Class of News Agency Establishment	<-- Scales of Pay for Group of Employees -->					Variable Pay (% of Basic Pay)	
	1A	1	2	3	4		
I (Rs.60 crore and above)	↑ NO SCALE ↑	Rs.25000-ARI (4%)-54800	Rs.22000-ARI (4%)-48300	Rs.19000-ARI (4%)-41700	Rs.17000-ARI (4%)-37300	Rs.15000-ARI (4%)-32900	35%
II (Rs.30 crore and above but less than Rs.60 crore)		Rs.22000-ARI (4%)-48300	Rs.20000-ARI (4%)-43900	Rs.18000-ARI (4%)-39500	Rs.16000-ARI (4%)-35100	Rs.14000-ARI (4%)-30700	35%
III (Rs.10 crore and above but less than Rs.30 crore)		Rs.14000-ARI (2.5%)-23000	Rs.13000-ARI (2.5%)-21400	Rs.12000-ARI (2.5%)-19700	Rs.11000-ARI (2.5%)-18100	Rs.10000-ARI (2.5%)-16400	20%
IV (Less than Rs.10 crore)		Rs.12000-ARI (2%)-17900	Rs.11000-ARI (2%)-16400	Rs.10000-ARI (2%)-15900	Rs.9000-ARI (2%)-13400	Rs.8000-ARI (2%)-11900	20%

Note: 'ARI' stands for Annual Rate of Increment

TABLE - II

NEWS AGENCY ESTABLISHMENTS

B. Non-Journalists (Administrative Staff)

Class of News Agency Establishment	<--- Scales of Pay for Group of Employees --->						Variable Pay (% of Basic Pay)	
	1A	1	2	3	4	5		
I (Rs.60 crore and above)	NO SCALE	Rs.17500-ARI (4%)-38400	Rs.15000-ARI (4%)-32900	Rs.13000-ARI (4%)-28500	Rs.12000-ARI (4%)-26300	Rs.10000-ARI (4%)-22000	Rs.9000-ARI (4%)-19800	35%
II (Rs.30 crore and above but less than Rs.60 crore)		Rs.16000-ARI (4%)-35100	Rs.14000-ARI (4%)-30700	Rs.12000-ARI (4%)-26300	Rs.11000-ARI (4%)-24100	Rs.9000-ARI (4%)-19800	Rs.8500-ARI (4%)-18700	35%
III (Rs.10 crore and above but less than Rs.30 crore)		Rs.11000-ARI (2.5%)-18100	Rs.10000-ARI (2.5%)-16400	Rs.9000-ARI (2.5%)-14800	Rs.8500-ARI (2.5%)-14000	Rs.7500-ARI (2.5%)-12300	Rs.7000-ARI (2.5%)-11500	30%
IV (Less than Rs.10 crore)		Rs.10000-ARI (2.5%)-16400	Rs.9000-ARI (2.5%)-14800	Rs.8500-ARI (2.5%)-14000	Rs.8000-ARI (2.5%)-13200	Rs.7000-ARI (2.5%)-11500		30%

Note: 'ARI' stands for Annual Rate of Increment

Table - III

Formula for calculating Dearness Allowance:

The formula for calculating Dearness Allowance would be the percentage increase of all-India Average Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2001=100) in preceding 12 months in question over the all-India Average Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2001=100) at 167 for the year July 2009 to June 2010 payable bi-annually with effect from 1st July and 1st January every year, which would be then be multiplied by the rate of neutralization and Basic Pay. Mathematically, it can be put as follows:

All-India Annual Average CPI – IW

(Preceding 12 months in question)

Minus

All-India Annual Average CPI – IW

(July 2009 to June 2010)

Dearness Allowance = X Rate of Neutralization(1.0) X Basic Pay

- All-India Annual Average CPI – IW

(July 2009 to June 2010)

Table – IV
Classification of Cities

AREA – "X"					
Sl. No.	City		Sl. No.	City	
1	Bengaluru	(UA)	7	Ahmedabad	(UA)
2	Chennai	(UA)	8	Kanpur	(UA)
3	Delhi and adjoining NCR areas of Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Noida	(UA)	9	Lucknow	(UA)
4	Hyderabad / Secunderabad	(UA)	10	Nagpur	(UA)
5	Greater Mumbai / Navi-Mumbai	(UA)			
6	Kolkata	(UA)			

AREA – "Y"					
1	Agra	(UA)	18	Guwahati	
2	Ajmer		19	Guntur	
3	Alligarh		20	Gwalior	(UA)
4	Allahabad	(UA)	21	Indore	(UA)
5	Amravati		22	Hubli-Dharwar	
6	Amritsar	(UA)	23	Jabalpur	(UA)
7	Aurangabad	(UA)	24	Jaipur	(UA)
8	Bareilly	(UA)	25	Jalandhar	(UA)
9	Bhavnagar		26	Jamshedpur	(UA)
10	Bikaner		27	Jodhpur	
11	Bhopal		28	Kochi	(UA)
12	Bhubaneswar		29	Kolhapur	(UA)
13	Chandigarh	(UA)	30	Kozhikode	(UA)
14	Coimbatore	(UA)	31	Kota	
15	Cuttack	(UA)	32	Ludhiana	
16	Durgapur		33	Madurai	(UA)
17	Gorakhpur		34	Meerut	(UA)

AREA - "Y" Continued.....					
18	Moradabad	(UA)	53	Nagpur	(UA)
19	Mysore	(UA)	54	Puducherry	(UA)
20	Nasik	(UA)	55	Salem	(UA)
21	Pune	(UA)	56	Tiruppur	(UA)
22	Patna	(UA)	57	Tiruchirappalli	(UA)
23	Raipur	(UA)	58	Asansol	(UA)
24	Rajkot		59	Belgaum	(UA)
25	Ranchi	(UA)	60	Bhiwandi	(UA)
26	Solapur		61	Dhanbad	(UA)
27	Srinagar	(UA)	62	Dehradun	(UA)
28	Surat	(UA)	63	Durg-Bhilai	
29	Thiruvananthapuram	(UA)	64	Jammu	(UA)
30	Vadodara	(UA)	65	Jalandhar	(UA)
31	Varanasi	(UA)	66	Jalandhar Cantonment	
32	Vijayawada	(UA)	67	Jamnagar	(UA)
33	Vishakhapatnam	(UA)	68	Kanpur	(UA)
34	Warangal		69	Durg-Bhilai Nagar	(UA)
35	Mangalore	(UA)			

Area "Z" will comprise all areas not mentioned in this list.

Note: U. A. stands for Urban Agglomeration.

[F. No. V-24032/1/2011-WB]

T. K. BASU, Dy. Director General